लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 19—शुक्रवार, 8 मार्च, 1968/ 18 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 19—Friday, March 8, 1968/ Phalguna 18, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
509.	सेनाओं पर प्रतिबन्ध	Ban on Senas	1067-1074
510.	बेरोजगार इंजीनियर	Jobless Engineers	1074-1078
516.	इंजीनियरी के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Engineering Students	1078-1083
	अल्प-सूचना प्रश्न Short Notice Question		
5.	मुंघेर के निकट गंगा-जल में अग्नि-ज्वाला	Blaze of fire in waters of Ganga near Monghyr	1083-1088

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
511.	गजरात में पत्तनों का तल-कर्षण	Dredging of Ports in Gujarat	1088-1089
512.	भारतीय नौवहन निगम	Shipping Corporation of India	1089-1090
513.	गोहाटी में हुए दंगों में पाकिस्तान का हाथ	Role of Pakistan in Guahati Riots	1090
514,	मद्रास विधान सभा द्वारा पारित भाषा संबंधी संकल्प	Madras Assembly Resolution on Language	1090-1091

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
515.	स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन	Demise of Late Pandit Deendayal Upadhya	1091
517.	तमिलनाड विद्यार्थी-आन्दोलन	Tamilnad Student Agitation	1091-1092
518.	विवेकाधीन अनुदानों का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Discretionary Grants	1092
519.	मिजो विद्रोहियों द्वारा आतंक फैलाना	Reign of Terror let loose by Mizos	1092
520.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का अध्ययन	Hindi Teaching in Non-Hindi States	1092-1093
521.	मैसूर राज्य के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of Mysore Officials	1093
522.	इंजीनियरों में बेरोजगारी	Unemployment among Engineers	1093
523.	गोहाटी हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक विमान चालक तथा एक व्योम-बाला के साथ कथित दुर्व्यवहार	Alleged Manhandling of a Pilot and Air Hostess of IAC at Gauhati Airport	1094
524.	दिल्ली में पाकिस्तान समर्थक तत्व	Pro-Pakistani Elements in Delhi	1094
525.	विशेष-कार्य अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers on Special Duty	1095
526.	मैसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज	M/s Mitsubishi Heavy Industries	1095
527.	राज्यों में विभिन्न सेनाओं के विरुद्ध कार्यवाही	Action against various senas in the States	1095-1096
528.	अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संगठन फेडरेशन	All India Federations, University and College Teacher's Organisation	1096
529.	सरकारी काम के लिये हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi for Official Work	1096-1097
530.	न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Judges	1097

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
531.	प्रशासनिक सुधार आयोग	A. R. C.	1097
532.	हरियाणा के सरकारी कर्मचारी	Haryana Government Employees	1098
533.	किसानों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा	Forcible occupation of land by Peasants	1098
534.	पब्लिक स्कूल पद्धति	Public School System	1098-1099
535.	अराजकता	Lawlessness	1099
536.	दिल्ली अध्यापकों की हड़ताल	Delhi Teacher's Strike	1099-1100
537.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शेख अब्दुल्ला का भाषण	Sheikh Abdullah's Speech at Aligarh University	1100
538.	गैर-सरकारी जहाजरानी समवायों का विलय	Merger of Private Shipping Companies	1100-1101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3231.	विदेशों को भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमण्डल	Cultural Delegations sent Abroad	1101-1102
3232.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण	Books Published by the National Council of Educational Research and Training	1102
3233.	सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents	1103
3234.	मछलीपत्तमन पत्तन	Machlipatnam Port	1103-1104
3235.	कृष्णापत्तनम पत्तन	Krishnapatnam Port	1104-1105
3236.	आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in Andhra Pradesh	1105
3237.	मरेडमिल्ली चिन्तूर सड़क	Maredumilli Chintur Road	1106
3238.	मरेडमिल्ली चिन्तूर सड़क पर साबरी नदी पर पुल	Bridge on River Sabari on Maredumilli Chintur Road	1106-1107
3239.	फार्मेसी स्नातक की उपाधि	Degree of Bachelor Pharmacy	1107
3240.	वर्ष 1968–69 में राज्यों को शिक्षा के लिये धन का नियतन	Allocation of Education Funds to States during 1968-69	1107

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3242. आयोगज के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन दल	ARC on Planning	1107-1108
3243. शेख अब्दुल्ला को नजरबन्दी की अवधि में दी गई सुविधायें	Facilities provided to Sheikh Abdullah during Detention	1108-1109
3244. हिमाचल प्रदेश का आय-व्ययक	Himachal Pradesh Budget	1109
3245. दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली	Sales Tax System of Delhi	1109
3246. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला कालेज, त्रिपुरा के प्राध्यापकों का चयन	Selection by UPSC of Lecturers for Women's College, Tripura	1109-1110
3247. शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	Grants to Educational Institutes	1110
3248. पाकिस्तान डकैत	Pakistani Docoits	1110-1111
3250. मिजो लोग	Mizos	1111
3251. जलपाईगुड़ी के एक गाँव पर पाकिस्तानियों का धावा	Pakistani Raid on Jalpaiguri Village	1111-1112
3252. ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द्वारा भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians by East Pakistan Rifles	1112
3253. अन्दमान के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Andaman Schools	1112-1113
3254. निकोबार के व्यापार के लिये सहायक आयुक्त	Assistant Commissioner for Nicobar Trade	1113-1114
3255. देश से बाहर गए योग्य व्यक्तियों सम्बन्धी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन	Survey Report on Brain Drain	1114
3257. दिल्ली के वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार	Boycott of Court by Delhi Lawyers	1114
3258. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार	Central Government Employees Consumer Co-opertive Stores	1114-1115
3259. विद्रोही मिजो लोगों द्वारा आक्रमण	Attack by Mizos	1115
3260. नागा विद्रोहियों द्वारा आत्म-समर्पण	Surrender by Naga Hostiles	1115-1116

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3261.	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा धरना	Dharna by Employees of the Delhi Administration	1116
3262.	कलकत्ता में विदेशी हथियार बरामद किए जाना	Recovery of Foreign Arms in Calcutta	1116-1117
3263.	नागाओं द्वारा स्थापित किए गए प्रशिक्षण-शिविर	Training Camps established by NAGAS	1117
3264.	सम्बद्ध कालेज	Constituent Colleges	1117-1118
3265.	विदेशों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय कठिनाइयाँ	Financial difficulties of Students Abroad	1118
3266.	विश्व-व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये पर्यटन की सुविधायें	Tourist Facilities for UNCTAD Representatives	1118-1119
3267.	थाईलैण्ड के साथ विमान-सेवाओं के सम्बन्ध में वार्ता	Air Talks with Thailand	1119
3268.	पर्यटक विभाग की वातानकुलित बस	Air Conditioned Bus by Tourist Department	1119-1120
3269.	हरियाना में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Transport Workers in Haryana	1120
3270.	रामाकृष्णपुरम पुलिस थाने के विरुद्ध जाँच	Enquiry against R. K. Puram Police Station	1120-1121
3271.	तटीय राष्ट्रीय राजपथ	Coastal National Highway	1121
3272.	दिल्ली में हत्या के मामले	Murder Cases in Delhi	1121
3273.	माओ समर्थक प्रचार के इश्तहार	Pro-Mao Propaganda Posters	1121-1122
3274.	बिहार में इंजीनियर	Bihar Engineers	1122
3275.	अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scale of Teachers	1122-1123
3276.	समाजवाद के अध्ययन की योजना	Scheme for Study of Socialism	1123
3277.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस०	MBBS in Banaras Hindu University	1123

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3278.	पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्धों का निलम्बन	Suspension of Constitutional provisions relating to Speaker and Dy. Speaker of West Bengal Assembly	1124
3279.	हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के दौरान सम्पत्ति का लूटा जाना	Looting of Property during Hyderabad Police Action	1124
3280.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in UPSC Examinations	1124-1125
3281.	नये पर्यटक केन्द्र	New Toruist Centres	1125
3282.	यूनेस्को से अनुदान	UNESCO Grants	1125-1126
3283.	श्रीकाकुलम में युद्धोन्मुख आदिवासी	Tribals on Warpath in Srikakulam	1126
3284.	राजनैतिक बन्दी	Political Prisoners	1126-1127
3285.	भाषा विवाद पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Language Issue	1127
3286.	नक्सलबाड़ी	Naxalbari	1127
3287.	विशाखापत्तनम पत्तन	Visakhapatnam Port	1127-1128
3288.	केन्द्रीय सचिवालय में आशुलिपकों की एक नई श्रेणी बनाना	Creation of a New Category of Stenographers in the Central Secretariat	1128
3289.	उर्वरकों के आयात के लिये बड़े पत्तनों पर घाट (बर्थ)	Berths at Major Ports for Import of Fertilizers	1128
3290.	दिल्ली परिवहन उपक्रम	Delhi Transport Undertakings	1129
3291.	हरियाणा के अध्यापकों की हड़ताल	Haryana Teachers' Strike	1129
3292.	समुद्री भाड़े की दरें	Sea Freight Rates	1129-1130
3293.	सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन दल	Study Group on Road Transport	1130-1132
3294.	उत्तर प्रदेश में जोशीमठ सीमा पर मरे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाही	C. R. P. Soldiers killed on Joshimath Border in U.P.	1132

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3295.	अपनी ड्यूटी करते हुए मरे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों को रोजगार	Employment of Relatives of Government Employees who died in Harness	1132
3296.	हिन्दी जानने वाले स्टेनोग्राफर	Hindi-knowing stenographers	1132-1133
3297.	मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल	M/s Amin Chand Pyare Lal	1133-1134
3298.	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education	1134
3299.	नागरिक सुरक्षा	Civil Defence	1134
3300.	नेफा का प्रधान कार्यालय	Headquarters in NEFA	1135
3301.	उड़ीसा में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Orissa	1135
3302.	दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियाँ	Alleged Police Harassment in Delhi	1135
3303.	बम विस्फोट	Bomb Explosions	1136
3304.	भारत और लंका का अन्त-विश्वविद्यालय बोर्ड	Inter-University Board of India and Ceylon	1136-1137
3305.	विमान	Aeroplanes	1137
3306.	चीन की शिक्षा प्रणाली में के ढंग पर भारत में शिक्षा	Education on Chinese Pattern	1137-1138
3307.	विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में समिति	Panel on Corruption in Universities	1138
3308.	मंत्रालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministries	1138
3309.	सरकारी कर्मचारियों को दिया गया हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण	Training given to Government Employees in Hindi Typewriting	1139
3310.	हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपिक	Hindi/English Stenograhers	1139
3311.	राज्यों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in States	1139
3312.	दिल्ली के स्कूलों के लिये सहायता	Aid for Delhi Schools	1139-1140
3313.	प्रचार साहित्य	Propaganda Literature	1140
3314.	पर्यटन पर व्यय	Expenditure on Tourism	1140

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3315.	दिल्ली में लड़कियों के लिये पोलीटेक्निक	Polytechnic for Girls in Delhi	1140-1141
3316.	दक्षिण दिल्ली में पुस्तकालय की आवश्यकता	Need of Library in South Delhi.	1141-1142
3317.	समवाय सचिव (कम्पनी सेक्रेटरी)	Company Secretaries	1142
3318.	पर्यटक होटल	Tourist Hotels	1142
3319.	दिल्ली के अध्यापकों के लिये पेंशन/भविष्य निधि सम्बन्धी योजना	Pension/Provident Fund Scheme for Delhi Teachers	1142-1143
3320.	कोचीन पत्तन	Cochin Port	1143
3321.	पत्तन न्यासों में संसद् सदस्यों के लिये प्रतिनिधान	Representation of M. Ps. on the Port Trusts	1143
3322.	केरल उच्च न्यायालय में रिक्त पद	Vacancies in Kerala High Court	1143
3323.	बम्बई-कोचीन विमान सेवा	Bombay-Cochin Air Service	1144
3324.	महाभारत सम्वत् चालू करना	Introduction of Mahabharata Samvat	1144
3325.	केन्द्रीय असैनिक सेवा	Central Civil Services	1144-1145
3326.	भारतीय असैनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी	Retired I. C. S. Officers	1145
3327.	चार चोरों का गिरोह	Gang of Car Thieves	1145
3328.	तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में हवाई-पट्टी	Airstrip in Tirupathi (A.P.)	1145
3329.	आम चुनावों में अनियमित विमान उड़ानें	Unscheduled Flights during General Elections	1146
3330.	आंध्र प्रदेश और मैसूर में पर्यटकों के लिये होटल	Tourist Hotels in Andhra Pradesh and Mysore	1146
3331.	बस्तर के कुरकू नृत्यों को बढ़ावा देना	Promotion of Kurku Dances of Bastar	1146-1147
3332.	मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्र	Tourist Places in Madhya Pradesh	1147

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3333.	अध्यापकों को विमान किराये में रियायत	Air Travel Concession for Teachers	1147
3334.	शैक्षिक सुधार	Educational Reforms	1148
3335.	अध्यापकों के लिये पेंशन/ भविष्य निधि योजना	Pension/Provident Fund Scheme for Teachers	1148
3336.	शिक्षा प्रणाली में सुधार	Eductional Reforms	1148-1149
3337.	हेलीकोप्टर सेवा	Helicopter Service	1149
3338.	उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in High Courts	1149
3339.	पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegations against Ex-Chief Minister, Punjab	1149-1150
3340.	साम्प्रदायिक सूचियाँ	Communal Rosters	1150
3341.	गोहाटी में दंगे	Gauhati Riots	1150-1151
3342.	दिल्ली–बम्बई विमान सेवायें	Delhi-Bombay Air Services	1151
3343.	हिन्दी संस्थाओं को वार्षिक अनुदान	Annual Grants to Hindi Associations	1151
3344.	राष्ट्रीय कला मन्दिर	Rashtriya Kala Mandir	1151-1152
3345.	धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में विधि	Law on Religious Conversions	1152
3346.	सड़क परिवहन भाड़ा दरें	Road Transport Freight Charges	1152
3347.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर पुल	Bridges on National Highway No. 26	1152-1153
3348.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर डोकरीनाला पर पुल	Bridge on D okri Nullah on National Highway No. 26.	1153
3349.	दिल्ली में पुलिस अधिकारियों का चयन करने की कसौटी	Criteria for Slection of Police Officers in Delhi	1153
3350.	न्यायालयों में काम निपटाने में विलम्ब	Delay in the disposal of court work	1153-1154
3351.	न्यायालयों में काम निपटाने में विलम्ब	Delay in the disposal of court work	1154
3352.	कोचीन पत्तन	Cochin Port	1154

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3353.	कोचीन पत्तन	Cochin Port	1155
3354.	कोचीन पत्तन पर यात्री जहाजों को सुविधायें	Facilities to passenger vessels at Cochin Port	1155
3355.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी	Hindi in Non-Hindi States	1155-1156
3356.	हिसार उड्डयन क्लब के पुष्पक विमान की दुर्घटना	Air Crash of Hissar Aviation Club Pushpak Aircraft	1156
3357.	पालम हवाई अड्डे पर जलपान-व्यवस्था के ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली	Recovery of outstanding dues from catering contractors at Palam Air port.	1156-1157
3358.	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies	1157-1158
3359.	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल का निदेशक	Director of Indian School of International Studies	1158
3360.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमानों की खरीद	Purchase of Aircraft for I.A.C.	1159
3361.	लाहौल तथा स्पीती को विमान सेवा	Air Service to Lahaul and Spiti	1159
3362.	विमन चालकों के लिये होटलों में रहने की व्यवस्था	Hotel Accommodation for Flying Crew	1159-1160
3363.	प्रतिरक्षा की तीसरी पंक्ति	Third Line of Defence	1160
3364.	मद्रास को शिक्षा अनुदान	Educational Grants to Madras	1160-1161
3365.	सरकारी सेवाओं में स्थानों का आरक्षण	Reservations in Government Services	1161-1162
3366.	कोयम्बटूर में राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना	National Flag Burnt in Coimbatore	1162-1163
3367.	हवाई पट्टियाँ	Air strips	1163
3368.	नागाओं द्वारा अध्यापकों का अपहरण	Kidnapping of Teachers by Nagas	1163

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3369.	मध्य प्रदेश सरकार का प्रकाशन (सोशियल स्टडी) (सामाजिक अध्ययन)	Madhya Pradesh Government Publication Social Study	1163-1164
3370.	मनीपुर नृत्य पुरस्कार	Manipur Dance Award	1164
3371.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी का प्रयोग करना	Switching over to Hindi in Banaras Hindu University	1164
3372.	खिलाड़ियों को इनाम	Awards to Sportsmen	1164-1165
3373.	सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियाँ	Sainik School Scholarships	1165
3374,	मिजो गाँव पर हमला	Attack in Mizo Village	1165-1166
3375.	दिल्ली में कार चोरों का गिरोह	Gang of car thieves in Delhi	1166
3376.	साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जाँच	Commission of Enquiry into Communal Riots.	1166-1167
3377.	राजस्थान में सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force in Rajasthan	1167
3378.	सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force	1167-1168
3379.	दिल्ली में उच्च न्यायालय में अधीक्षक	Superintendents in Delhi High Court	1168
3380.	नागरिक सुरक्षा	Civil Defence	1168-1169
3381.	उत्तर प्रदेश में हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions of U.P.	1169
3382.	उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in U.P.	1169-1170
3383.	उड़ीसा में स्कूल मदर की सेवाओं की समाप्ति	Termination of School Mothers in Orissa	1170
3384.	महिलाओं की शिक्षा के लिये राज्यों को विशेष नियतन	Special Allocation to the States for Women's Education	1170-1171
3385.	संस्कृत के अध्ययन के लिये राज्य सरकारों को अनुदान	Grants to State Governments for Sanskrit Studies	1171-1172
3386.	शिक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Employees on Deputation in Ministry of Education	1172

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3387. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुवाद कार्य	Translation work in Central Hindi Directorate	1173
3388. कलकत्ता गौहाटी विमान सेवा	Calcutta-Guhati Air Service	1173
3389. दक्षिण भारत में पर्यटन केन्द्रों में जाने के लिये पर्यटकों को सुविधायें	Tourist Facilities for visting places in South India	1173
3390. विष्णु मन्दिर, मनीपुर	Visnu Mandir, Manipur	1174
3391. मनीपुर के सहकारी निरीक्षक	Co-operative Inspectors of Manipur	1174-1175
3393. सरकारी हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल	Government Hindi Teachers Training Institute, Imphal	1175
3394. महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	Maharishi Swami Dayanand Saraswati	1175
3395. एयर इण्डिया द्वारा देय ऋण	Outstanding Debts of Air India	1175-1176
3396. पानीपत के निकट यमुना पुल परियोजना	Jamuna Bridge Project near Panipat	1176
3397. अध्ययन के लिये ऋण	Study Loans	1176-1177
3398. पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा	Education in Backward Areas	1177
3399. प्रान्तीयता की भावनायें	Provincial Feelings	1177
3400. उदयपुर हवाई अड्डा	Udaipur Aerodrome	1177-1178
3400.-क प्रधान मंत्री पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Prime Minister	1178
3400.-ख अकोला रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस मैनों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Policemen at Akola Station	1178
अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1178-1180
देश के कुछ भागों में हाल में हुए साम्प्रदायिक उपद्रव	Recent Communal disburbances in certain parts of the country	
सभा–पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	1181
लोक–लेखा समिति उन्नीसवाँ प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Nineteenth Report	1181
सभा का कार्य	Business of the House	1182

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
तारांकित प्रश्न 479 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 479 Re. Grant to Bharat Sewak Samaj	1182-1183
अनुपूरक अनुदानों की माँगें	Demands for Supplementary Grants	1183
(हरयाणा), 1967–68 प्रस्तुत हरयाणा आय-व्ययक, 1968–69	(Haryana) 1967-68-Presented Haryana Budget, 1968-69.	1184-1196
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morariji Desai	
सामान्य-आय व्ययक–सामान्य चर्चा	General Budget—General Discussion	
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	
श्री चित्तिबाबू	Shri C. Chittybabu	
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बाईसवाँ प्रतिवेदन	Private Members Bills and Resolutions Twenty-Second Report	1196-1197
स्वर्ण–नियंत्रण के बारे में संकल्प–– अस्वीकृत	Resolution Re. Gold control—Negatived	1197-1209
श्री जेवियर	Shri S. Xavier	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu.	
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री रामानी	Shri K. Ramani	
श्री वि० नरसिम्हा राव	Shri V. Narasimha Rao	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
वामपक्षी साम्यवादी दल की गति-विधियों के बारे में संकल्प	Resolution Re. activities of Left Communist Party	1209-1212
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 8 मार्च, 1968/ 18 फाल्गुन, 1889 (शक)

Friday, March 8, 1968/ Phalguna 18, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'सेनाओं' पर प्रतिबन्ध

*509. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में साम्प्रदायिकता और पृथकवाद का प्रचार करने वाली शिव सेना, लचित सेना तथा अन्य ऐसे स्वयंसेवी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) तथा (ख) यदि कोई संगठन पृथकवाद लाने का प्रयत्न करे तो गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 के अधीन सरकार को उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित करने का अधिकार है। महाराष्ट्र को सरकार शिव सेना की गतिविधियों के सम्बन्ध में सतर्क है तथा कानून का भंग होने पर उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जायगी। केन्द्रीय सरकार लचित सेना की गतिविधियों के सम्बन्ध में भी असम सरकार से निकटवर्ती सम्पर्क बनाए हुए है तथा इस संगठन की छिपी हुई गतिविधियाँ खोज निकालने और आपत्तिजनक परिपत्र तथा पोस्टर बाँटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

Shri Shiv Chandra Jha : Is it not a fact that these various Senas have been organised with the funds made available by the Capitalists inside and outside the country and that those Senas

have definite aims and objectives ? Did the founders of Shiva Sena meet the Prime Minister and apprise her of its aims and objectives and if so, what are they and what is the reaction of the Prime Minister thereto ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह सच है कि शिव सेना के नेता बम्बई में प्रधान मंत्री से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया और शिव सेना की कार्यवाहियों को स्पष्ट किया। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि उसे पैसा किस वर्ग के लोगों से मिलता है। प्रधान मंत्री ने स्वभावत: उन्हें सलाह दी कि प्रादेशिक तनाव को प्रोत्साहन देने वाली सभी कार्यवाहियाँ राष्ट्रीय हित में अवांछनीय हैं।

Shri Shiv Chandra Jha : What are the legal provisions to circumscribe their activities ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: किसी भी संस्था को अवैध केवल उस समय घोषित किया जा सकता है जब उसकी कार्यवाही भारत के प्रदेश को देने या भारत से अलग होने की हो। शिव सेना के विरुद्ध न तो कोई ऐसा आरोप है, न सिद्ध हुआ है। लचित सेना निश्चय ही ऐसा प्रचार कर रही है। आसाम सरकार ने 20 व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है और आगे जाँच की जा रही है।

Shri Tulsidas Jadhav: All those Senas are fostering regionalism and creating disorder and disturbances. Do Government propose to float some scheme to induce harmony among the people ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही हम अवसर मिलने पर अपने मत का प्रचार करते हैं और गलत चीज की निन्दा करते हैं। शिव सेना की प्रतिक्रियावादी कार्यवाहियों की हमने निन्दा की है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि आसाम की हाल की गड़बड़ियों के पश्चात् लचित सेना ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है और आसाम सरकार के एक मंत्री श्री के० एल० त्रिपाठी को और सामान्य रूप से भारतीयों को आसाम छोड़ने की धमकी दी है ? इस संदर्भ में क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि लचित सेना जानबूझ कर विघटन-कारी प्रवृत्ति का प्रचार कर रही है और यह कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार से लचित सेना को अवैध घोषित करने के लिये अनुरोध किया था, किन्तु आसाम सरकार को इस सेना पर रोक लगाने में हिचकिचाहट है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह सच नहीं है कि आसाम सरकार को राष्ट्रीय हित में कुछ भी आवश्यक चीज करने में हिचकिचाहट है। मैंने स्वयं आसाम के मुख्य मंत्री से इस पहलू पर बातचीत की है। किसी भी संस्था को अवैध घोषित करने के लिये आवश्यक सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। आसाम सरकार की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं है।

श्री रा० कृ० सिंह : क्या भारत सरकार सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है ताकि इन सेनाओं का राष्ट्र के राजनीतिक जीवन से सफाया किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क राष्ट्रीय एकीकरण समिति, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे, को नियुक्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। वातस्व में एक ऐसे राष्ट्रीय मंच पर ही हम इसका दीर्घकालीन समाधान निकाल सकते हैं।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, can we presume that the Central Government have obtained the concurrence of the State Government that the latter are prepared to extend their cooperation to the Central Government in taking action under that law ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि मुझे उनके सहयोग देने में कोई सन्देह है। कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करना केन्द्रीय सरकार का अधिकार है। स्वभावतः जब कोई कार्यवाही अवैध घोषित की जाती है तो उसे क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार का सहयोग निश्चय ही आवश्यक होगा।

श्री सोनावने : क्या यह सच है कि बम्बई में नगर-पालिकाओं के चुनावों में प्रजा समाजवादी दल ने शिव सेना के साथ गठजोड़ किया है ? यदि हाँ, तो माननीय मंत्री का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मेरी खुशकिस्मती है कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि शिव सेना ने अपने आप को एक लोकतंत्रात्मक तरीके से संगठित किया है ? सरकार इसकी कार्यवाहियों को पसन्द करती है या नहीं वह एक अलग बात है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक लोकतंत्रात्मक संगठन है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : लोकतंत्रात्मक होते हुए भी प्रतिक्रियावादी लोकतंत्रात्मक संगठन हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रजा समाजवादी दल की स्थिति एक अपराधी की है और उसे राष्ट्र को इसका उत्तर देना है।

श्री पें० वेकटासुब्बया : इन विनाशकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये क्या सरकार के पास कोई उपचार है ? क्या माननीय मंत्री को पता है कि कालीकट में हरी कमीज पहने हजारों स्वयंसेवकों ने एक जिले में मुस्लिम बहुमत का निर्माण करने के लिये गलियों में जलूस निकाले हैं और यदि हाँ, तो उस पर माननीय गृह-मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक केरल के इस स्वयंसेवी संगठन का सम्बन्ध है, इस सभा में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। मामले के एक भाग पर मुख्य मंत्री और मेरे बीच बातचीत हुई थी। एक जलूस में कुछ स्वयंसेवक प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री के रूप में गिरफ्तार हुए दिखाये गए थे। यह एक अवांछनीय कार्यवाही है। मैंने मुख्य मंत्री को इस बारे में बताया था। मैं केवल तना ही कह सकता हूँ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माँग एक पृथक मुस्लिम बहुमत जिले के लिये थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं अपना मत प्रकट करना नहीं चाहता।

श्री सोनावने : बैनर्जी सेना।

श्री स० मो० बैनर्जी: मुझे आपत्ति नहीं।

श्री उमानाथ: सोनावने सेना।

श्री स० मो० बैनर्जी: मैं श्री सोनावने को अपनी सेना में लेने को तैयार हूँ यदि वह कांग्रेस छोड़ दें।

जब मेरे माननीय मित्र श्री उमानाथ ने यह दोष लगाया कि शिव-सेना ने अमरीकी गुप्तचर विभाग से एक उद्योगपति–जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे शोर-गुल उत्पन्न हो जायेगा–के माध्यम से धन प्राप्त किया; यद्यपि श्री बजाज ने इसे अस्वीकार किया है.....।

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने केवल नाम ही नहीं बताया प्रत्युत दूसरा विवरण भी दे दिया है। अब उन्हें प्रश्न करने दें।

श्री नम्बियार: देश में कई बजाज हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री स० मो० बैनर्जी: उस उद्योगपति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर भी श्री उमानाथ ने इसे दोहराया तथा चुनौती दी कि वह इसे सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय इसकी जाँच करेंगे या पहले ही जाँच कर चुके हैं? क्या यह सत्य है कि वे इस उद्योगपति के माध्यम से अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री स० मो० बैनर्जी: नहीं: क्या वे अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे दूसरे ढंग से स्पष्ट किया है।

श्री स० मो० बैनर्जी: मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूँ। यह प्रश्न आज ही रखा गया है। यदि वह इसका उत्तर एक महीने पूर्व दे चुके हैं उन्हें इसका दोबारा उत्तर देना पड़ेगा। मेरी इतनी अधिक स्मरण-शक्ति नहीं है। उन्हें बताने दें कि क्या इस दोष की जाँच की गई है अथवा वह करेंगे? उन्हें प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' अथवा 'ना' कहने दें। आया कि वे अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है।

Shri Onkarlal Bohra: Will the Minister for Home Affairs be pleased to state whether he is aware that after the distrubances in Gohati, such posters have been circulated as require a particular community to leave Assam by the 30th June otherwise their life and property will be in danger? Is he aware that such a situation prevails there even after the Gohati disturbances are over?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं कह चुका हूँ कि ऐसे प्रचार-पत्र दिखाई दिये हैं।

श्री कन्डप्पन: महोदय, बम्बई में शिव-सेना की कार्यवाहियां अपनी मातृभूमि के लोगों के हितों की रक्षा करने का बहाना ले कर होती हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि वे अत्याचार-पूर्ण कार्यवाहियां करते हैं तथा विशेष रुप से बम्बई में बसे दक्षिण-भारतीयों की सम्पदाओं को लूटते हैं? इस संदर्भ में वे यह शोर भी मचाते आ रहे हैं कि इन सब कार्यवाहियों के पीछे

राज्य सरकार का हाथ है तथा केन्द्र को मामले में हस्तक्षेप करके इसकी जाँच करनी चाहिये। इस तथ्य को दृष्टि से कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, क्या मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछ सकता हूँ कि बम्बई में अल्प-संख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये उन्होंने क्या किया है। दूसरे, उत्तरदायी काँग्रेसियों के इस वक्तव्य की दृष्टि में कि उस धरती के लोगों के कष्ट सही हैं और यह कोई अन्य धरती हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस मत से सहमत हैं कि भारत अनेक धरतियों का समूह है अथवा यह एक ही धरती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न पूछा। निस्सन्देह भारत केवल एक धरती है तथा मुझे आशा है कि उन्हें इस पर विश्वास आयेगा।

श्री कन्डप्पन : परन्तु टी० एन० सी० सी० के प्रधान को इस पर विश्वास नहीं आता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभिप्राय यह है कि हर किसी अन्य को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। देश में जो स्थिति उत्पन्न होती जा रही है वह बड़ी गम्भीर है। इस विशिष्ट मामले में हमें स्वयं अपने गिरहबान में झाँकना चाहिये। बम्बई में केवल शिव सेना पर ही पत्थर क्यों फेंके जायें? वस्तु-स्थिति तो यह है कि राजनैतिक लाभ के लिये आदमी समझौते भी कर लेता है। मैं समझता हूँ कि अब तो देश में यही जरूरी है कि जिस भी रूप में, जहाँ भी तथा जिस भी दल में हम पायें, हमें प्रादेशिकता तथा साम्प्रदायिकता से लड़ना है।

श्री कन्डप्पन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में मेरे इन का क्या हुआ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अल्पसंख्यकों के बारे में प्रश्न का मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया क्यों कि इसका उत्तर मैं अनेक बार सभा में दे चूका हूँ कि हमें हर जगह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी है। यहाँ तक कि शिव सेना तथा बम्बई के दक्षिण-भारतीयों के हितों के बारे में भी मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी ले सकता हूँ। बम्बई में दक्षिण भारतीयों के हितों की हर प्रकार से रक्षा की जायेगी। वास्तव में तो आज भी रोजगार की इच्छा से परिवारों की बहुत बड़ी संख्या बम्बई में आ रही है।

श्री शान्तिलाल शाह : शिव सेना के बारे में क्या यह सत्य नहीं है कि एक प्रजातंत्र समाज में यह एक भद्दा बुदबुदन है जिसको कालावधि में स्वयं सब कुछ करने की अनुमति दे दी गई है? परन्तु जहाँ तक प्रतिबन्ध लगाने की बात है, इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती क्यों कि कोई संगठन बना लेना किसी का भी मूलभूत अधिकार है। मैं यह भी समझता हूँ कि कम्युनिस्टों का शिव-सेना से केवल इसीलिये विरोध है क्यों कि शिव-सेना उन्हीं के डण्डे से उन्हीं के अड्डे पर उनकी खबर लेती है। यदि श्री उमानाथ के पास कोई प्रमाण है तो वह अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखें तथा सिद्ध करें कि यह कोई आधारभूत मामला बनता है। तब हम सरकार से इसकी जाँच करने को कह सकते हैं। ऐसे दोषारोपणों से लाभ न होगा। मैं शिव-सेना से सम्बन्धित नहीं हूँ। मेरे चुनाव-क्षेत्र में शिव-सेना कार्य नहीं करती और मैं यह जानता हूँ कि कुछ बातें गलत भी हैं। परन्तु उस पर प्रतिबन्ध लगाना भी उतना ही अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपने स्थान पर पुनः बैठ जायेंगे ? यह कोई वाद-विवाद नहीं है।

श्री शान्तिलाल शाह : जहाँ कहीं कानून टूटता है तो महाराष्ट्र सरकार उचित कार्यवाही कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय को इन्हें काबू में रखना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री कन्डप्पन : यहाँ तक कि कांग्रेसी भी शिव-सेना की हिमायत कर रहे हैं।

श्री शान्तिलाल शाह : मैं शिव सेना का विरोध करता आ रहा हूँ।

Shri Rabi Ray : Since there have been complaints against the Chief Minister of Assam that he is supporting the Lachit Sena, will the Hon. Minister for Home Affairs please say that the Government of India will, on its own, send some officials to find out the nature of activities of Lachit Sena there ?

My another question is whether this Lachit Sena is being supported by the Government of America or China and whether it is getting money from them. Hon. Minister may please answer both the questions.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तथ्य पाने का जहाँ तक प्रश्न है, असम सरकार हमें पूरा सहयोग दे रही है। जहाँ तक विदेशी हस्तक्षेप की बात है, जो कम से कम मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि अमेरिका का हस्तक्षेप है। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूँ, उत्तर-पूर्वीय प्रदेशों में चीन व पाकिस्तान की यह अवश्य इच्छा रहती है कि देश के उस प्रदेश में विभाजक कार्यवाहियाँ चलती रहें।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, I have not got an answer to one of my questions. My question was whether the Government will send some persons or officials to investigate the activities of the Lachit Sena. Hon. Minister has not replied to that.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता।

Shri Madhu Limaya : Mr. Speaker, what is this impertinence ? I have strict objection to it. Under what rules or procedure, does he say that he does not anwer ? Mr. Speaker, we shall never tolerate it. You are the protector of our rights. He has no right to say so. Since he became the Minister for Home Affairs, he has been talking impertinently. He never spoke in such a way when he was a Minister for Defence. We want you to protect our rights.

श्री कन्डप्पन : उत्तर प्राप्त करना सभा का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई ऐसी गुप्त बात है जिसे आप प्रकट नहीं करना चाहते तो ठीक है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वहाँ केन्द्र का कोई प्रतिनिधि है जो कि इसको देख रहा है ? उसका तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने कहा कि "मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता" तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं सभा को जानकारी नहीं देना चाहता। बल्कि यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि हमने यह जानने के प्रबन्ध कर रखे हैं कि देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा है ?

Shri Madhu Limaye: You could well say the same at that time.

Shri Y. B. Chavan : I meant the same but you did not catch it.

Shri Madhu Limaye : Actually, you have changed you style after becoming the Minister for Home Affairs. Please do reply now also in the way you had been replying earlier.

Shri Sheo Narain : I want to know form the Minister for Home Affairs whether he has made adequate arrangement for maintaining law-order in the country ?

Shri Y.B. Chavan : Yes Sir, it has been done.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : गृह-कार्य मंत्री जी ने कहा था कि शिव-सेना तथा उसकी अभी हाल की कार्यवाहियों का वह अनुमोदन करते हैं। परन्तु क्या उन्हें ज्ञात है कि दादर और मातुंगा में दक्षिण भारतीयों के घरों में सूचनाएँ भेजी जा रही हैं कि वे बम्बई छोड़ कर चले जायें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा मामला कुछ मास पूर्व मेरे ज्ञान में लाया गया था तथा मैंने विशेष रूप से स्थानीय पुलिस व राज्य सरकार का इस पर ध्यान आकर्षित किया था।

Shri Kamble : I want to know whether the Shiv Sena has done certain anti-national activities like burning of National Flag and insulting our Constitution as done by the Lachit Sena as also by a section of poeple in Madras ? Has the Shiv Sena done such anti-national activities that the Hon. Members are saying about banning it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। शिव-सेना द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने जोर दिया है कि जब कि प्रादेशिकता का सामना किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी की जा रही है। श्री शान्तिलाल शाह ने भी कहा है कि श्री उमानाथ के पास यदि कोई प्रमाण है तो वह मंत्री के सामने रखें। मैंने और श्री कृष्ण-मूर्ति ने बम्बई जा कर और मामले की ठोस रूप से जाँच-पड़ताल करके हमने संयुक्त रूप से एक स्मरण-पत्र तैयार किया जिसमें नए आये हुए व्यक्तियों के साथ हुई घटनाओं का ब्यौरा दिया है जिनमें कि बम्बई के भाषाई अल्पसंख्यकों की सम्पदा की असुरक्षा के बारे में भावनाएँ व्यक्त हैं। यह स्मरण-पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रधान-मंत्री तथा गृह-मंत्री को प्रस्तुत किया गया। पिछली बार तो गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया है। मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजे जाने पर क्या महाराष्ट्र सरकार ने उस स्मरण-पत्र पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो गृह-कार्य मंत्री द्वारा वह स्मरण-पत्र भेजे जाने के बाद, क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करने की कोई जानकारी भेजी है ? छः मास बीत चुके हैं तथा यदि कोई सूचना नहीं भेजी गई है, तो क्या मैं समझूं कि इस प्रकार की क्रियाओं को दबाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग नहीं दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। इन दो माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वह स्मरण-पत्र महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया था। इस विशेष मामले पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने को मुझे अवसर भी मिला था। जहाँ पर भी कोई अस्पष्ट दोषारोपण किया गया था, स्वाभाविक ही है कि उसकी जाँच नहीं की जा सकती थी, परन्तु कुछ घटनाओं के बारे में कई विशेष विषयों की पुलिस द्वारा जाँच कराई गई थी।

श्री उमानाथ: महोदय, इन्होंने कहा है कि कुछ विशेष विषयों पर जाँच कराई गई, तथा इन्होंने उनसे विचार-विमर्श किया। मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या कार्यवाही की गई?

श्री नम्बियार: जाँच का परिणाम क्या निकला ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: स्वाभाविक है कि मुझे विस्तार से जाँच करनी पड़ेगी। अभी तक मझे विस्तृत ब्यौरा नहीं मिला है, परन्तु मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जाँच करने पर प्रमाण मिले, कुछ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया।

Shri B. N. Bhargava : Is it not true that such orginisations which encourage divisive feelings whether in the name of community or language, are a handicap to our national and integral unity ? If so, what the Government is going to do to stop it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: महोदय, जैसा कि मैंने कहा, यह एक आम प्रश्न है तथा अपने उत्तरों के मध्य मैंने तो सरकार सम्बन्धी कार्यवाही के ढंग की भी जानकारी दे दी है?

श्री रंगा: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सारे देश में केवल एक ही सेना हो सकती है और क्यों कि सेना शब्द से ही हम देश की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा तथा आन्तरिक शान्ति आदि को स्थापना की विभिन्न जिम्मेवारी का अर्थ लेते हैं, तो क्या सरकार ने अपने आपको 'सेना' कहने वाली संस्थाओं को बन्द करने की सलाह पर विचार किया है; यदि नहीं, तो क्या वह विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने बिल्कुल नया सुझाव दिया है। जिस ढंग से ये स्वयं-सेवी संस्थायें उभर रही है, सरकार की ओर से इस विशिष्ट मामले पर मैं निश्चय ही चिन्ता व्यक्त कर सकता हूं। यदि कोई विशिष्ट समस्या सामने आये तो कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं जिनमें कोई सैनिक तत्व विद्यमान नहीं है।

श्री रंगा: वे दूसरा कोई नाम रख सकती हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: स्पष्ट है कि हमें इस मामले में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह एक नया सुझाव प्रस्तुत हुआ है और मुझे इसकी जाँच करनी पड़ेगी।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं)

अध्यक्ष महोदय: हम पहले ही इस पर 35 मिनट व्यय कर चुके हैं। हर सदस्य कहता है कि उसे भी एक प्रश्न करने दिया जाये जैसे कि मैं दूसरों की उपेक्षा कर सकता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि सभी दलों का विचार प्रतिनिधित्व हो जाये। जैसे कि मैंने कहा है कि हम इस एक प्रश्न पर 35 मिनट खर्च कर चुके हैं, जैसे कि दूसरे प्रश्न आवश्यक ही नहीं हैं। अतः यदि मैं अगले प्रश्न के लिये कहूँ तो माननीय सदस्य मुझे गलत न समझें। अगला प्रश्न !

श्री नम्बियार: महोदय, प्रश्न संख्या 510 के साथ प्रश्न संख्या 516 का भी उत्तर दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: जी हाँ। और प्रश्न संख्या 522 का भी।

बेरोजगार इंजीनियर

*510. †श्री गणेश घोष :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जुगल मंडल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री लषण लाल कपूर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या बेरोजगार इंजीनियरों के लिये रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कर सकने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये समस्त सम्बन्धित प्राधिकारियों की बैठक आयोजित करने के लिये कोई कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क), (ख), (ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार, आयोजना आयोग के परामर्श से इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय और साधन खोज रही है। आयोजना आयोग, इस प्रयोजन के लिए, विकास प्रायोजनाओं के कार्यवाहक विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों से विचार-विमर्श कर रहा है। रोजगार के और अधिक अवसर बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है।

श्री गणेश घोष : कदाचित केन्द्र सरकार जानती है कि केन्द्र व राज्य सरकारें दोनों ही ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराती हैं। सरकार को यह भी विदित है कि हमारे देश के अनेक कारखाने अपने यहाँ उन नौकरियों के लिये इंजीनियरों को भर्ती नहीं करते जिनके लिये विज्ञ-इंजीनियरों की जरूरत होती है। हमारे देश में इंजीनियरों की इस बहुत बड़ी बेरोजगारी की दृष्टि से, क्या मंत्री महोदय सरकार को आदेश देने को तैयार हैं कि वह विभागीय निर्माण परियोजनाओं को बढ़ाये तथा सब कारखानों के लिये यह अनिवार्य हो कि वे योग्यताप्राप्त इंजीनियरों को भर्ती करें?

डा० त्रिगुण सेन : आयोजना आयोग द्वारा इन दोनों बातों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह सुझाव दिया गया है कि (क) सब ठेकेदार योग्यताप्राप्त इंजीनियरों की भर्ती करें तथा (ख) 25 लाख रुपए तक का काम इंजीनियरों को सौंपा जाये। हमने छोटे कारखानों में इंजीनियरों की भर्ती की समस्या पर भी विचार किया है। इस हेतु फैक्ट्री एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम यह करेंगे, क्योंकि हमने इस सिद्धान्त को स्वीकर कर लिया है।

श्री गणेश घोष : अभी हाल ही में, बेकार इंजीनियरों ने सरकार को एक स्मरण-पत्र देकर प्रार्थना की कि बेकार इंजीनियरों के लिए एक पूल बनाया जाये। क्या सरकार इस माँग को स्वीकार करने को तैयार है? दूसरे, क्या वह इन इंजीनियरों को रोजगार न मिलने तक कोई भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

डा० त्रिगुण सेन : मेरे विचार से, जिन विभिन्न उपायों पर हमने विचार किया है उसे सभा जानना चाहेगी। यदि आप अनुमति दें तो मैं ब्यौरा प्रस्तुत करूँ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सारा ब्यौरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वह प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं। यदि कोई पूरा प्रतिवेदन है तो वह सभा-पटल पर रख दिया जाये।

डा० त्रिगुण सेन : यह अन्तिम नहीं है, विचाराधीन है। आयोजना आयोग ने सब मंत्रालयों और दूसरी संस्थाओं का एक सम्मेलन बुलाया तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कई उपाय करने के सुझाव दिए। संस्थानों में भर्ती उनकी समर्थता के अनुसार होनी चाहिये ताकि शिक्षण का स्तर बना रहे। सार्वजनिक व गैर-सरकारी दोनों ही उपक्रमों में प्रक्रियाओं को धारा-वाहिक तथा गतिशील किया जाना चाहिये। केन्द्र व राज्य सरकारों को खाली स्थानों में इंजीनियरों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिये। क्योंकि मुझे बताया गया है कि सैन्य इंजीनियरी सेवा में भारी संख्या में--कई हजार स्थान-रिक्त हैं, अतः सरकारी यथांश के समक्ष, अनिवार्य-उत्तरदायित्व योजना के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि सैन्य सिब्बान्दियों में खुली भर्ती को तेज किया जाये। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, पूर्ण हुई निर्माण-योजनाओं से छंटनी हुए इंजीनियरों का एक पूल बनाया जाये तथा नई-नई निर्माण-योजनाओं के लिये भर्ती इसी पुल से होनी चाहिये। सिंचाई व शक्ति सम्बन्धी निर्माण-योजनाओं की पूर्ण जाँच करने की क्रिया का पुनरुत्थान होना चाहिये तथा चौथी व पाँचवीं योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली निर्माण-योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा तथा अनुमान तैयार किया जाना चाहिये। हायड्रोलिक सर्वे तथा नदी-तल सर्वे आदि जैसे सर्वेक्षण कार्य जो कि देश में भविष्य के योजनाबद्ध-विकास के लिये जरूरी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिये। पहले ही पूर्ण हुई सिंचाई कार्यों का शीघ्र उपयोग करने के लिये, कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें। इंजीनियरी कारूक के लिये निश्चित अवधि वाले क्रियात्मक प्रशिक्षण नियत होने चाहियें, जिससे कि तीन से चार हजार इंजीनियरों को लाभ होगा। योग्यताप्राप्त इंजीनियरों को राज्य सरकारों द्वारा ऋण आदि दे कर छोटी-छोटी औद्योगिक निर्माण-योजनाएँ चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य से सम्बन्धित संस्थाओं के परामर्श से एक विशेष परियोजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक-वित्त-संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना-पत्रों के साथ परामर्श-प्रतिवेदन देना अनिवार्य करके परामर्शदात्री अनुष्ठानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अनुसंधान और विकास में खर्च बढ़ाने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न उपायों पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री न० कु० साल्वे : मंत्री महोदय ने वर्तमान बेकार इंजीनियरों का अवशोषण करने के लिये, उठाये जाने की सम्भावनाओं वाले कदमों के बारे में बताया है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि अगले पाँच वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले इंजीनियर-

स्नातकों की सम्भावित संख्या क्या है तथा सरकार ने ऐसे क्या प्रभावशाली उपाय सोचे हैं ताकि सरकार इन नए इंजीनियरों को कम से कम बदनामी, हीनत्व तथा बेकारी के दुर्भाग्य से बचाकर अपने सत्यनिष्ठ दायित्व को पूरा करते हुए अक्षम्य दोषपूर्ण भूल से बचेगी? क्या सरकार किसी ऐसी परियोजना की कल्पना कर रही है कि बहुत सी इंजीनियरों की सहकारी-संस्थाओं वाले अनुष्ठानों को उत्पादन करने और ठेके लेने का बढ़ावा किया जाये जिसके लिये सरकार अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दे? और यदि ऐसी कोई कल्पना विचाराधीन नहीं है तो क्या मंत्री महोदय ऐसे किसी परियोजना को रूप देने का सभा को आश्वासन देंगे?

डा० त्रिगुण सेन : मैं समझता हूँ, मैंने इस विषय में बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको तनिक विलम्ब हो गया। वह इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: आपने माननीय मित्र श्री गणेश घोष द्वारा रखे गए इस प्रश्न पर मैं अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। उनका प्रश्न बड़ा तीव्र तथा संगत था। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार कोई पुल आरम्भ करेगी तथा इन इंजीनियरों को कोई भत्ता अथवा बेकारी-अनुदान देगी? क्या मैं मंत्री महोदय को स्मरण करा सकता हूँ कि विदेशों से आये इंजीनियरों के लिये क पुल है जिसे 'वैज्ञानिक-पुल' अथवा 'इंजीनियरों का पुल' कहा जाता है तथा उन्हें केवल इसलिये 400 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि वे विदेशों से आये हैं तथा इस देश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जो भी लड़के इंजीनियरी कालेजों में अपना कोर्स पूरा करके आये हैं उनको देश के किसी कोने में रोजगार नहीं दिया गया है, तथा वह समय आ गया है जबकि कुछ लड़के तो आत्महत्या भी कर सकते हैं क्योंकि बेरोजगारी और भुखमरी में एक दौड़ लगी हुई है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस मामले पर कार्य कर रही है और इससे पूर्व कि वे आमहत्या करें अथवा कोई अन्य कठोर कदम उठायें, क्या सरकार उन्हें कोई भत्ता देगी?

श्री उमानाथ : इससे पूर्व की सरकार आत्मघात करे।

डा० त्रिगुण सेन: मैं व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास नहीं रखता कि किसी को भी बेकारी अनुदान दिया जाये। उनको पैसा कमाने योग्य करने के लिये हमने प्रबन्ध कर दिए हैं, चाहे वे स्व-संचालित हैं अथवा दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: वे कैसे बच सकेंगे?

डा० त्रिगुण सेन : मेरा विचार है कि श्री बैनर्जी को उन्हें आत्महत्या न करने की सलाह देनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह सलाह तो दे सकता हूँ परन्तु उन्हें रोजगार नहीं दे सकता।

श्री हेम बरुआ: यह बड़ा भद्दा उत्तर है कि श्री बैनर्जी को इंजीनियरों को आत्महत्या न करने की सलाह देनी चाहिये।

डा० त्रिगुण सेन: उन्होंने बेकारी-अनुदान का सुझाव दिया..... (व्यवधान)

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि जहाँ तक वह इन चीजों पर विचार कर रहे हैं, इसके साथ-साथ क्या वह इस पर विचार करेंगे कि हमारे युवा इंजीनियरों को अन्य विकासशील देशों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी जाये।

डा० त्रिगुण सेन : अवश्य।

Shri Mohd .Ismail :I want to put a simple question and wish that it should not be replied to in a complicated manner . Do you personally feel something whether, or not, it is only your responsiblity to protect these engineers until they get employment or the Planning Commission solves their problem of unemployment or the Cabinet takes some decision in this regard ? Do you think, or not, that it is a very bad situation ? If you feel it, then will you recommend to the Government to give them some financial assistance, so that they may survive to serve as engineers ?

डा० त्रिगुण सेन : वह मुझसे पूछते हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से चिन्ता है या नहीं। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसे बहुत ही अनुभव करता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं हजारों इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया है। परन्तु जैसा मैंने कहा, मैं इन्हें बेकारी अनुदान देने पर समहत नहीं हूँ। हम उनके लिये व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : इसे बेकारी अनुदान नहीं छात्रवृत्ति कहिये।

श्री उमानाथ : प्रश्न करने से पूर्व, मैं अपने प्रश्न (संख्या 516) के दूसरे भाग का हवाला देता हूँ जिसमें शिक्षा मंत्री से विद्यार्थियों को बन्दी बनाये जाने व छोड़ने के बारे में पूछा गया है। मैं नहीं चाहता कि शिक्षा मंत्री यह कहें कि यह मामला उनकी शक्ति से बाहर है। क्योंकि यह प्रश्न गृहीत है अतः उनको अथवा गृह-कार्य मंत्री, जो कि यहाँ उपस्थित हैं, को इसका उत्तर देना चाहिये।

अब मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के प्रदर्शन में भाग लेने वाले कितने इंजीनियरी-विद्यार्थी बन्दी बनाये गए तथा कितने मुक्त कर दिए गए? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने उन सबको बिना मुकदमा चलाये छोड़ देने का निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संख्या 516 है। हाँ, वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

इंजीनियरी के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन

*516. †**श्री चक्रपाणि** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री उमानाथ : **श्री वि० कु० मोडक** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 फरवरी, 1968 को विभिन्न राज्यों के इंजीनियरी विद्यार्थियों ने काफी संख्या में संसद् के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या माँगें हैं;

(ग) उनकी माँगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अब तक कितने विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) जी हाँ।

(ख) विद्यार्थियों की मुख्य माँग तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर की व्यवस्था करने के बारे में थी।

(ग) सरकार तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पहले ही से विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) 224 । ऐसा पता चला है कि उन सभी को छोड़ दिया गया है।

मैं सभा को यह बता सकता हूँ कि हड़ताल करने वाले देश के विभिन्न इंजीनियरी महाविद्यालयों के विद्यार्थी मिले तथा उन्होंने अपने-अपने राज्यों में वापस जाने का निश्चय किया। उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। मुझे बताया गया है कि उन सबको मुक्त कर दिया गया है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आन्ध्र प्रदेश में कई लोग मुक्त नहीं किए गए हैं।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : Is the Hon. Minister aware that many posts of engineers which have not been filled up have been kept in abeyance ? I personally think that it will cover thousands if you take in all of those. They have been kept in abeyance until the Fourth Plan comes into being. Now since the Fourth Plan as well as other preliminaries have to come up will the Hon. Minister advise the States to fill up those vacant posts and thus relieve the distress?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य के सुझाव से मैं सहमत हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि खाली स्थानों में इंजीनियरों को नियुक्त करने तथा भविष्य में आने वाले सर्वेक्षण कार्यों व निर्माण योजनाओं के लिये उनको भरती करने के बारे में मैंने राज्य सरकारों के साथ मामला उठाया है।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : प्रसुप्त अवस्था में रखे गए पदों के बारे में क्या है?

डा० त्रिगुण सेन : जी हाँ।

श्री मनुभाई पटेल : बेरोजगार जीनियर बहुत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो शिक्षा मंत्रालय में के आयोजन में कोई दोष है या फिर शिक्षा मंत्रालय तथा आयोजना-आयोग के मध्य समुचित समन्वय नहीं है। इस विचार से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्रालय ऐसी कोई परियोजना तैयार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसा न हो?

डा० त्रिगुण सेन : वर्ष 1951-52 से राज्य सरकारों और आयोजना-आयोग की सलाह से शिक्षा मंत्रालय ने संस्थानों का विस्तार करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। परन्तु दुर्भाग्य से, उद्योगों में अब भारी मन्दी है। चौथी योजना की परियोजनायें किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई हैं। इन्हीं कारणों से ही पिछले केवल दो-तीन वर्षों से बेरोजगारी हुई है। यही कारण है कि अब हम जन-शक्ति सम्बन्धी समिति तथा आयोजना आयोग से कह रहे हैं कि वे अपनी भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान दें। इसकी जाँच होने तक, बड़ी अनमनस्यक्ता के साथ, हमने मुख्य मंत्रियों तथा शिक्षण संस्थाओं से कहा है कि वे स्थानीय स्थिति के अनुसार स्थानों में कटौती

कर दें। हम तो केवल यही कर सकते हैं। अनुमानित आवश्यकताओं के हमारे पास कोई पक्के आँकड़े नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have to ask not a simple but a special question. In the Indian Mining School, Dhanbad, students from all parts of the country get a seven year training in different engineering departments viz. Petrolium, Technology and Mining Technology. But the Ministry of Petrolum in its Oil and Natural Gas Commission Department, appoints only ordinary B.Scs. and not those who have got a special training for seven years. Similarly, the mining department appoints those boys who pass the two-year departmental examination, but not those whom the Government prepared in seven years after spending ten thousand rupees on each. Leave aside the unemployment of the rest. I want to know whether the attention of the Hon. Minister has been drawn towards it, and if so, will he get it done after consulting the Ministry of Petroleum and the Mining Department ? Otherwise there is no nced of an Education Minister at Centre.

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे सहमत हूँ। यह सत्य है कि ये पाठ्यक्रम पैट्रोलियम मंत्रालय की सलाह पर आरम्भ किए गए थे। माननीय सदस्य द्वारा कहा गया यह भी सत्य है कि जिन लड़कों ने यह पाठ्य-क्रम पूरा किया उन्हें उस मंत्रालय ने नौकरियाँ नहीं दी। मैं यह प्रयत्न करूँगा कि जिस उद्देश्य से इस मंत्रालय ने धनबाद में यह पाठ्य-क्रम आरम्भ किया था उस उद्देश्य के लिये वे लड़के वहाँ रोजगार पा लें।

श्री मु० न० नाघनूर : कनाडा तथा अमरीका जैसे विकसित देशों से रोजगार देने तथा अध्ययन कार्यक्रमों के लिये प्रस्ताव आये हैं। अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील देशों से भी रोजगार देने के प्रस्ताव आये हैं। क्या सरकार अपने प्रतिभाशाली इंजीनियरों को अध्ययन और रोजगार के लिये वहाँ भेजने की सम्भावना पर विचार करेगी ताकि हमारी बेकारी की समस्या हल हो ?

डा० त्रिगुण सेन : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। संसार भर में जहाँ भी ऐसी सम्भावना है, हम उनको जाने की अनुमति देते हैं।

श्री लोबो प्रभु : बेकारी के लिये जो कारण बताये गए हैं उनमें कहा गया है कि अर्थ-व्यवस्था का अपेक्षित विकास नहीं हुआ, मन्दी के कारण अर्थ-व्यवस्था अवरुद्ध हुई है तथा निष्कार्य समर्थता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आयोजना आयोग से इन कारणों को प्राप्त करने के अतिरिक्त वह एक कारण व उद्देश्य और जोड़ेंगे कि निष्कार्य-समर्थता के विषय को पृथक से लेना चाहिये।

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि कर्मशालाओं और कारखानों में निष्कार्य-समर्थता को उपयोग करने के मामले को मैंने व्यक्तिगत रूप से हाथ में लिया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : सरकार के लिये क्या यह सम्भव है कि जहाँ इंजीनियरी कौशल की आवश्यकता है, उन विकासशील देशों में हमारे इंजीनियरों के लिये सरकार रोजगार के रास्ते ढूंढ़े ?

डा० त्रिगुण सेन : जी हाँ। हम यह कर रहे हैं।

श्री नम्बियार: उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए सब देशों के कारखानों में सबसे पहले यह शर्त होती है कि इसके साथ एक अनुसंधान और विकास शाखा संलग्न होनी चाहिये अन्यथा लायसेंस नहीं दिया जायेगा। परन्तु इस देश में ऐसा कोई नियम नहीं है तथा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं। क्या सरकार के लिये यह शर्त लगाना सम्भव होगा कि सब उद्योग एक-एक अनुसंधान शाखा रखें? इससे औद्योगिक विकास बढ़ेगा, स्तर भी ऊँचा होगा तथा बहुत सारे इंजीनियरों को रोजगार भी मिलेगा। समस्या का एक स्थायी हल निकल आयेगा। क्या वह इस पर विचार करेंगे?

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पिछले आठ या दस वर्षों से मेरा यही दृष्टिकोण रहा है। अब मैं यहाँ हूँ तथा बड़ी गम्भीरता से मामले को देख रहा हूँ।

Shrimati Lakshmi Kanthamma : In Andhra Pradesh only there are 6,000 jobless engineers at present and as many as three thousand students come out every year after passing engineering examinations. Their financial condition is the worse one. They have started selling their house-holds. I want to know as to how much time will be taken in the completion of the scheme proposed so as to provide employment to them ?

डा० त्रिगुण सेन : आन्ध्र प्रदेश में.....

An Hon. Member : Please answer in Hindi.

डा० त्रिगुण सेन : The Government of Andhra Pradesh have dismissed many of the Engineers. आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनको अपदस्थ कर दिया है। हम उन पर जोर डाल रहे हैं, we are making efforts ताकि वे उनको दोबारा भर्ती करें।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकतर महाविद्यालयों में निष्कार्य समर्थता है तथा प्रवेश कम कर दिए गए हैं। सैन्य तथा रेलवे विभागों द्वारा अलग ही शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थान और इंजीनियरी महाविद्यालय खोल दिए गए हैं तथा अपने लिये इंजीनियरों व अन्य तकनीकी कारूक उन्हीं संस्थानों से ले रहे हैं। इस तथ्य की दृष्टि में कि हमारे पास अब अत्यधिक ऐसे महाविद्यालय हो गए हैं, क्या हम सैन्य व रेलवे विभागों से नहीं कह सकते कि वे अपने यहाँ इंजीनियरी व सैनिक कालेज न खोलें ताकि दोहरा प्रयत्न न हो तथा वे अन्य कालेज और स्कूलों से आने वाले लड़कों को रोजगार दे सकें? यह भी एक तथ्य है कि हमारे इंजीनियरी कालेज बड़े प्रतिष्ठावादी हो गए हैं तथा वहाँ का प्रशिक्षण क्रियात्मक कम तथा सैद्धान्ति अधिक है तथा इसीलिये वहाँ से निकलने वाले लड़के क्रियात्मक कार्य के लिये अधिक उपयुक्त नहीं होते। अतः इंजीनियरी अध्यापन के लिये इंजीनियरी कालेजों में क्या कोई क्रियात्मक पूर्वग्रह नियत किया जायेगा?

डा० त्रिगुण सेन: मैं इनके पहले सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि रेल तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे संस्थान बन्द कर दिए जायें। वे संस्थान शिक्षार्थियों को विशिष्ट विषय का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये संस्थान विशष्ट कार्यों के लिये सीमित संख्या में लोगों को ले रहे हैं तथा इंजीनियरों के सामान्य पूल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरे सुझाव से मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि अब तक हमारी शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही रही है। अब हम इसे अधिक क्रियात्मक बनाने के लिये इसमें परिवर्तन कर रहे हैं।

श्री वी० चं० शर्मा: इन इंजीनियरों के सम्मुख दो समस्यायें हैं। प्रथम तो वे ऐसे पदों पर हैं जिनमें उनकी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं। दूसरे, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने उनको रोजगार मिलने तक प्रति मास कुछ देने के लिये क्या कोई सूची बना रखी है? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस पर विचार कर सकते हैं कि जब तक कि ये बेरोजगार इंजीनियर किसी संस्था में रोजगार प्राप्त न कर लें तब तक इनको कोई निर्वाह-भत्ता दिया जाये?

डा० त्रिगुण सेन: ऐसा करना सम्भव नहीं है, परन्तु जैसे कि मैंने कहा, हम नए स्नातकों के प्रशिक्षण के लिये अधिक स्थान ढूंढ़ रहे हैं जो कि एक-दो वर्ष के लिये वृत्तिका पर आयेंगे ताकि बाद में उन्हें रोजगार मिल सके।

श्री स० कुन्दू: भारत में प्राय: 70,000 बेरोजगार इंजीनियर हैं।

डा० त्रिगुण सेन: 70,000?

श्री स० कुंदू: जी हाँ, 70,000।

अध्यक्ष महोदय: खैर, संख्या का इतना महत्व नहीं है, उन्हें प्रश्न करने दें।

श्री स० कुंदू: इसका बहुत महत्व है। इससे स्पष्ट होता है कि बीस वर्ष बाद भी हमारी अर्थ-व्यवस्था क्रमश: गिरती जा रही है जब कि हम डींग हाँकते हैं कि वह प्रगति कर रही है। यह एक बड़ी दुर्घटना है। इससे हमारे युवा इंजीनियरों में निराशा और अनुशासन-हीनता उत्पन्न होती है। जैसा कि डा० रामसुभग सिंह के साथ हुआ कि जब वे एक दीक्षान्त समारोह में भाषण कर रहे थे कि एक लड़के ने आकर कहा--"मुझे यह डिगरी नहीं चाहिये, मुझे रोटी दो।" इस प्रकार की बातें उत्पन्न होती ही जायेंगी यदि सरकार इन 70,000 इंजीनियरों को तुरन्त रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं करती। अत: मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूँ...

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न-काल है।

श्री स० कुंदू: क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ के कि वह इंजीनियरों की एक ग्रामीय-विकास इंजीनियरी दल बनायें और एक पूल बनायें जहाँ सब इंजीनियरों को रोजगार देकर उस समय तक उनको कोई भत्ता दें जब तक कि वे किसी विभाग द्वारा गृहीत नहीं कर लिये जायें, ताकि सदा से उपेक्षित ग्रामों में जाकर वे सेवा कर सकें। वह इस प्रयोग पर प्रयत्न कर सकते हैं।

डा० त्रिगुण सेन: प्रश्न के पहले भाग में जो 70,000 की संख्या बताई गई है, मैं कृतज्ञ हूँगा यदि माननीय सदस्य मुझे इनकी सूची भी दे दें क्यों कि जो आँकड़े मुझे रोजगार-महानिदेशक से प्राप्त हुए हैं उनमें स्नातकों की संख्या प्राय: 7,000 तथा डिप्लोमा-धारियों की संख्या 28,000 है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा, क्यों कि इससे हमें आयोजन करने में सहायता मिलेगी।

दूसरे भाग का उत्तर मैं दे चुका हूँ।

श्री रणवीर सिंह: भारी संख्या में विद्यार्थियों ने स्वयं को बन्दी बनवाया तथा स्वयं को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी माना और इसका प्रभाव नौकरी के पुनर्स्थापन में बाधा बनेगा। क्या मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह राज्य सरकारों को आदेश दें कि यह दोष उनके रोजगार के लिये अयोग्यता सिद्ध न हो?

डा० त्रिगुण सेन: यदि मुझे उन राज्यों का नाम ज्ञात हो तो मैं उन्हें लिख दूंगा।

श्री सेझियान: स्वयं मंत्री महोदय के अनुसार ही कि 7,000 स्नातक बेकार हैं तथा यह संख्या आगे आने वाले वर्षों में बढ़ जायेगी, तो सरकार के पास ऐसी कोई परियोजना है कि सरकार उन्हें कोई अग्रिम धन तथा अन्य सुविधायें देगी ताकि वे कोई छोटे उद्योग आरम्भ कर सकें जहाँ से वे अपने तकनीकी ज्ञान से देश में उत्पादन बढ़ा सकें तथा स्वयं को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करा सकें?

डा० त्रिगुण सेन। जी हाँ। पहले हम क्रियात्मक प्रशिक्षण देकर हजारों लड़कों को निपटायेंगे। हम ऐसी भी एक परियोजना पर विचार कर रहे हैं कि वे संयुक्त रूप से काम कर सकें।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, a large number of engineers are jobless in the country at present. Will the Government formulate certain rules under which it will stop giving such education until they are given work? Secondly, please give the number of foreign engineers working in this country?

डा० त्रिगुण सेन: एक इंजीनियर को प्रशिक्षण देने के लिये 5 वर्ष तथा एक डिप्लोमा-धारी को लगभग 3 वर्ष लगते हैं। हमने साज-सामान तथा कर्मचारी-वृन्द का प्रबन्ध करने के बाद ये संस्थान स्थापित किए हैं। उन्हें बन्द करने का हमारा कोई कार्य-क्रम नहीं है। हमने निर्णय किया है कि इन सुविधाओं का विस्तार न किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, the number of foreign engineers has not been given.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

मुंगेर के निकट गंगा-जल में अग्नि-ज्वाला

5. **श्री मधु लिमये**:
श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:
श्री भोगेन्द्र झा:
श्री कामेश्वर सिंह:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 3 मार्च, 1968 को मुंगेर तथा जमालपुर के निकट गंगा नदी के जल में आग की लपटें उठी थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरौनी तैल शोधक कारखाने से पैट्रोलियम बह निकलने के कारण आग लगी थी;

(ग) क्या पैट्रोल मिल जाने से इस पानी के दूषित हो जाने के कारण मुंघेर तथा जमालपुर नगरों को पानी की सप्लाई बन्द कर दी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में जाँच की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (घ) आग लगाने की सूचना मिलने पर सरकार ने भारतीय तेल निगम को तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया। केन्द्रीय विद्युत् एवं जल आयोग का एक विशेषज्ञ भी भेजा गया, जो स्थिति को जानने में सहायता कर रहा है। मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) ऐहतियात के तौर पर मुंगेर-जमालपुर में पानी की सप्लाई अस्थायी रूप में रोक दी गई थी। उस समय से ही सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मुंघेर ने आदेश जारी किया है जिसमें बरौनी तेल शोधक कारखाने के महाप्रबन्धक से कहा गया है कि नदी में कारखाने का कचरा आदि न छोड़ा जाय। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कल निदेश दिया कि कारखाने को फिलहाल बन्द कर दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : Why did the hon. Minister not taken the House into confidence that six persons died in Monghyr District due to contaminated water supply and effluents of the refinery were being discharged into the river. I had given notice to the Prime Minister some 3-4 days back and if timely action had been taken, these deaths could, perhaps, have been prevented.

A spokesman of the Indian Oil Corporation has stated the effluents were not being discharged into the Ganga from the Bombay Refinery and that they were not at fault. Has this phenomenon suddenly emerged in the Ganga waters ?

Do Government propose to issue instructions to the Barauni Refinery officials to supsend the discharge of effluents pending the completion of an enquiry even if the Refinery is to be shut up for some time. Are tanks etc. being arranged with the help of military for the supply of pure water to the populace of Monghyr?

श्री रघुरामैया : सरकार को आज सुबह मृत्यु की खबर सून कर बड़ा दुख हुआ है। कल कुछ इस प्रकार की अफवाह सुनकर मैंने सचिव से कहा कि वह बिहार सरकार के मुख्य सचिव से बात करें और मुख्य सचिव ने कल कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आज सुबह फिर समाचार-पत्रों की खबर मिलने पर मुख्य सचिव से बात की गई और उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसे समाचार मिले हैं। यह तो मामले का एक पहलू है। जहाँ तक नदी में कचरा का मैल आदि छोड़ने का सम्बन्ध है, उचित जाँच किए बिना कुछ भी कहना ठीक न होगा। एक निश्चित सीमा तक केवल बरौनी में ही नहीं अपितु गोहाटी और कोपाली तेल-शोधक कारखानों के सम्बन्ध में भी कचरा नदी में छोड़ा जाता है। कचरे में तेल की निश्चित मात्रा होती है। इस मामले में भी बिहार सरकार की सम्मति से यह मात्रा निश्चित की गई है। अब, इस मामले में यह तेल की

मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक थी या उसके समान थी एक जाँच करने की बात है। यदि जाँच के पश्चात् किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

Shri Madhu Limaye : Are arrangements being made for the supply of pure water by erecting tanks etc.?

श्री रघुरामैया : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक अधिकारी को हमने वहाँ अपनी ओर से भेजा है। राज्य सरकार तथा वह दोनों स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और यदि केन्द्रीय सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता हुई तो हम उसके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

Shri Madhu Limaye : What active arrangemnts are being made by the Centre to restore the supply of pure water immediately ?

श्री रघुरामैया : राज्य सरकार जो भी सहायता माँगेगी वह हम देंगे। जाँच के पश्चात् ही यह पता चल सकता है कि ऐसा बरौनी तेल शोधक कारखाने के कारण हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि तेल-शोधक कारखाने में किसी व्यक्ति की लापरवाही और मशीनों में कोई खराबी पड़ जाने के कारण गंगा नदी में लगभग 1600 टन कचरा, जिसमें तेल की मात्रा निर्धारित मात्रा से काफी अधिक थी छोड़ा गया था। क्या तैरने वाले पदार्थ का नमूना ले कर उसका विश्लेषण किया गया है ?

श्री रघुरामैया : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 3 और 4 तारीख को भी हमारे लोगों ने वहाँ जाकर जल का निरीक्षण किया था। वास्तविक दूरी 40 मील की है। कारखाने से 6 मील की दूरी तक यह कचरा पाइप लाइन में होकर जाता है। ये सब बातें जाँच का विषय हैं। लिये गए पानी के नमूनों के परिणाम इस प्रकार हैं: कास्था हराई घाट में "सेम्शन वाटर पम्प में–12 भाग प्रति 10 लाख; कास्था हराई घाट में पम्प से गुजरने के पश्चात् 6 भाग प्रति 10 लाख।

Shri Kameshwar Singh : Is any action being taken against the officers of the Baruani Refinery who had asserted that this water did not belong to refinery ? What arrangement have been made to apprise the rural population of the danger of drinking this contaminated water ?

श्री रघुरामैया : जब मुझे पता लगा कि भारतीय तेल निगम के अधिकारियों ने ऐसा कहा है तो मैंने अपने अधिकारियों से परामर्श किया और उनसे पूछा कि ऐसी सूचना क्यों दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया और पाइप लाइन को कहीं से भी टूटा हुआ नहीं पाया। मुझे यह भी बताया जाता है कि यदि पाइप से कहीं कचरा निकल रहा होगा तो कारखाने के दाब में जरा सी भी गिरावट का तुरन्त पता चल जायेगा। दाब में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

Shri Kameshwar Singh : Have the rural population been informed of the danger of drinking this water ?

श्री रघुरामैया : राज्य सरकार को मामले की पूरी जानकारी है और ग्रामीण जनता के कल्याण-कार्य से उनका मुख्य रूप से सम्बन्ध है। फिर हमसे जो सहायता माँगी जायेगी हम देंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह पहली बार नहीं है जब कि भारतीय नदी का पानी कचरा तेल आदि छोड़ने के कारण दूषित हुआ है। इससे पहले भी ऐसी अनेक घटनायें घट

गई हैं। विदेशों में जब यह समस्या सामने आई तो उन्होंने कचरे को स्थानीय रूप से उपभोग करने के आधुनिक तरीके निकाले। क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करना चाहती है जिससे कचरे आदि को नदियों में न छोड़ा जाये? दूसरे, क्या ये कारखाने कचरा आदि छोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं ताकि नदियों के पानी के दूषित होने से लोगों की जानें न जायें?

श्री रघुरामैया : यह एक सुझाव है जिसकी जाँच की जा सकती है।

Shri N. T. Das : I was in Monghyr itself on the 3rd and 4th instants. Are Government aware that :

"(i) the town went without water for three days affecting two lakh population ;

(ii) regular bath in river stopped ;

(iii) several hundred maunds of fish died in water or rotted after fishing ;

(iv) fire broke out at the surface of Ganges which burnt several boats and had to be extinguished by fire brigade.

(v) nearly 500 prisoners in Monghry jail had to go without food or water and similar was the fate of schools and colleges and their hostels and two hospitals ; and

(vi) Monghyr Municipality had to renovate its entire water works costing lakhs of rupees as poisonous kerosene product passed though it".

May I know if and when the Governmnt wuld give compensation for the damages and loss of property ?

श्री रघुरामैया : परसों मैंने स्वयं यह प्रश्न पूछा था। अपने मंत्रालय के विशेष सचिव से जन-धन की हानि का पता लगाने के लिए मैंने कहा था। वह कोई जानकारी न दे सके। अतः हम अभी भी हानि के बारे में प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Dr. Sushila Nayar : Those six deaths in Monghr is not a localised incident. It is a serious thing affecting the entire country. To what extent is there co-ordination and consultation between the Ministry of Health and the Ministry of Petroleum and who has settled these permissible levels ? Secondly, what is the progress of the control on river pollution legislation in India because many of the rivers here are being polluted ?

श्री रघुरामैया : जहाँ तक इस मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, हमें बिहार सरकार के अधिकारियों से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें यह कहा गया है:

"मैं यह सूचना देता हूँ कि श्री सन्याल के प्रतिवेदन के अनुसार तेल-शोधक कारखाने से गंगा में कचरा आदि छोड़ने के सम्बन्ध में सरकार तथा लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।"

उस समय जब योजना बनाई गई थी, तो हमने बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति प्राप्त की थी। जहाँ तक नदियों के पानी के दूषित होने के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री उस विषय पर अच्छी जानकारी दे सकते हैं।

Shri A. B. Vajpayee : From the hon. Minister's reply it appears that the Central Government is treating this serious issue in a most cavalier fashion. Could not the hon. Minister contact

the relevant Minister of the State Government and arrange the supply of drinking water immediately ? Could they not rise above the official level to take up this matter at their own levels.

श्री रघुरामैया : इस मामले में बिहार सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय को बिहार सरकार से अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने स्वयं पहल की और मैं समझता हूँ कि हमें अतिशीघ्र जानकारी मुख्य सचिव से ही प्राप्त हो सकती थी क्योंकि वह एक स्थायी अधिकारी हैं और जिला मैजिस्ट्रेट से उनका सम्बन्ध होता है।

Shri Shiv Chandika Prasad : May I know whether the water of the Ganga has become polluted at Monghyr only or in the further reaches of the River also.

श्री रघुरामैया : इन सब प्रश्नों की जाँच की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने विभिन्न तेल-शोधक कारखानों को आदेश दिया है कि वे अपना कचरा आदि नदियों में न बहायें चाहे गंगा हो या ब्रह्मपुत्र ?

श्री रघुरामैया : मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह जाँच हो जाने तक कोई धारणा इसके बारे में न बनायें। तेल-शोधक कारखाने स्थापित करते समय विभिन्न सरकारी अधिकारियों से परामर्श किया जाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए कचरे आदि की मात्रा निश्चित की जाती है। इस मामले में जो कुछ हुआ है, हम उसकी जाँच करेंगे।

Shri Kunwar Lal Gupta : The hon. Member just now stated that they would give whatever help is required by the Bihar Government. Will the Central Government on its own initiative extend aid and assistance in regard to the supply of drinking water as the State Ministry is busy in saving its own life ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूँ कि हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार सरकार के परामर्श से हम विचार कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायें।

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार पानी के दूषित होने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई विधान लाने पर विचार करेगी ?

सभापति महोदय : इस प्रश्न का उन्होंने कई बार उत्तर दे दिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : Are Government considering any scheme for the supply of drinking water and for finding out some other way for the disposal of the refinery elements other than the one of discharging it into the river ?

श्री रघुरामैया : कोई भी नया उद्योग चालू करते समय जो पूर्वोपाय किए जाते हैं उनके सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि इस मामले में जाँच के परिणामस्वरूप कोई दोष सामने आता है, तो हम सारी पद्धति की जाँच करेंगे।

Shri Mrityunjaya Prasad: Is any research being conducted within the country to find out the various uses to which the refinery discharge can be put to and are Government prepared to take advantage of the research so far done in the world in this direction ?

श्री रघुरामैया : जहाँ तक मुझे पता है, कचरे को छोड़े बिना कोई भी तेल-शोधक कारखाना नहीं चलाया जा सकता है। यह एक तकनीकी प्रश्न और विशेषज्ञों से सम्बन्ध रखता है कि इस कचरे को कितनी मात्रा नदी में छोड़ा जाना चाहिये कि मानवीय जीवन को इससे कोई खतरा न हो। जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी त्रुटि का पता लगा तो हम निश्चय ही उसे दूर करेंगे।

Shri K. N. Tiwary : Have Government received a report from the Bihar Government to the effect that the water supplied for consumption contains such substances as cannot be purified ?

श्री रघुरामैया : यह जाँच का विषय है।

Shri Sarjoo Pandey : The adulteration, these days, has gone to such an extent that this Government has not spared even the pure water of the Ganga. Are efforts being made to check this pollution of the water in future ?

श्री रघुरामैया : इस राज में मिलावट संसार में सबसे कम है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : चूंकि तेल तेल-शोधक कारखाने से बह कर गया है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि कारखाने के अधिकारी मामले को दबाना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस मामले की जाँच करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के किन्हीं तकनीशनों को भेजेंगे ताकि जांच न्यायोचित हो ?

श्री रघुरामैया : मैंने भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष को कहा है कि वह स्वयं जा कर जाँच करावायें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में पत्तनों का तलकर्षण

*511. श्री बा० रा० परमार : श्री रा० की० अमीन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कुछ पत्तनों में मिट्टी जमा होती जा रही है क्यों कि वहाँ पर तलकर्षण की उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) इन पत्तनों पर कितने ड्रेजर हैं तथा क्या वह सभी ठीक दशा में हैं और काम के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पत्तनों की मिट्टी निकालने के लिये और अधिक ड्रेजरों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ग) माननीय सदस्य का संकेत स्पष्टतः गुजरात के लघुपत्तनों की निकर्षण समस्याओं पर है। बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास और रखरखाव का दायित्व

संबद्ध राज्य सरकारों का है। गुजरात की राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि नदियों या सकरी खाड़ियों के मुहानों पर स्थित कुछ पत्तनों में पर्याप्त मात्रा में रेग जमा हो रही है। इन पत्तनों की मूल और रखरखाव निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुजरात की राज्य सरकार के पास 9 निकर्षक हैं जिनमें से 6 अपना समय समाप्त कर चुके हैं। किन्तु विशेष मरम्मत किए जाने बाद ये निकर्षक भी उपयोग में लाये जा रहे हैं।

2. गुजरात में लघु पत्तनों की तुरन्त आवश्यताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार के काम के लिए माइनर पोर्ट ड्रेजिंग एन्ड सब लांच पूल का एक कटर सकरान निकर्षक दिया है। राज्य सरकार ने यह भी रिपोर्ट की है कि वे प्रति घन्टा 500 टन क्षमता का एक कटर सेक्शन निकर्षक और प्रति घंटा 200 टन क्षमता का एक ग्रैब निकर्षक खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ऊनके लिए निविदाये प्राप्त हो गई हैं। और इनकी छान-बीन की जा रही है। इनमें से एक निकर्षक के निर्माण के लिए आयातित संघननों की लागत पूर्ति के लिए भारत सरकार आवश्यक विदेशी मुद्रा देने को सहमत हो गई है।

भारतीय नौवहन निगम

*512. **श्री ईश्वर रेड्डी** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी नौवहन निगम की कार्यवाहियों का और अधिक विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) :

(क) और (ख) : देश के टन भार और व्यापारिक आवश्यकताओं के प्रकाश में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया बम्बई निरन्तर अपने विस्तार कार्यक्रम का पुनरीक्षण करता रहा है। 1971 तक कारपोरेशन के बेड़े के विस्तार के मुख्य आयोजित लक्षण, जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर लिए गए हैं, ये हैं:—

(क) मौजूदा समुद्रपारीय मालवाहन सेवाओं को सशक्त करना।

(ख) सरकारी क्षेत्र रिफाइनरी और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कच्चा तेल परिवहन करने के लिये कच्चा तेल वाहियों की प्राप्ति।

(ग) खनिज के आयात के लिये बड़े प्रकार के माल वाहनों की प्राप्ति।

(घ) गैर विपुल प्रकार के समुद्रपार ट्रैम्प व्यापार में प्रवेश।

तीसरी योजना की समाप्ति पर अर्थात् 31-3-66 तक कारपोरेशन के पास 3.04 लाख जी० आर० टी० (4.33 लाख डी० डब्लू० टी०) के 35 पोत थे और 2-3-1968 तक कारपोरेशन के पास 4.29 लाख जी० आर० टी० (6.06 लाख डी० डब्लू० टी०) के 49 पोत थे। कारपोरेशन का ध्येय 1 मिलियन जी० आर० टी० (लगभग 15 मिलियन डी० आर० टी०) तक मार्च 1971 तक पहुँच जाने का है।

टनभार के विस्तार के लिये निम्न उपाय किए गए हैं :—

(1) कुल मिलाकर 1.97 लाख जी० आर टी० (2.56 लाख डी० डब्लू० टी०) के 23 जहाजों के लिये भारत में (जिनमें से 18 हिन्दुस्तान शिपयार्ड को) और कुल मिलाकर 5.49 लाख जी० आर० टी० (8.11 लाख डी० डब्लू० टी०) के 11 जहाजों के लिए विदेशों में आयोग ने आदेश दिये हैं।

(2) आयोग द्वारा कुल मिलाकर 4 लाख से अधिक जी० आर० टी० के और जहाजों के लिये अगले कुछ वर्षों में आदेश दिए जाने की संभावना है।

(3) आयोग ने खुले तेल / धातुक / खाद्यान्न व्यापार में प्रवेश करके अपने व्यापार के और विशाखन का कार्यक्रम तैयार कर लिया है और प्राप्त किए जाने वाले जहाजों में खुले माल-वाहक, सुपर टैंकर और तेल / धातुक वाहक शामिल हैं।

गोहाटी में हुए दंगों में पाकिस्तान का हाथ

*513. **श्री सीताराम केसरी** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में आसाम में दंगों के दौरान कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में ट्रकों में घूमते हुए देखा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए कार्यवाही की गई थी तथा कितने पाकिस्तानी पकड़े गए थे तथा पाकिस्तान के राजकीय तथा राजनैतिक क्षेत्र में उनके स्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ वर्षों से पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ के समाचार प्राप्त हुए हैं, क्या सीमा को बन्द कर देने के लिये कोई कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) राज्य सरकार के अनुसार, इस बात का अब तक कोई प्रमाण नहीं है कि गोहाटी उपद्रवों से सम्बन्धित व्यक्तियों में कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन शामिल थे।

(ख) इन उपद्रवों में भाग लेने के कारण कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर भी, राज्य सरकार स सम्बन्ध में और जाँच कर रही है।

(ग) पाकिस्तान के साथ की असम-सीमा की देख-भाल करने तथा पाकिस्तानियों की भारत में घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा दल द्वारा सीमा की देखभाल चौकियों की संख्या में वृद्धि, निगरानी चौकियों की स्थापना तथा ग्राम प्रतिरक्षा दलों का सहयोग प्राप्त करना जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

Madras Assembly Resolution on Language

*514. **Shri Madhu Limaye :** **Shri S. C. Samanta :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the motion on language passed by the Madras Legislative Assembly :

(b) whether similar restrictions have been imposed by other States also ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Yes, Sir.

(b) No intimation about such restrictions has been received from any other State.

(c) The matter is under consideration.

स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन

*515. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री काशीनाथ पाण्डे :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निधन की जाँच के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कई वस्तुएं बरामद की गई थीं। जाँच जा ी है।

(ख) अब तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

तमिलनाड विद्यार्थी आन्दोलन

*517. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तमिलनाड के विद्यार्थियों द्वारा पारित यह संकल्प मिल चुका है कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं की गईं, तो तमिलनाड शेष देश से अलग होने की माँग करेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) कोयम्बतूर में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन परिषद् द्वारा 10 जनवरी, 1968 को पारित संकल्प में मुख्य माँग यह है कि हाल में पारित किए गए राज-भाषा (संशोधन) अधिनियम को वापिस लिया जाए तथा त्रिभाषी सूत्र को लागू न किया जाय।

(ग) त्रिभाषा सूत्र राजभाषा (संशोधन) अधिनियम को वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं है। केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के समय असमानता हटा लेने की सीमित समस्या पर राजनैतिक दलों से परामर्श करके सहानुभूतिपूर्ण तथा ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा। भाषा विवाद पर राष्ट्रीय

एकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धैर्यपूर्ण तथा निरपेक्ष रूप से विचार करना आवश्यक है।

विवेकाधीन अनुदानों का कथित दुरुपयोग

*518. **श्री उमानाथ :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि चुनाव के अवसर पर विवेकाधीन अनुदानों (मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन) से भुगतान करना एक बुरी प्रथा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस 'बुरी प्रथा' के पूरे ब्यौरों का पता लगाने के लिये सरकार का विचार इस संबंध में जाँच करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ) मामले की परीक्षा की जा रही है।

मिजो विद्रोहियों द्वारा आतंक फैलाना

*519. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-कानूनी मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजो जिले में अब आतंक और बर्बादी फैला रखी है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिजो विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ तेज करने पर, विद्रोहियों ने मिजो पहाड़ियों में लोगों को डराने तथा तंग करने के लिये अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। विद्रोहियों के विरुद्ध सुरक्षा-दलों की कार्यवाहियाँ जारी हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का अध्ययन

*520. **श्री मंगलायुमाडोम :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी भाषी राज्य में जो गैर-सरकारी संस्थायें हिन्दी पढ़ाने का काम करती हैं क्या उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वित्तीय सहायता दी जायगी, और

(ग) सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) से (ग) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसार और विकास के लिए, जिसमें अहिन्दी भाषियों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी अध्यापन-कक्षाएं चलाना भी है, स्वैच्छिक

हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । अनुमोदित योजनाओं के स्वीकृत खर्च के 75 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

मैसूर राज्य के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

*521. **श्री क० लकप्पा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद मैसूर राज्य के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप में तैयार कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम सूची तैयार करने में कितना समय लगने की संभावना है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) 2,858 राजपत्रित अधिकारियों तथा 35,620 अराजपत्रित अधिकारियों में से, जो 1 नवम्बर, 1965 को स्वीकृत किए जाने थे, 1,877 राजपत्रित अधिकारियों के लिये तथा 18,664 अराजपत्रित अधिकारियों के लिये वरिष्ठता की अन्तिम सूचियां मैसूर सरकार द्वारा अब तक प्रकाशित की गई हैं ।

(ख) कार्य की जटिलता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालयों में अनेक मामले लंबित हैं, कार्य की पूर्ति के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी शेष वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन का काम पूरा करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

इंजीनियरों में बेरोजगारी

*522. **श्री हिम्मतसिंहका**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरी के स्नातकों और डिप्लोमाधारियों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार दिल्ली में पोलिटेक्नीक और इंजीनियरी कालेजों में सीटों की संख्या धीरे-धीरे कम करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी तकनीकी और इंजीनियरी कालेजों में सीटों में इस प्रकार की कटौती करने अथवा इंजीनियरी कालेजों को बन्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) से (घ) इंजीनियरों की वर्तमान बेरोजगारी को देखते हुए तकनीकी संस्थाओं में 25,000 विद्यार्थियों के वर्तमान दाखिले के स्तर को लगभग 15-16,000 विद्यार्थियों तक सीमित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में किस सीमा तक कटौती करने की आवश्यकता है, यह बात अभी तक विचाराधीन है तथा जीनियरों और तकनीशियनों के ठीक-ठीक अनुपात के अनुसार इसका निर्णय किया जाएगा।

गोहाटी हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक विमान चालक तथा एक व्योम-बाला के साथ कथित दुर्व्यवहार

*523. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्रूगढ़ से वापसी उड़ान के समय 24 जनवरी, 1968 को गोहाटी हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक विमान चालक तथा एक व्योम-बाला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो जब 'आसाम बन्द' दिवस पर दंगे होने की आशंका थी तो चालक कर्मचारियों के लिये पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय व्यावसायिक विमान-चालक संघ ने गोहाटी से बच कर उड़ान भरने का निर्णय किया है क्योंकि हवाई अड्डा अधिकारी हवाई अड्डे के अन्दर भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो भविष्य में ऐसी घटनाएँ न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विमान-चालक और एक विमान-परिचारिका के साथ गोहाटी हवाई अड्डे पर 24 जनवरी, 1968 को एक घटना घटी।

(ख) हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुरक्षा कर्मचारी हवाई अड्डे की सीमा के अन्दर रोजमर्रा के अनुशासन को बनाये रखने के लिये हैं। वे गम्भीर प्रकृति के जन-उपद्रवों या अव्यवस्थाओं का सामना करने के लिए लैस नहीं होते। वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ग) कॉमर्शियल पायलट्स एसोसियेशन की ओर से कारपोरेशन को एक सूचना दी जा चुकी है कि वे हड़ताल या जन-उपद्रवों के दौरान उचित सुरक्षा प्रबन्धों के बगैर विमान सेवाएँ नहीं चलायेंगे।

(घ) : हवाई अड्डा अधिकारियों ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है।

Pro-Pakistani Elements in Delhi

*524. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn towards the recent statement made by the Chief Executive Councillor that there is a pro-Pakistani group in Delhi ;

(b) whether he has sent a list of Pakistani nationals to his Ministry who have no valid documents for staying in India ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No such statement was recently made by the Chief Executive Councillor.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

विशेष-कार्य अधिकारियों की नियुक्ति

*525. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों में विशेष-कार्य अधिकारियों की नियुक्ति की कसौटी क्या है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कितने विशेष-कार्य अधिकारी हैं तथा उनके वेतनमान क्या हैं; और

(ग) क्या उन्हें इन विशेष-कार्य अधिकारियों की पदोन्नति में असमानता के बारे में किसी से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) विशेष-कार्य अधिकारियों के पद, भर्ती नियमों के अनुसार अथवा तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं यदि पद के क साल से अधिक जारी रहने की सम्भावना न हो।

(ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 391/68]**

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज

*526. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : **श्री बे० कू० दास चौधरी**:

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 8 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीवानी मुकदमा पूरा हो चुका है; और

(ख) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को सतर्क कर दिया है कि वे मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कोई लेन-देन न करें?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) जी, नहीं।

राज्यों में विभिन्न सेनाओं के विरुद्ध कार्यवाही

*527. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : **श्री श्रीगोपाल साहू** :
श्री नाथू राम अहिरवार

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में हाल में बनी गोपाल सेना ने राज्य के शांत नागरिकों पर अत्याचार किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बम्बई में शिव सेना को तथा विभिन्न राज्यों में अन्य सेनाओं को उसी तरह की चेतावनी दी गई है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) मैंने केरल के मुख्य मंत्री को यह अनुरोध करते हुए लिखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के स्वयंसेवकों द्वारा केन्नानोर में प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री की नाटकीय गिरफ्तारी की जो खबरें अखबारों में छप रही हैं उनकी जाँच कराई जाय। मुख्य मंत्री की प्रतिक्रिया थी कि जिन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।, किन्तु जब ये प्रदर्शन अपनी सीमा के बाहर हो जायेंगे और जान-माल पर हमला होने लगेगा तो कार्यवाही की जायगी।

(ग) सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि विशिष्ट मामलों में उचित कार्यवाही की जाती है।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संगठन फेडरेशन

*528. **श्री वी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1966 में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित वेतन पुनरीक्षण योजना की क्रियान्विति न कि जाने के विरोध में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संगठन फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने वार्षिक परीक्षाओं के अवसर पर अप्रैल, 1968 में एक आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) संघ द्वारा 14-2-1968 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संघ की कार्यकारी समिति ने यह निर्णय किया है कि यदि वेतन-मानों में संशोधन को योजना के कार्यान्वयन के तरीके में अगली अप्रैल तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो इस प्रक्रिया को उलटने के लिए एक अखिल भारतीय आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार करने का कार्य समिति अपने ऊपर ले लेगी।

(ख) और (ग) संशोधित वेतन-मानों की योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न मूल रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है और राज्य सरकारों को लगातार इसकी याद दिलाई जा रही है।

Use of Hindi for Official Work

*529. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Punjab Government have stopped the use of Hindi in the State for official work ; and

(b) whether the Central Government propose to take any action in regard thereto keeping in view the rights and interests of 30 percent people forming the linguistic minority ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Punjab Official Language Act, 1967 provides for the use of Punjabi alone for the official purposes of that State.

(b) There is already an adequate machinery, Constitutional and otherwise, to safeguard the interests of linguistic minorities.

न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

*530. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किए जाने के बाद उनको कोई अभ्यावेदन/सुझाव दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उस मामले पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उनके उपार्जित अवकाश का लाभ उठाने दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जीहाँ, श्रीमान् । सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये सरकार को कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। परन्तु यह निर्णय किया गया कि अभी इन सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय।

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में चार मास तक की छुट्टियाँ अधिकतम् आधे भत्तों पर कुछ शर्तों के साथ, आगे ले जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

*531 **श्री कृ० मा० कौशिक** : **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ;

(ख) क्या उस आयोग के काम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है ; और

(घ) उस आयोग द्वारा कितने कार्यकारी/अध्ययन दल नियुक्त किए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 35,19,434 रु० (31 जनवरी, 1968 तक) ।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य की पूर्ति के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। परन्तु आयोग को लगभग सितम्बर, 1968 तक अपना काम पूरा कर लेने की आशा है।

(घ) आयोग ने कुल मिलाकर 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारी दल, 4 विशेषज्ञ दल और एक कार्य संगठन की नियुक्ति की है।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारी

*532. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के कर्मचारियों ने 21 फरवरी, 1968 से स्वेच्छा से तथा सामूहिक रूप से गिरफ्तार होने का संकल्प किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। 21 फरवरी, 1968 को कर्मचारियों ने स्वेच्छा से तथा सामूहिक रूप से कोई गिरफ्तारी नहीं दी और न ही कोई गिरफ्तारियां की गईं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

किसानों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा

*533. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फावड़ों तथा बेलचों से लैस हजारों किसान 150 मील लम्बी पड़ती भूमि पर, जो कि गंगा के पूर्वी तट से राम गंगा के पश्चिमी तट तक लगभग 5 लाख एकड़ है, कब्जा करने पर उद्यत हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूमि सरकारी है और उस पर खेती नहीं हो रही है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पब्लिक स्कूल पद्धति

*534. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि देश में हम जो नया लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज स्थापित करने के इच्छुक हैं उसमें पब्लिक स्कूल पद्धति को कोई वैध स्थान प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान पब्लिक स्कूल पद्धति के उन्मूलन के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवश्यक परिवर्तन के लिए सभी तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए सरकार का विचार ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स आयोग की भाँति एक विशेष आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विकल्प उपाय क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा-प्रणाली में जो पृथककरण, अमीरों के स्कूल (इनमें न केवल पब्लिक स्कूल शामिल हैं बल्कि बड़ी संख्या में वे प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं जो बहुत अधिक फीस लेते हैं) और गरीबों के स्कूलों का भेद यथा-शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए तथा नियोजित विकास कार्यक्रम द्वारा पब्लिक शिक्षा की एक नई स्कूल प्रणाली चालू करनी चाहिए।

इसमें पब्लिक स्कूलों को और दूसरे स्कूल जिनमें बहुत अधिक फीस ली जाती है को सामान्य स्कूल प्रणाली में परिवर्तित किया जाना शामिल है, उनको समाप्त किया जाना नहीं।

(ख) से (ङ) शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार का है।

अराजकता

*535. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हेमराज :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर अराजकता फैल रही है; जिससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा हैं; और

(ख) यदि हाँ तो देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए आन्दोलनों तथा उपद्रवों में विधि तथा व्यवस्था के अनेक उल्लंघनों पर सरकार को बहुत खेद है। संविधान के अधीन राज्य सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा न्याय-प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हिंसात्मक आन्दोलनों को रोकने तथा किसी हिंसात्मक कार्य के सम्बन्ध में दृढ़ कार्यवाही करने के हेतु आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कदम उठाये जाते हैं। फिर भी भारत सरकार इन मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है तथा उचित सहायता, जब कभी माँगी जाती है, प्रदान करती है।

दिल्ली अध्यापकों की हड़ताल

*536. **श्री स० कृन्डू : श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बहुत से अध्यापक हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने अध्यापक इस हड़ताल में शामिल हैं और उन्होंने किन कारणों से यह हड़ताल की है ;

(ग) उनकी माँगें पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या हड़ताल कर रहे अध्यापकों को दण्ड दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों ने 19 फरवरी, 1968 से हड़ताल आरम्भ की थी लेकिन यह हड़ताल 4 मार्च, 1968 को समाप्त हो गई थी।

इस हड़ताल में दिल्ली के कुल शिक्षकों में 71.5 % से 80 प्रतिशत शिक्षक शामिल हुए।

शिक्षकों ने अपनी तीन निम्नलिखित मागों के कारण हड़ताल का सहारा लिया (1) वेतनमानों को दोहराया जाना, (2) शिक्षा पर समान नियंत्रण, (3) सेवा शर्तों में असमानता।

दिल्ली के शिक्षकों के वेतनमानों को दोहराया जा चुका है। जहाँ तक प्राइमरी स्तर से हायर सेकेन्डरी तक समान शिक्षा नियंत्रण का प्रश्न व सेवा की शर्तों में असमानता का प्रश्न है दिल्ली प्रशासन तथा स्थानीय निकायों, जो मुख्यत: इससे सम्बद्ध हैं, को इस सम्बन्ध में विचार करना है और सर्वप्रथम इस मामले में एक निर्णय पर पहुँचना है।

(घ) जी नहीं,

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sheikh Abdullah's Speech at Aligarh University

*537. **Shri Nathu Ram Ahirwar : Shri Ram Avatar Sharma: Shri K. P. Singh Deo :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah delivered an anti-national provocative speech before the students of the Aligarh University ;

(b) whether it is also a fact that the Government of U. P. have sought Central Government's permission for prosecuting Sheikh Abdullah ;

(c) if so, whether the permission has been granted by the Central Government ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) to (d) Information was received through a letter from the Chief Minister, Uttar Pradesh that they have decided to prosecute Sheikh Abdullah for the speech delivered by him in Aligarh. It is also understood from the Uttar Pradesh Government that the State Government want to know the reaction of the Central Government in this respect. We have called for the original text of the speech from the Uttar Pradesh Government so that it could be examined here.

गैर सरकारी जहाजरानी समवायों का विलय

*538. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी जहाजरानी समवायों का विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके और अधिक पूंजी की आवश्यकता की भी पूर्ति की जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में जहाजरानी समवायों की प्रतिक्रिया क्या है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना कर सकने के लिये गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को विलय कर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमन्डल

3231. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने तथा किन-किन तारीखों को भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल विदेशों में गए, उनके सदस्य कौन-कौन थे और वे किन-किन देशों में गए थे;

(ख) प्रत्येक यात्रा पर विमान-भाड़ा सहित कुल कितनी भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ग) प्रत्येक यात्रा में कितना समय लगा और इन शिष्टमंडलों ने क्या-क्या काम किया;

(घ) इन शिष्टमण्डलों को विदेशों में भेजने से देश को वास्तव में क्या लाभ हुआ; और

(ङ) वर्ष 1968 में विदेशों में ऐसे कितने शिष्टमंडल भेजने की योजना है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 392/68]**

(ग) और (घ) दौरों की अवधि विवरण-पत्र में दी गई है। शिष्ट मंडलों में भाग लेने वाले कलाकार, छात्र, सांस्कृतिक लैक्चरर्स और अपनी प्रदर्शनियों के साथ जाने वाले कलाकार शामिल थे। इन तीन वर्षों के दौरान भारत ने कुछ बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटनाओं और सम्मेलनों जैसे–दि एडिनबरा इन्टर नेशनल फैस्टिवल, कामनवेल्थ आर्ट फैस्टिवल, एडेलेड फैस्टिवल आफ आर्टस, थियेटर डेस नैशन्स फैस्टिवल, इन्डिया वीक सैलीब्रेशन्स ड्यूरिंग एक्सपो 67, यू० एस० एस० आर० सैलीब्रेशन्स आफ 20th एनीवर्सरी आफ इंडियन इन्डिपेन्डेन्स, पैन कान्फ्रेंसेज़ इन्टरनैशनल कांग्रेस आफ ओरियंटलिस्ट्स आदि में भाग लिया।

अभिनयों, भाषणों, प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को इसके सही रूप में विदेशों में प्रस्तुत किया गया। अभिनयों और प्रदर्शनियों की बड़ी प्रशंसा की गई और बड़ी मात्रा में प्रशंसोद्गार प्राप्त किए। भारतीय छात्रों और कलाकारों ने अपने अध्ययन और प्रेक्षण-दौरों की अवधि में विदेशों में अपने क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किए। उन्होंने दूसरे देशों की साहित्यिक और कलात्मक परम्पराओं की बहुमूल्य जानकारी मूल स्रोत से हासिल की।

शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक विनिमय और सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रमों के अन्तर्गत

किए गए इन दौरों से एक-दूसरे के गुणों को ग्रहण करने, समझने और सद्भावना को बढ़ाने तथा उसके द्वारा विदेशों के साथ निकटतर संबंध स्थापित करने में सहायता मिली।

(ङ) कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

3232. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने वर्ष 1966-67 में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की थीं;

(ख) उपर्युक्त पुस्तकों पर कितना धन खर्च किया गया तथा आगामी पाँच वर्षों के भावी प्रकाशन कार्यक्रम के लिये कितना धन नियत किया गया है;

(ग) आगामी पांच वर्षों में कितनी और कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित करने का विचार है;

(घ) किन-किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में इस परिषद् की पाठ्य-पुस्तकों को स्वीकार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत वर्ष के अन्त में कितनी और कितने मूल्य की पुस्तकें नहीं बिकी थीं तथा इसके क्या कारण थे?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 31 मार्च, 1967 तक प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की सूची अनुबन्ध 1 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 393/68]**

(ख) पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन में 11,64,462 रुपए खर्च हुए हैं।

अगले पाँच वर्षों के लिए पाठ्यपुस्तकों के कार्यक्रम हेतु कोई विशेष रकम निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) स्कूली शिक्षा की सभी स्तरों की प्रकाशित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और 1967-68 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की सूचियाँ क्रमशः अनुबन्ध II और III में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 393/68]**

(घ) पाठ्यपुस्तकों के कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा के स्तर और किस्म को सुधारने के लिए, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा अपनाने अथवा अनुकूलन के लिए आदर्श पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना है। इसलिये यह नहीं सोचा गया कि इसे पूरी तरह से अपना लिया जाए। फिर भी, उन राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और अन्य प्राधिकारियों के नामों की सूची अनुबन्ध IV में दी गई हैं, जिन्होंने पाठ्यपुस्तकें अपना ली हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 393/68]** बाकी राज्य सरकारें पाठ्यपुस्तकों पर विभिन्न स्तरों पर विचार कर रही हैं।

(ङ) 31 मार्च, 1967 को स्टाक में कुल पाठ्यपुस्तकें 61,732 थीं। उनकी लागत (विक्रय कीमत) 166398.75 रुपए थी। पुस्तकें भविष्य में काम आने वाली हैं और ऐसी कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है जो बिक न सके।

सड़क दुर्घटनायें

3233. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संघ राज्यक्षेत्रवार बसों, लारियों, मोटरगाड़ियों, स्कूटरों, साइकिलों, मोटर साइकिलों और ओटो रिक्शाओं की कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं और उनमें कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं और प्रति वर्ष कितने मामलों में दण्ड दिलाया गया;

(ग) मृतकों के मामले में उनके उत्तराधिकारियों और उत्तरजीवियों को तथा घायल हुए व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) दुर्घटना कम करने के लिये परिवहन अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) से (घ) अपेक्षित सूचना संघ क्षेत्रों के प्रशासनों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मछलीपत्तनम पत्तन

3234. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलीपत्तनम पत्तन की यातायात संभालने की क्षमता तथा पार्श्व भूमि का विकास करने के लिये इसके महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण करने के लिये 1965 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ख) इस विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन थे और क्या इस समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका निष्कर्ष क्या है और इस परियोजना के प्रथम चरण को पूरा करने हेतु 40 लाख रुपए देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (ग) भारत सरकार की सलाह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने मछलीपत्तनम पत्तन से संबद्ध समस्याओं की जाँच के लिये 1965 में एक समिति नियुक्त की थी और उसके विकास के लिये उपचारी उपायों का सुझाव दिया था। समिति में निम्न थे :—

1—सर्वश्री के० एन० श्रीनिवासन—विकास सलाहकार, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय (14-11-67 तक)	अध्यक्ष
2—आर० आर० सुखरानी—विकास सलाहकार, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय (15-11-67 से)	अध्यक्ष
3—डा० डी० वी० जोगलेकर, अवकाश प्राप्त निदेशक केन्द्रीय जल, विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना।	सदस्य

4—सी० वी० गोले, निदेशक, केन्द्रीय जल-विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना सदस्य

5—एस० पी० सारथी, नदी सर्वेक्षक, कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर सदस्य

6—पी० टी० मल्लारेडी, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, आँध्र प्रदेश सरकार सदस्य

7—एम० सत्यनंदन, स्टेट पोर्ट अधिकारी आँध्र प्रदेश सरकार सदस्य सचिव

समिति ने आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1968 में दे दी थी।

रिपोर्ट में 125 लाख रुपए की लागत के प्राक्कलित कई कार्य रखे गए हैं जो यदि पूरे हो गए तो पत्तन में लगभग 6 लाख मीट्रिक टन वार्षिक का माल धरा-उठाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट की है कि वे इन कार्यों को चौथी योजना में शामिल करना चाहते हैं। इस बीच उन्होंने सिफारिश किए गए कामों के लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

कृष्णापत्तनम पत्तन

3235. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णापत्तनम् पत्तन को एक लघु पत्तन के रूप में प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हैं और 1960 में किए गए जल संबंधी सर्वेक्षण और गत् वर्ष छपे नौवहन चार्ट के अनुसार क्या सरकार का विचार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय के विशेष अधिकारों की शिफारिशों के अनुसार आगामी योजना में इस पत्तन का विकास करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो (एक) इमारती लकड़ी की जेटियाँ, (दो) टग, (तीन) संपर्क सड़क का सुधार, (चार) पत्तन क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था (पाँच) कर्मचारियों के क्वार्टर, (छ) पानी की सप्लाई, (सात) यंत्रीकृत बेज और (आठ) लगभग 27-70 लाख रुपए तक सिव्वन्दी व्यय जैसी और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, ताकि इस पत्तन के द्वारा काफी व्यापार किया जा सके जो आरम्भ में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख टन होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) बड़े पत्तनों के अलावा पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों का है। कृष्णापत्तनम् एक छोटा पत्तन है। परिवहन मंत्रालय का विशेष-कार्य अधिकारी 1955 में देश में व्यापार की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिये छोटे पत्तन को आधुनिक और समुन्नत बनाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित विकास कार्यों के अभिनिर्धारण के लिये नियुक्त किया गया था। उसने कृष्णापत्तनम् पत्तन के बारे में निम्न स्कीमों का सुझाव दिया था:—

एक पारगमन छादन,

दो जेटी,

पहुँच-मार्ग,

पोर्ट और चुंगी कार्यालय तथा जनाने मकान,

नौचालन सहायतायें,

निकर्षण,

ध्वनि और अवलोकन,

प्रकाश-दाता

राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है कि दूसरी योजना-काल में उन्होंने निम्न कार्य हाथ में लिया, यह भारतीय नौसेना द्वारा जलीय सर्वेक्षण के अतिरिक्त था। पहुँच-मार्ग, पोर्ट तथा चुंगी कार्यालय-भवन, (राज्य वन विभाग से प्राप्त) आगा: प्रकाश का अधिष्ठापन (उन्होंने यह भी रिपोर्ट की है कि तीसरी योजना अवधि में, खांडालेरू नदी के उत्तरी तट की रक्षा से संबंधित कार्य, निकर्षक की व्यवस्था, निर्माण बकिंघम नहर पर पुल का निर्माण और पारगमन छादन का निर्माण शुरू किया गया। इसके शीघ्र पूरे हो जाने की आशा है। आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है कि चौथी योजना में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य जिनकी लागत 27.70 लाख रुपए अनुमानित की जाती है उनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

3236. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यातायात बढ़ जाने, घटिया किस्म की मिट्टी और इकहरी सड़क होने, और अच्छी प्रकार से देखभाल न होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की बड़ी क्षति हो रही है;

(ख) इकहरी सड़क की देखभाल अच्छी तरह करने के लिये प्रति मील कितने धन की जरूरत होती है; और

(ग) इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1967-68 में कितना धन दिया था तथा क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में राजपथों की देखभाल के लिये अपेक्षित कम से कम 120 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष मंजूर कर रही है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि ऐसा है, यद्यपि सड़क पर मुख्यत: वही प्रभाव पड़ेगा जहाँ मिट्टी कमजोर है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के उचित रख-रखाव के लिये अपेक्षित धनराशि मिट्टी के गुण, फर्श की मुटाई, जलवायु की दशायें, यातायात की मात्रा और संविरचना, सड़क के निकट औद्योगिक स्थानों की स्थिति, स्थानीय सड़क और निर्माण सामग्री की लागत, बाढ़ से हानि, चक्रवात इत्यादि पर निर्भर करती है। 1967-68 में आँध्र प्रदेश सरकार को 64 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों के कारण चालू वर्ष में राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के रख-रखाव के लिये आँध्र प्रदेश की सरकार सहित राज्य सरकारों की धन की माँगों की पूरी तरह से पूर्ति करना संभव नहीं हो सका है।

मरेडुमिल्ली–चित्तूर सड़क

3237. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मेरेडुमिल्ली चित्तूर-बम्बई सड़क के विकास-कार्य पर 220 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता है परन्तु उसके लिये जो धन नियत किया गया है वह पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार समझती है कि वृहद योजना के अनुसार काकिनाडा बन्दरगाह से स सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विकास करना महत्वपूर्ण है ;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा की नयी सिफारिशों (देखिये 26 अगस्त, 1967 का पत्र संख्या/99/आर० 2/67–11) की भी सरकार को जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस काम के लिये अधिक धन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (घ) अनुमानतः माननीय सदस्य का विचार काकीनादा––राजमुद्री–मरेदुमिल्ली–चित्तूर–आँध्र-प्रदेश सीमान्त (और आगे मध्य प्रदेश में कुंता) सड़क के विकास से है। 1954 में भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मरेडुमिल्ली–चित्तूर सड़क के निर्माण के लिये 16.31 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया था।

मरेडुमिल्ली–चित्तूर सुधार के लिए काकीनादा से मरेडुमिल्ली तक की मौजूदा सड़क में दो पुलों के निर्माण के लिए और आड़ी जालियों सहित चित्तूर–कुंता क्षेत्र में राज्य के सीमान्त तक सड़क निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अपने पत्र सं० 99/आर० 2/67–11 दि० 26–8–67 में 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत की माँग की। भारत सरकार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) आरक्षित से केवल 14 लाख रुपए का अनुदान देना संभव हो सका और शेष राज्य सरकार को अपने साधनों से पूरा करना था। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित किया गया था।

भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य के कहने के अनुसार इस सड़क के विकास की कुल लागत 220 लाख रुपया है। उसे माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित "मास्टर योजना" जिसके अनुसार उल्लिखित सड़क राष्ट्रीय मुख्य मार्ग में विकसित की जा रही है, की भी जानकारी नहीं है। भारत की सड़क विकास योजना पर की मुख्य इंजीनियरों की प्रस्तावित बीस वर्षीय योजना (1961–81) की रिपोर्ट में दिए गए राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के प्रस्तावित क्रम में भी विशिष्ट रूप से यह उल्लिखित नहीं है कि मरेडुमिल्ली–चित्तूर सड़क एक नए राष्ट्रीय मुख्य मार्ग का अंग होगी।

मरेडुमिल्ली-चित्तूर सड़क पर साबरी नदी पर पुल

3238 **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मरेडुमिल्ली–चित्तूर सड़क पर साबरी नदी पर एक पुल का निर्माण अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व नहीं रखता;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) ने राज्य के मुख्य इंजीनियर को टेंडर मंजूर करने तथा काम आरम्भ कराने की अनुमति दी थी; और

(ग) क्या धन के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ। यह अन्तः राज्य और आर्थिक महत्व का निर्माण-कार्य है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ, किन्तु 10.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक नहीं।

फार्मेसी स्नातक की उपाधि

3239. **श्री निहाल सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में किसी संस्था में फार्मेसी के स्नातक की उपाधि के लिये शिक्षा दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली/ नई दिल्ली में किन्ही संस्थाओं में एक ऐसा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के प्रस्ताव पर दिल्ली विश्वविद्यालय विचार कर रहा है।

वर्ष 1968-69 में राज्यों को शिक्षा के लिए धन का नियतन

3240. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 1968–69 में विभिन्न राज्यों के लिए शिक्षा हेतु किए गए धन के नियतन को कम कर देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका किन-किन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)

(क) से (ग) 1968–69 में शिक्षा के लिए किए गए बंटवारे को उपलब्ध साधनों के दायरे में जो कि दुर्भाग्यवश अपर्याप्त थे पुनः समायोजित करना पड़ा। 1968–69 के लिए राज्य आयोजनों में सम्मिलित आँकड़े राज्य बजटों के उनकी विधान-सभाओं में पेश हो जाने के बाद ही बताये जा सकेंगे।

आयोजन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन दल

3242. **श्री वेंगलाराया नायडू**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मशीनरी और आयोजन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग

के अध्ययन दल ने योजना की प्रक्रिया में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो आयोग ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में और क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) उनमें से कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(घ) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रशासन सुधार आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने योजना संस्थान पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी एक प्रति संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर आयोग को विचार करना है। अभी आयोग को इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करनी हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Facilities provided to Sheikh Abdullah during Detention

3243. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the facilities made available to Sheikh Abdullah duing the period of his detention ;

(b) the names of the other members of his family to whom such facilities were provided, as also the amount of expenditure incurred on each one of them ; and

(c) whether Sheikh Abdullah has vacated the Government accommodation after his release ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Arrangements for residence, food, medical attention, clothing, conveyance, radio, furniture, newspapers and journals, stenographer, Tamil tutor and attendants were made at Government cost. Members of his family and close relatives were allowed to stay with him for certain periods or visit him at Government expense.

(b) A list is given below. As these facilities were shared by them with the Sheikh, no separate accounts for each were maintained.

(c) After the removal of restrictions on him, Sheikh Abdullah was permitted to stay in the Government residence where he has been kept on payment of standard rent and an *ad hoc* rent for furniture.

STATEMENT

Names of members of family and relatives of Sheikh Abdullah who were allowed to either visit or stay with him from time to time during his internment from May, 1965 to January, 1968.

Serial No.	Name of the Memder of the family or relative of Sheikh Abdullah	Relation ship with Sheikh Abdullah
1	2	3
1.	Begum Abdullah	Wife
2.	Miss Suraiya Abdullah	Daughter
3.	Mrs. Khalida Shah (wife of Shri G. M. Shah)	Daughter
4.	Master Muzaffar	Grand-son

5.	Miss Aalia	Grand-daughter
6.	Shri G. M. Shah	Son-in-Law.
7.	Dr. Mustaffa	Son
8.	Shri Iftikhar	Grand-son.

Himachal Pradesh Budget

3244. **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount allocated for Himachal Pradesh in the Budget is not utilized by the State Government proportionate to the population of different areas in the State ;

(b) whether Government have received any complaints in this regard from the people of new areas included in Himachal Pradesh ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the directions issued to the State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The amounts in the budget of the Government of Himachal Pradesh are allocated and utilised by them in accordance with the needs of different areas and not proportionate to their population.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली में बिक्री-कर प्रणाली

3245. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जनरल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा ईमानदार व्यापारियों को परेशान किए जाने से बचाने के लिये बिक्री कर प्रणाली में सुधार किए जाने की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस एसोसिएशन ने क्या-क्या माँगें की हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली जनरल मर्चेन्ट्स एशोसिएशन ने पहली बिक्री के स्तर पर दिल्ली में बिक्री कर हटाने की माँग करते हुए दिल्ली प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। प्रशासन ने सूचना दी है कि इस मामले पर बहुत ध्यान से परीक्षा करने की आवश्यकता है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला कालेज, त्रिपुरा के प्राध्यापकों का चयन

3246. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री वि० कु० मोडक :**
श्री पी० राममूर्ति : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के महिला कालेज के प्रिंसिपल और प्राध्यापक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने जाते हैं ;

(ख) क्या महिला कालेज के वर्तमान प्रिंसिपल और रसायन विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको प्रिंसिपल और वरिष्ठ प्राध्यापक के पदों पर किस आधार पर नियुक्त किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

3247. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कैम्पस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 1962 से 1967 तक अनुदान दिया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितना अनुदान दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में स्थित शिक्षा संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस राशि में कितनी वृद्धि की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) 16

(ख) अनावर्ती अनुदान कैम्पस कार्य प्रायोजना, योजना के अन्तर्गत केवल प्रायोजनाओं के लिए उपयुक्त किस्तों में दिए जाते हैं। 1962-63 से 1967-68 तक की अवधि में अदा किए गए अनुदान निम्नलिखित थे :—

1962-63	19,950	रुपए
1963-64	19,000	रुपए
1964-65	12,600	रुपए
1965-66	62,772	रुपए
1966-67	9,225	रुपये
1967-68	—	रुपए
योग	1,23,547	रुपए

(ग) और (घ) इस योजना के अन्तर्गत अनुदान मंजूर करने के मामले में एक राज्य और दूसरे राज्य में स्थित संस्थाओं के बीच भेदभाव करना संभव नहीं है।

Pakistani Dacoits

3248. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Pakistani dacoits killed two Indians in Bikaner Division ;

(b) if so, the action taken by Govenment in this connection ; and

(c) the amount of cash and the value of articles the dacoits made away with ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.On the night of 13th/14th January, 1968, eight Pak nationals raided the house of one Gulam Qadir of village Bhulewala and opened fire. As a result of the firing, two Indian nationals were killed.

(b) A strong protest has been lodged and a meeting held with the Pak. authorities. Additional temporary posts have been opened in the area . Patrolling has also been intensified.

(c) The dacoits took away two camels worth Rs.2,500.

मिजो लोग

3250. **श्री दीवीकन**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों ने, जिनके पास स्वचालित हथियार थे, 1 फरवरी, 1968 को मिजो पहाड़ी जिले के साथ कचार (आसाम) में रंगपुर गाँव पर हमला किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने ग्रामीण मारे गए तथा कितने घायल हुए ;

(ग) क्या कोई विद्रोही मिजो पकड़ा गया था; और

(घ) इन क्षेत्रों में कड़ी कार्यवाही करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) 1 फरवरी, 1968 को दो सशस्त्र मिजो विद्रोहियों ने कचार जिले में रंगपुर गाँव पर हमला किया और गाँव के प्रधान के घर को जला दिया।

(ख) दो व्यक्ति मारे गए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधियाँ और तेज कर दी गई हैं तथा निरन्तर गश्त बढ़ा दी गई है।

जलपाइगुड़ी के एक गांव पर पाकिस्तानियों का धावा

3251. **श्री अम्बचेजियान**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 8 फरवरी, 1968 को राइफलों और हथियारों से लैस पाकिस्तानियों ने सीमा पार कर के जलपाइगुड़ी में राजगंज स्टेशन के बारबाड़ी गाँव में भारतीय ग्रामीणों के घरों पर धावा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ग्रामीणों की सम्पत्ति तथा नकदी लूटी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने वहाँ बहुत से ग्रामीणों की हत्या की, तथा घायल किया;

(घ) यदि हाँ, तो पाकिस्तानियों की बढ़ रही गतिविधियों को देखते हुए सीमा की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 8 फरवरी, 1968 को लाठियों से लैस लगभग 12 पाकिस्तानी अपराधियों के एक गिरोह ने जिला जलपाइगुड़ी के राजगंज पुलिस थाने में बारबाड़ी–सुखानी गाँव के एक भारतीय राष्ट्रिक के घर पर धावा किया था।

(ख) पाकिस्तानी उपद्रवी नकदी, कपड़े तथा लगभग ४२५ रु० के मूल्य के चाँदी के आभूषण उठा ले गए।

(ग) पाकिस्तानी उपद्रवियों ने भारतीय राष्ट्रिक के घर के भीतर रहने वालों को लाठियों से पीटा। कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।

(घ) गश्त बढ़ा दी गई है और अत्यन्त सतर्कता बरती जा रही है।

(ङ) राज्य सरकार तथा सेक्टर कमाण्डर दोनों के स्तरों पर पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध-पत्र भेज दिए गए हैं।

ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द्वारा भारतीयों का अपहरण

3252. **श्री म० ल० सोंधी :** **श्री अंबचेजियान**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 13 जनवरी, 1968 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सशस्त्र सैनिकों द्वारा पाँच भारतीयों का अपहरण किए जाने की घटना की जानकारी है;

(ख) क्या ये भारतीय मजदूर त्रिपुरा के सदर सब-डिवीजन में सुडगो पुलिस थाने के क्षेत्र में काम कर रहे थे; और

(ग) इन व्यक्तियों की वापिसी के लिये और पाकिस्तानी घुसपैठियों की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 13–1–1968 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तथापि 31–1–1968 को त्रिपुरा के सदर सब-डिवीजन में सिवाई, न कि सुडगो, पुलिस थाने के अधीन अर्जुनटीला में भारतीय क्षेत्र में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के छः सैनिक घुस आए थे तथा बालूगाँव के छः भारतीय राष्ट्रिकों का अपहरण कर ले गए। अपहृत व्यक्ति जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के लिये अर्जुनटीला में भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप चले गए थे।

(ग) ईस्ट पाकिस्तान रायफल्स के सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुस आने के विरुद्ध पाक-अधिकारियों को कड़े विरोध पत्र भेजे गए हैं। पाक-अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि अपहृत व्यक्तियों को तुरन्त लौटाया जाय तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जायं।

Medium of Instruction in Andamans Schools

3253. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is true that the medium of instruction in schools in South Andamans is both Hindi and Urdu ;

(b) whether separate teachers qualified to teach through the respective medium are appointed in all such schools ;

(c) the number of such schools and the number of students in each such school having Hindi and Urdu medium respectively ; and

(d) the reasons why the recommendation of the Education Committee of 1954-55 that Hindi alone should be the medium of instruction in the Andaman schools has not been implemented even 12 years after the recommendation was made by the Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) Media of instruction in schools in South Andaman are Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, Telgu and Malayalam. However, Hindi and Urdu are media of instruction in two higher secondary schools and five primary schools there.

(b) Yes, Sir.

(c)

Name of School	No. of students studying through the Medium of Hindi	No. of students studying though the medium of Urdu
1. Government Higher Secondary Schools (Boys)	735	235
2. Government Higher Secondary Schools (Girls)	452	157
3. Aberdeen Primary School	286	141
4. Middle Point Primary School.	182	90
5. Delanipur Primary School	249	168
6. South Point Primary School	227	30
7. School Line Primary School	153	74

(d) The Education Committee 1954-55 recommended that in Primary stage, mother tongue of the child and in Secondary stage Hindi should be the medium of instruction and that Urdu may for some time continue side by side. The recommendation could not be implemented fully due to multilingual nature of the population.

निकोबार के व्यापार के लिये सहायक आयुक्त

3254. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकोबार के व्यापार के लिये सहायक आयुक्त अथवा सचिव का एक नया पद बनाया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य तथा कर्त्तव्य क्या हैं; और

(ग) उसकी नियुक्ति के बाद से उसकी सफलताओं का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) अण्डमान व निकोबार प्रशासन के अधीन एक सहायक सचिव (निकोबार व्यापार) का पद वर्ष 1963 से विद्यमान है।

(ख) इस अधिकारी के कार्य तथा कर्त्तव्य मुख्यत: निकोबार द्वीपों में स्थित लाइसेंस-प्राप्त व्यापारिक कम्पनियों पर निगरानी रखना है ताकि लाइसेंस में दी गई शर्तों का ठीक पालन हो सके।

(ग) अधिकारी ने पद के उत्तरदायित्वों का पालन किया। किसी विशिष्ट सफलता के लिए कोई लक्ष्य-तिथि नियत नहीं की गई है।

देश से बाहर गये योग्य व्यक्तियों सम्बन्धी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन

3255. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री अनुरुधन :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को योग्य व्यक्तियों के देश से बाहर चले जाने के बारे में व्यावहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्था से कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Boycott of Court by Delhi Lawyers

3257. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that laywers of Delhi boycotted the court of a Sub-divisional Magistrate in Delhi during the second week of February ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to remove the difficulties which impelled the lawyers to boycott the court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) There was controversy over the payment of a bill for 30 paise, of the Canteen run by the Bar Association. The S. D.M. refused to discuss the matter during court hours but was prepared to discuss it in his chamber. As a result, the Bar Association passed a resolution boycotting his court till 11-2-1968. The court, however functioned normally and some lawyers attended court on 8th and 9th February, 1968. The 10th and 11th were holidays.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार

3258. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के प्रबन्धकों के खिलाफ दुर्व्यवहार अथवा दुराचरण की शिकायतें की गई हैं; और

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) सामान्यतः ऐसे सभी मामले समिति के वर्ग को देखने होते हैं। फिर भी गत 12 महीनों के दौरान, समिति के कुछ भण्डारों के प्रबन्धकों/ इंचार्जों के खिलाफ दुर्व्यवहार के 10 मामले हैं।

(ख) समिति द्वारा की गई जाँचों के परिणामस्वरूप 2 इंचार्जों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, 5 प्रबन्धकों/ इंचार्जों का दूसरे भण्डारों में स्थानान्तरण किया गया तथा 3 को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई।

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा आक्रमण

3259. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1968 को मिजो क्षेत्र में जम्पुई पहाड़ी की तलहटी में अगरतला से 136 मील दूर एक गाँव पर सशस्त्र उपद्रवी लोगों के एक दल द्वारा किए गए आक्रमण में चार व्यक्ति मारे गए थे ;

(ख) क्या ये उपद्रवी लोग एक आदिम जातीय उग्रपंथी वर्ग के लोग थे और उन्होंने धान से भरे मकानों में आग लगा दी, जिससे 11 मकान नष्ट हो गए और उन्होंने गाँव वालों को 25 फरवरी, 1968 तक गाँव छोड़ जाने की धमकी दी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) उपद्रवियों के एक सशस्त्र गिरोह ने, जो सम्भवतः एक उग्रपन्थी आदिम जाति दल से सम्बन्धित है, 9 फरवरी, 1968 को त्रिपुरा के जप्पुई पहाड़ी क्षेत्र में हाजचरा ग्राम पर आक्रमण किया तथा चार ग्रामीणों को गोली से मार दिया। उपद्रवियों ने आग भी लगाई जिसके परिणामस्वरूप 12 मकान, जिनमें चावल और धान रखे थे, नष्ट हो गए। उस गिरोह ने आदिम जाति भिन्न ग्रामीणों को 25 फरवरी, 1968 तक गाँव छोड़ देने की धमकी का एक नोटिस त्रिपुरा आद्रिम जाति सिंगरक संघ की ओर से लिख कर छोड़ दिया।

(ग) आतंक की भावना के निराकरण के लिये प्रभावित क्षेत्र में गश्त लगाई जा रही है। पुलिस द्वारा एक मामला भी दर्ज किया गया है तथा उसकी जाँच की जा रही है।

नागा विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण

3260. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितने विद्रोही नागाओं नें आत्मसमर्पण किया; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1967 के दौरान 64 विद्रोही नागाओं ने आत्मसमर्पण किया।

(ख) कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है क्यों कि उनमें से किसी पर कोई निश्चित अपराध करने का शक नहीं किया गया था।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा धरना

3261. **श्री अब्राहम :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री रमानी : **श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन से छंटनी किए गए कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में 7 फरवरी, 1968 को पुराने सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया था;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ग) छंटनी के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें बहाल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों ने, जिनके स्थान पर नियमित रूप से योग्यताप्राप्त उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे, पुराने सचिवालय के बाहर 7 फरवरी, 1968 से धरना शुरू किया था।

(ख) वस्तुतः कोई छंटनी नहीं की गई थी, परन्तु तदर्थ (रूप से नियुक्त किए गए) 147 निम्न श्रेणी लिपिकों के स्थान पर ऐसे नियमित उम्मीदवार लगाए गए थे जिन्होंने इस उद्देश्य से ली गई प्रतियोगिता परीक्षा पास की थी।

(ग) नियुक्तियों की यह बदली भर्ती की उस पद्धति के अधीन की गई थी जिसके अनुसार निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों से करनी होती है।

(घ) पहले तथा वर्तमान तदर्थ निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है तथा इसमें पास होने वाले उम्मीदवार रिक्तियों की उपलब्धियों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्ति के पात्र होंगे।

Recovery of Foreign Arms in Calcutta

3262. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the daily Hindustan dated the 14th February, 1968 that some foreign sten guns, revolvers and pistols have been recovered in Calcutta ;

(b) if so, whether the name of the country in whose Ordinance Factory the foreign weapons were manufactured has been ascertained ; and

(c) if so, the name thereof and the steps being taken by Government to check the smuggling of foreign weapons into the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) Yes, Sir. On 12th February, 1968 the Calcutta Police recovered from Calcutta port Area one pistol, one revolver and one stengun along with some cartridges. The pistol and revolver are made in USA and England respectively. The make of the stengun could not be ascertained. However, it appears that the stengun belongs to Indian Army.As regards checking the smuggling offoreign weapons into the country, adequate vigil is kept in this respect by Border Security Forces, the State Police and the Customs authorities.

Training Camps Established by Nagas

3263. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naga rebels held some training camps during November and December, 1967 in Churachandpur sub-Division in Manipur to impart arms training to the volunteers ;

(b) whether it is also a fact that Naga rebels also kidnapped some persons in the same sub-division during this period; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to prevent such activities in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) There is no such information.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise. However constant vigilance is maintained to curb unlawful activities.

सम्बद्ध कालेज

3264. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कांस्टिच्युएंट कालेजों को मान्यता देने के लिए कोई कसौटी निर्धारित कर रखी है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह कसौटी क्या है और बिहार में कितने कांस्टिच्युएंट कालेज हैं और कितने कालेजों ने मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं ;

(ग) क्या आर० के० कालेज मधुबनी (जिला दरभंगा) उस कसौटी को पूरा करता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कालेज को अभी तक कांस्टिच्युएंट कालेज न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कांस्टीच्युएंट कालेजों को मान्यता देने के लिए कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है । बिहार में अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए सम्बद्ध कालेजों को कांस्टीच्युएंट कालेज कहते हैं । राज्य की सम्बन्धित यूनिवर्सिटियों को ऐसा करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं । इस समय राज्य में 22 कांस्टीच्युएंट कालेज हैं । अन्य कालेजों के

सम्बन्ध में सूचना, जिनका मामला कांस्टीच्युएंट कालेज बनाए जाने के लिए सम्बन्धित विश्व-विद्यालयों के साथ निलम्बित है, इस मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

विदेशों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय कठिनाइयाँ

3265. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सहायता करने के लिये जब उनके पास धन की कमी हो जाय अथवा उनको कोई अन्य प्रकार की तात्कालिक वित्तीय कठिनाई उपस्थित हो जाये, सरकार ने कोई व्यवस्था कर रखी है;

(ख) यदि हाँ, तो वह व्यवस्था क्या है और पिछले पाँच वर्षों में विदेशों में, विशेषकर अमरीका में अध्ययन करने वाले कितने ऐसे विद्यार्थियों की सहायता की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) आंशिक वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत विदेशों में पढ़ रहे उन भारतीय छात्रों को जिन्हें वित्तीय सहायता की उचित और तुरन्त आवश्यकता हो, कम ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं। ये ऋण संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा उन निधियों में से दिए जाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष निधियों की अप्रत्याशित कमी या वापस लौटने के किराये के खर्च को पूरा करने के लिये उन्हें सौंपी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले पाँच वर्षों में कुल 354 छात्रों को सहायता दी गई। इनमें 33 छात्र वे भी शामिल हैं जो कि यू० एस० ए० में थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये पर्यटन की सुविधाएं

3266. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों की रुचि के स्थानों की यात्रा हेतु नई दिल्ली में विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या-क्या सुविधायें दी गईं और देशवार इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने उनका कितना लाभ उठाया?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सब अभिकरणों अर्थात्, ट्रैवल एजेंटों, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और रेलवेज ने संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों की पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के लिये यात्राओं के लिए विशेष प्रबन्ध किए हैं। इन अभिकरणों ने प्रतिनिधि-वर्ग की यात्राओं की बुकिंग करने के लिये विज्ञान भवन में अपने काउण्टर स्थापित किए हैं तथा आई० एस० सी० ने अशोक होटल और पालम हवाई अड्डे पर भी अपने काउण्टर स्थापित किए हैं। रेलवेज और ट्रैवल एजेंटों ने ऐसी ब्रोश्योर (विवरणकाएं) भी प्रकाशित की थीं

जिनमें विशेष यात्राओं की सूची दी गयी थी। रेलवेज़ ने खजुराहो के लिये एक विशेष पैकेज टूर परिचालित की, और आई० ए० सी० सप्ताह के अन्त में नंदा देवी, खजुराहो, बनारस इत्यादि के लिये विशेष विमान सेवाएं परिचालित कर रही है।

अनुमान लगाया जाता है कि 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने विमान, रेल तथा सड़क से यात्राओं का लाभ उठाया है, परन्तु आँकड़ों का देशानुसार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

थाईलैंड के साथ विमान-सेवाओं के सम्बन्ध में वार्ता

3267. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा सैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने थाईलैण्ड को दोनों देशों की राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के उड़ानों संबंधी अधिकारों के बारे में नवम्बर, 1967 में टूट गई बार्ता को फिर से आरम्भ करने के लिये आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उससे क्या उत्तर मिला है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है यद्यपि थाई प्रतिनिधि-मण्डल के आने की ठीक-ठीक तारीख की अभी पुष्टि होनी है।

पर्यटक विभाग की वातानुकूलित बस

3268. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित यात्रा पर चलाई जाने वाली वातानुकूलित बस पुर्जों के अभाव में गत कई महीनों से नहीं चल रही है, जिससे विदेशी पर्यटकों को बड़ी असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो पुर्जे प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिये उत्तर-दायी व्यक्तियों की लापरवाही के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि छुट्टियों के दिन जब ऐसी तीन से अधिक बसें चलती हैं, उनमें से कुछ बसों में गाइड नहीं होते और कुछ बसों में माइक नहीं होते जिससे पर्यटकों को बड़ी असुविधा होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) दिल्ली में संचालित पर्यटनों के लिये पर्यटन विभाग द्वारा कोई वातानुकूलित बस नहीं चलाई जाती है। दिल्ली परिवहन संस्थान इस प्रकार की एक बस चला रहा है जिससे मरम्मत के लिये 24 मई, 1967 को हटा लिया गया था और 16 नवम्बर, 1967 को सड़क पर चलने योग्य घोषित किए जाने के बाद उसे फिर से चालू कर दिया गया।

(ग) और (घ) संचालित दृश्य अवलोकन पर्यटनों के लिये संस्थान द्वारा चलाई गई सब बसों में जन संबोधन प्रणाली फिट है। कभी विशेषकर रविवारों और छुट्टियों पर प्रत्येक अतिरिक्त बस के लिये अल्प सूचना पर गाइडों की व्यवस्था करना संस्था के लिये कठिन हो जाता है। फिर भी सब पर्यटक बसें काफिले में चलती हैं और गाइडों के प्रत्येक बस में उपलब्ध न होने पर भी, जो उपलब्ध होते हैं वे विभिन्न स्मारकों पर पर सब पर्यटकों को सामूहिक रूप में संचालित करते हैं।

हरियाना में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल

3269. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 तथा 9 फरवरी, 1968 को हरियाना राज्य के परिवहन कर्मचारियों ने पूर्ण हड़ताल रखी थी, जिससे हरियाना में सड़क परिवहन पूरी तरह ठप्प रहा;

(ख) यदि हाँ, तो उससे हुई हानि का अनुमान क्या है; और

(ग) परिवहन कर्मचारियों की मुख्य मागें क्या थीं और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना हरियाणा सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

रामाकृष्णपुरम पुलिस थाने के विरुद्ध जाँच

3270. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस के उप-महानिरीक्षक ने 13 दिसम्बर, 1967 को अपहरण का एक मामला दर्ज करने के संबंध में नई दिल्ली स्थित रामाकृष्णपुरम पुलिस थाने के विरुद्ध जाँच का आदेश दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच पूरी हो चुकी है;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ) 13 दिसम्बर, 1967 को रामाकृष्णापुरम के एक निवासी की शिकायत के सम्बन्ध में, जिसमें यह आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके द्वारा उसकी लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में की गई रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया, जाँच की गई थी। जाँच से यह पता लगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई।

उसी व्यक्ति ने ठीक उसके बाद आर० के० पुरम के पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करायी कि उसकी लड़की 23 जनवरी, 1968 को घर छोड़ कर चली गई थी और जिसका

कोई पता नहीं लगा है। पुलिस ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 363 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था। लड़की का पता लगा लिया गया था और यह पता लगा था कि लड़की किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुड़गाँवा गई थी। सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला जाँचाधीन है।

तटीय राष्ट्रीय राजपथ

3271. **श्री द० रा० परमार :** **श्री रामचन्द्र अमीन :**
श्री रा० कि० अमीन

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि गुजरात सरकार ने गुजरात के तट के पास तटीय राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) अभी तक सरकार को इस प्रेस रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है। परन्तु राज्य सरकार तटीय मुख्य मार्ग के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने पर जोर देती आ रही है। यद्यपि यह प्रधानत: उसी का काम है फिर भी इस संबंध में उसके द्वारा दिए गए आँकड़ों की जाँच की जा रही है। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस संबंध में निर्णय किया जा सकता है।

Murder Cases in Delhi

3272. **Shri Yajna Datt Sharma :** **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri N. S. Sharma : **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of murder cases during the last one year in Delhi as have not been traced and the number in which culprits have also not been arrested so far ; and

(b) the action taken by Government to improve the law and order situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) 65 cases of murder were reported during the year 1967. 13 of these cases were untraced. Accused in 3 other cases which are still under investigation have not been arrested so far.

The Crime situation is being constantly reviewed by the Administration and suitable measures are taken from time to time to keep the situation under control. Recently a number of schemes have been sanctioned for the purpose of modernising the Delhi Police by proving better communication facilities and scientific aids to investigation of crime.

माओ समर्थक प्रचार के इश्तहार

3273. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया

गया है कि दिसम्बर, 1967 में कालीकट और कलकत्ता में दीवालों पर चीनी नेता माओत्सेतुंग की प्रशंसा करने वाले इश्तहार लगे पाये गए थे।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन इश्तहारों में खुलेआम हिंसा को उकसाया गया था और मार्कसवाद तथा माओवाद का प्रचार किया गया था;

(ग) क्या इन नगरों में साम्यवादी प्रचार साहित्य पाया गया था जो चीन में छपा समझा जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) दिसम्बर, 1967 में केरल तथा कलकत्ता में चीनी नेता माओत्सेतुंग की प्रशंसा के इश्तहार टाँगे जाने के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) कलकत्ता में टाँगे गए इश्तहारों से स्पष्टत: हिंसा को प्रोत्साहन मिला है और माओवाद का प्रचार हुआ है। कालीकट के इश्तहारों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) कलकत्ता में चीन का छपा हुआ कोई साम्यवादी प्रचारात्मक साहित्य नहीं पाया गया। कालीकट से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही मालूम की जा रही है।

बिहार में इंजीनियर

3274. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के कुछ इंजीनियरों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोपों की जाँच का काम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने के सम्बन्ध में बिहार सरकार के प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या बिहार सरकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस मामले की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कराने का आदेश देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर में कहा गया था यह महसूस किया गया था कि अपराधिक जाँच आरम्भ करने के पहले स्टोर की जाँच तथा लेखापरीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा की जाय। बिहार सरकार ने अब सूचना दी है कि स्टोरों की जाँच पूरी हो गई है और विशेष लेखा परीक्षा की जा रही है।

अध्यापकों के वेतन-मान

3275. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान भिन्न-भिन्न हैं तथा वेतन-मान में असमानता होने के कारण देश के विभिन्न भागों में अध्यापकों के आन्दोलन हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या समूचे देश में समान वेतन-मान लागू करने के प्रश्न पर विचार करने तथा राज्यों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का कुछ भाग वहन करने का जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मामले में किया जा रहा है, सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) सैकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में देश भर में, इस समय एकरूपता नहीं है। किन्तु अध्यापकों की संस्थाओं की ओर से अध्यापकों के वेतन-मानों में एकरूपता के लिए माँग की जाती रही है।

(ख) क्यों कि स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान विभिन्न तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए उनमें एकरूपता लाना बहुत कठिन है। इन तथ्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) उस क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धता,

(ii) राज्य सेवाओं में तदनुरूप पदों के वेतन-ढांचे,

(iii) राज्य के वित्तीय साधन ।

स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Scheme for Study of Socialism

3276. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any new scheme in regard to the syllabus of the students for the study of democratic socialism and socialism :

(b) the syllabus prepared by Government to curb the feelings of communalism and provincialism ; and

(c) the changes Government propose to make in their education policy to give practical shape to socialism ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise

(c) The education policy has yet to be finalised in the light of the recommendations made by the Education Commission. The aspect referred to by the Hon'ble Member will be taken into account in finalising the policy.

M.B.B.S. in Banaras Hindu University

3277. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the reasons for not introducing the Condensed Course of M.B.B.S. for integrated graduates in the Banaras Hindu University so far ;

(b) the difficulties in the way ; and

(c) the time by which these diffculties are likely to be removed ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) :

(a) to (c) The Banaras Hindu University's proposal for starting a 12 months' Licentiate Course leading to the degree of D. M. S. (and not M.B.B.S.) for those who have passed the A. B. M. S. A. M. S., or an equivalent examination, has not made any progress *inter-alia* for the reasons that the Medical Council of India is not in favour of the University starting this course.

पश्चिम बंगाल विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्धों का निलम्बन

3278. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपबन्धों के निलम्बन के क्या कारण हैं, जिनके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने पदों पर बने रह सकते हैं; और

(ख) अविश्वास का प्रस्ताव पास किए बिना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने की व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल विधान-सभा के प्रक्रिया नियमों में संशोधन करने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जब अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई उद्घोषणा जारी की जाती है तो राज्य-विधान सभाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित अनुच्छेद 176 से 186 तक के उपबन्धों को सामान्यतः निलम्बित करने की प्रथा है। 20 फरवरी, 1968 को पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के साथ अनुच्छेद 179 का खण्ड (क) निलम्बित नहीं किया गया था परन्तु उसे लागू ही रखा गया ताकि यह कोई सन्देह न रहे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों पर नहीं बने रहेंगे और पश्चिम बंगाल विधान सभा के सम्बन्ध में उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) पश्चिम बंगाल की विधान सभा की कार्यविधि नियमवाली में कोई संशोधन नहीं किया गया।

हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के दौरान सम्पति का लूटा जाना

3279. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के बाद कुछ सैनिकों द्वारा की गई लूटपाट के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य अंबू युसुफ से, 50,000 रुपए लूट लिये गए थे;

(ख) क्या इस आरोप की जाँच की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (ग) इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना आन्ध्र प्रदेश की सरकार से मालूम की जा रही है।

Use of Hindi in U.P.S.C. Examinations

3280. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether after the language Bill has become law, the knowledge of Hindi is/would become comulsory for these persons belonging to the non-Hindi speaking areas entering Central Services at the time of selection before appointment/within some period after the appointment and the knowledge of English would be compulsory for persons belonging to the Hindi-speaking areas; and

(b) whether option to learn any other Indian Language would be given to those belonging to Hindi-speaking areas as an alternative in case they do not want to learn English

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) In terms of para 4 (a) of the Resolution on language policy recently adopted by both Houses of Parliament, the general position will be that at the time of selection/before appointment to Central Government posts or Services where knowledge of English is required at present, compulsoy knowledge of *either* Hindi or English will be necessary. So far, recruitment to these posts/Services has been on the basis of knowledge of the English language. Therefore, all recruits to All India and Central Services Class I are required to pass departmental test in Hindi during the period of probation. Further, for Central Government employees not knowing Hindi, in-service training in Hindi is being provided. In due course and having regard to the terms of the Resolution, almost all classes of employees above Class IV, may be required to pass a departmental test either in Hindi or in English as the case may be, that is, the language of which their knowledge had not been tested before recruitment.

New Tourist Centres

3281. **Shri O.P. Tyagi**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be please to state;

(a) the details of the new tourist centres opened by Government in 1967 for attracting foreign tourists; and

(b) the basis for opening new centres ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) and (b) No tourist centres are declared open by the Government. Places are developed as tourist centres because they are either already popular with tourists or have the potential for attracting tourist traffic.

In the current financial year, budgetary provisions have been made for the development of tourist facilities at the following centres :

Elephanta, Udaipur, Agra, Tirupathi, Rajgir, Porbandar, Khajjiar, Jogindernagar, Somnathpur, Rambha, Puri, Sariska, Mount Abu, Jaipur, Malda, Ajanta, Bharatpur, Hyderabad, Kaziranga, Nalanda, Sassangir, Veraval, Chorwad, Lothal, Ahmedabad, Simla, Kulu, Manali, Srinagar, Gulmarg, Periyar, Tiruchendur, Konarak, Badkhal, Surajkund, Bodh Gaya, Bhubaneshwar, Tiruchanapalli, Tanjore, Mahabalipuram, Mandu, Kushinagar, and Mandi.

'यूनेस्को' से अनुदान

3282. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक आयोजन और प्रशासन की एशियाई संस्था के लिये 'यूनेस्को' से कितना वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) इस संस्था का कार्य क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार भी इस संस्था को अनुदान देती है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) 1967 और 1968 (कलेंडर वर्षों) के दौरान एशियन इन्स्टीट्यूट की सहायता के लिये 2,30,000 डालर की रकम यूनेस्को द्वारा नियत की

गई है। 1967 के दौरान वास्तविक सहायता के मूल्य की सूचना, यूनेस्को से उनके द्वारा 1967 के दौरान इन्स्टीट्यूट के कार्यक्रमों पर किए गए सीधे व्यय की पुष्टि हो जाने के बाद सभा-पटल पर रख द जाएगी।

(ख) (i) एशिया में यूनेस्को के सदस्य राज्यों के शिक्षा विभागों के अधिकारियों के लिए नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(ii) शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की तकनीकों के संबंध में अनुसंधान कार्य करना और उसे बढ़ावा देना और प्राप्त परिणामों को सदस्य राज्यों को सौंपना; और

(iii) शैक्षिक आयोजना सेवाओं के संगठन और राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिये माँगी जाने पर ऐसे राज्यों की सहायता करना।

(ग) तकनीकी रूप में संस्थान भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है और ऐसी स्थिति में अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। यूनेस्को द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्तियों या सीधे व्यय को छोड़ कर संस्थान का पूरा व्यय सरकार उठाती है। 1966-67 के दौरान सरकार द्वारा किया गया व्यय 2,38,593 रु० था।

श्रीकाकुलम में युद्धोन्मुख आदिवासी

3283. **श्री रवि राय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 फरवरी, 1968 के 'स्टेट्समैन में छपी इस आशय की खबर की ओर दिलाया गया है कि लगभग 80 हजार आदिवासी लोग आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में युद्धोन्मुख हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि अराजकता की घटनाओं से सम्बन्धित इतने अधिक व्यक्ति हैं। जनवरी और फरवरी, 1968 में लूट की कुछ घटनाओं की रिपोर्टें मिली थीं। पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है और मामले दर्ज कर लिये हैं। लूटा गया कुछ माल भी बरामद किया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये स्थानीय पुलिस दल को और अधिक बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं। स्थानीय भूमि संबंधी झगड़ों की जाँच करने के लिये एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

राजनैतिक बन्दी

3284. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में नजरबन्द विभिन्न विरोधी दलों के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं और नेताओं को राजनैतिक बन्दी नहीं समझा जाता; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) और (ख) अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में 'राजनैतिक बन्दी' जैसे पृथक वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। सभी बन्दी जेलों में व्यवहार की दृष्टि से, दोषी सिद्ध करने वाली न्यायालयों की सिफारिशों पर, दो या तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं।

भाषा विवाद पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3285. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद् द्वारा स्वीकृत भाषा संकल्प से अनेक लोगों में उत्पन्न हुई भ्रान्तियों को दूर करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) इस परिस्थिति में यह बतलाना कि ऐसा एक निर्णय कब लिया जायगा संभव नहीं है।

नकसलबाड़ी

3286. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1968 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नक्सलबाड़ी आन्दोलन के अनुयायी जलपाइगुड़ी में सक्रिय हैं और वे काटलगुड़ी चाय बागान सम्पदा के श्रमिकों को गड़बड़ी करने के लिये भड़का रहे हैं;

(ख) क्या वामपंथी साम्यवादियों के नक्सलबाड़ी ग्रुप की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप चाय बागानों में असुरक्षा की भावना फैली हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन घटनाओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

विशाखापत्तनम पत्तन

3287. **श्री मंगलाथुमाडोम : श्री विश्वम्भरन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विशाखापत्तनम में माल लदान स्टेशन के गिर जाने के कारण काफी मात्रा में लौह-अयस्क की हानि हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा की हानि हुई; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) 10 नवम्बर, 1967 को खराब मिट्टी की दशा के कारण माल रखने के क्षेत्र का एक भाग यकायक धस गया। इस स्थान पर बराजमदा खान का खनिज लौह जमा किया जाता है।

(ख) इस धसान के परिणामस्वरूप लगभग 9,000 से 10,000 टन का खनिज तीन फीट की औसत गहराई में डूब गया। खनिज का अधिकांश भाग पुनः प्राप्त करने योग्य है।

(ग) ऐसी दुर्घटनायें फिर से न होने देने के लिये माल रखने के क्षेत्र में जमा करने की मौजूदा ऊँचाई में कमी कर दी गई है।

केन्द्रीय सचिवालय में आशुलिपिकों की एक नई श्रेणी बनाना

3288. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों के लिये स्टेनोटाइपिस्टों के पद समाप्त करके आशुलिपिक श्रेणी 3 की एक नई श्रेणी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या ये पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) ब्यौरे की अभी जाँच की जा रही है।

उर्वरकों के आयात के लिये बड़े पत्तनों पर घाट (बर्थ)

3289. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने आयात किए जाने वाले उर्वरक को उतारने के लिये बड़े पत्तनों में घाट (बर्थों) के आरक्षण के लिये अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) और (ख) बम्बई के सिवाय अन्य किसी भी बड़े पत्तन पर उर्वरक जहाजों के लिए बर्थ आरक्षित करने की कोई प्रार्थना नहीं प्राप्त हुई। इस समय बम्बई पर, एलेक्जेंड्रा डॉक पर, दो बर्थ केवल उर्वरक-पोतों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा सरकारी लेखे के थैले बन्द उर्वरक लाने वाले जहाजों के लिए प्राथमिकता एक तीसरे घाट पर दी जाती है। बम्बई पत्तन ट्रस्ट को हाल ही में उर्वरक-जहाजों के लिए एलेक्जेंड्रा डॉक में दो और बर्थ आवंटनार्थ एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी परन्तु इस प्रार्थना को स्वीकार न किया जा सका क्यों कि इसमें सामान्य माल वाहकों के माल की धरा-उठाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम

3290. **श्री भगवान दास :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री एस्थोस : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों का कुल कितनी बार 'ब्रेकडाउन' हुआ,

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी संख्या कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1967 के कैलेंडर वर्ष में दिल्ली परिवहन संस्थान की बसों के 65143 'ब्रेकडाउन' हुए।

(ख) ये 'ब्रेकडाउन' मुख्यत: यांत्रिक त्रुटियों, टायर-पंचरों, ब्रेकों के काम न करने, बिजली प्रणाली की त्रुटियों और इंजिनों के अत्यधिक गरम होने के कारण हुए।

(ग) दिल्ली परिवहन संस्थान अधिकारियों के अनुसार 'ब्रेकडाउनों' को न्यनतम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए :—

(1) मोटरगाड़ियों की देखभाल में सुधार करने के प्रयत्न किए गए।

(2) रास्तों पर के अनेक देखभाल बिन्दुओं को और अधिक सुदक्ष बनाया गया।

(3) टायर पंचरों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये टायर सप्लाई के लिए एक विशिष्ट दस्ता बनाया गया।

(4) सड़कों पर छोटी-मोटी यांत्रिक त्रुटियों को दूर करने के लिये एक चलता-फिरता 'ब्रेकडाउन' दस्ता बनाया गया।

हरियाणा के अध्यापकों की हड़ताल

3291. **श्री नायनार :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री नम्बियार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना के गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने 10 फरवरी, 1968 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल आरम्भ की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या-क्या हैं; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद):

(क) जिस हड़ताल की धमकी दी गई थी, वह वापिस ले ली गई थी।

(ख) मुख्य माँग है कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को 95 प्रतिशत अनुदान देना चाहिये।

(ग) मामला विचाराधीन है।

समुद्री भाड़े की दरें

3292. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जहाज मालिक परिषद् ने मद्रास में हुई अपनी पहली वार्षिक बैठक में रुपए के अवमूल्यन को दृष्टि में रखते हुए भाड़े की दरों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें बढ़ाने की माँग की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस वार्षिक बैठक में और क्या प्रस्ताव किए गए और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) अपनी पहली वार्षिक आम बैठक के विचार-विमर्श के दौरान दिए गए सुझावों के बारे में अखिल भारतीय पोत वणिक परिषद् ने सरकार को नहीं लिखा है। ज्ञात हुआ है कि उसने उस बैठक की कार्यवाही अभी तक तैयार नहीं की है। अतः सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आया उस परिषद् ने पए के अवमूल्यन के कारण भाड़ा दरों के पुनर्विलोकन और वृद्धि की माँग की है। फिर भी प्रत्यक्षतः यह संभव नहीं है कि परिषद् जो पोत वणिकों की संस्था है, भाड़ा दरों में वृद्धि की माँग करे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन दल

3293. **श्री हिम्मतसिंह का**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन को वित्तीय सहायता देने के बारे में नियुक्त अध्ययन दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या विचार व्यक्त किए गए हैं तथा क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हाँ।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें और निष्कर्ष नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) सड़क परिवहन उद्योग को 'प्राथमिक उद्योग' समझा जाना चाहिये जिससे उसे आय-कर पर 8 प्रतिशत की छूट मिल जाय।

(2) मोटर गाड़ियों को विकास छूट दी जानी चाहिये और यह लाभ राज्य सड़क परिवहन संस्थानों को भी उपलब्ध होना चाहिए। छूट की राशि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के चालकों द्वारा नयी मोटर गाड़ियाँ खरीदने और पुरानी गाड़ियों को बदलने में प्रयुक्त की जानी चाहिए।

(3) मौजूदा मोटर गाड़ी भाड़ा-खरीद वित्त कम्पनियों को काम करने तथा प्रचलन के अपने ढंग जिनके कारण वाणिज्यिक बैंकों और भारत के औद्योगिक विकास बैंक से सहायता मिलती है, सुधारने चाहिये और उन्हें वित्तीय व्यापार के अलावा और व्यापार नहीं करना चाहिये।

(4) भारत के औद्योगिक विकास बैंक को इस पर विचार करना चाहिये कि सड़क परिवहन चालकों को दिए गए सीधे ऋण और पेशगियों के लिए धन उसकी उस योजना के अन्तर्गत, जिसमें लघु उद्योग को सीधी पेशगियों के पुनः वित्तीयन होता है, दिया जाय।

(5) वाणिज्यिक बैंकों को सड़क परिवहन चालकों के दावों के बुक देयताओं के विरुद्ध पेशगियों के सम्बन्ध में अपने सीमान्त को कम करने पर विचार करना चाहिये और इस पर भी कि क्या भाड़ा-खरीद वित्त व्यापार के नियमित उत्थान के हित में भारत के औद्योगिक विकास बैंक के प्रोनोट के पुनः बट्टा काटा की हाल ही की योजना में निर्दिष्ट शर्तों को उनके ऋणों पर लागू न किया जाय।

(6) राज्य परिवहन अधिकरणों को उन क्षेत्रों का नियमित सर्वेक्षण करना चाहिये जिनमें उनके अपने राज्य में, सड़क परिवहन का विकास किया जा सकता है और सड़क वित्तीय निगमों को परिवहन चालकों की और अधिक संख्या को सीधे ऋण देने पर विचार करना चाहिये।

(7) विशिष्ट और सेवा सुविधाओं को देने वाली परिवहन सहकारी सोसाइटियों की स्थापना होनी चाहिये जहाँ भी संभव हो और सहकारी भाड़ा-खरीद वित्त सोसाइटियों की स्थापना करने के प्रश्न की जाँच की जानी चाहिये।

(8) सड़कों के काफी सुधार, कमजोर पुलियों और पुलों के बदलने और पपड़ियों की मोटाई को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(9) कीमतों के और बढ़ाने को रोकने के लिए और यदि संभव हो तो उनको कम करने के लिये और मोटर गाड़ियों की कोटि को सुधारने के लिये सरकार और मोटरगाड़ी निर्माताओं को उपाय और साधनों की खोज करनी चाहिये।

(10) भाड़ा-खरीद बिल बनाना चाहिये और माल के अधिकार की अनिश्चयता को दूर करने के लिये और बाहरी वित्त दाताओं के हितों की रक्षा के लिये उसे यथासंभव शीघ्र लागू करना चाहिये।

(11) मोटरगाड़ियों को रजिस्टर करने वाले अधिकरणों द्वारा वित्तदाताओं के हितों की सुरक्षा और मान्यता की दृष्टि से मोटरगाड़ी (संशोधन) बिल 1965 में दिए गए तौर पर एक संशोधन का शीघ्र ही प्रस्ताव करना ।

(12) दीवालिया कानून के विधि निगम की 24वीं रिपोर्ट की सिफारिशों, जिनमें दीवालियों की संपत्ति पर दावेदारों के हितों की रक्षा की व्यवस्था है, पर विचार करना चाहिए और जल्दी ही आवश्यक कानून बनाना चाहिए।

(13) लघु उद्योगों को दिए गए ऋण और पेशगियों की गारंटी देने वाली योजना को विस्तृत बनाने के प्रश्न, जिससे उसके अन्तर्गत छोटे सड़क परिवहन चालक आ सके, पर भारत सरकार द्वारा भारत के रिज़र्व बैंक के परामर्श में विचार करना चाहिये।

(14) मोटरगाड़ियों के निर्माताओं और बड़े व्यापारियों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि साधनों की वृद्धि और चालकों की सहायता के लिये क्या वे नयी भाड़ा-खरीद वित्त कम्पनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं ?

(15) राज्य सड़क परिवहन निगम को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या राज्य बिजली बोर्डों की भाँति, वे कुछ सीमित राशियाँ संबंधित राज्य सरकारों की गारंटी पर आम बाजार से ऋण ले सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए और अन्य बातों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र

सड़क परिवहन संस्थानों जो अभी सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, में समाविष्ट नहीं हैं, को स्वतंत्र स्वायत्त निगम बना देना चाहिये।

दल की सिफारिशें संबद्ध अधिकरणों के परामर्श में, विचाराधीन हैं।

G. R. P. Soldiers killed on Joshimath Border in U.P.

3294. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 16 soldiers of Central Reserve Police were killed in an incident on the 29th and 30th January on Joshimath border in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the amount of assistance proposed to be given by Government to the families of the persons killed therein ; and

(d) whether Government would take any step to avoid the recurrence of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) It is a fact that 16 police personnel were killed in a blizzard on the 29th January, 1968, at Mana near Joshimath.

(c) A sum of Rs.500 each has already been sanctioned to the next of kin of the deceased by way of immediate relief. Grant of ex-gratia relief at the rate of Rs.2,000 per family has been announced. In addition, the dependents of the deceased wil get extraordinary pension and gratuity as admissible under the rules.

(d) The incident resulted from a natural calamity and could not have been prevented in the circumstances in which it occurred. However, the question of re-siting the camp to prevent recurrence of such accidents is under consideration.

अपनी ड्यूटी करते हुए मरे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों को रोजगार

3295. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु ड्यूटी करते हुए हो गई थी और जो अपने परिवारों को असहायावस्था में छोड़ गए हैं, उनके कितने पुत्रों, पुत्रियों निकट सम्बन्धियों ने भारत सरकार के विभिन्न सम्बद्ध/प्रधीनस्थ कार्यालयों में नौकरी प्राप्ति के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14-14-66-ऐस्टैब्लिशमेंट (डी), दिनांक 8 अगस्त, 1966 के अनुसार अब तक अर्जी दी है; और

(ख) 31 जनवरी, 1968 तक वस्तुत: कितने ऐसे लोगों को नौकरी पर लगाया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Hindi-Knowing Stenographers

3296. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the Ministry-wise and Department-wise number of clerks and Stenograhers to whom the training of Hindi Stenography has been imparted in the Central Training School so far ;

(b) the number of those among such trained employees who have been appointed as Hindi Stenographers in their respective Departments ;

(c) the time by which Government propose to appoint the remaining trained employees as Hindi Stenographers so that they may not foreget the Hindi Stenography so learnt ;

(d) whether it is also a fact that all the official work in Hindi Section of the Home Ministry is transacted in English while the main function of that section is to promote Hindi ; and

(e) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government for the discontinuance of the use of English in that Section ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The total number of persons belonging to the various Offices of the Central Government who received training in Hindi Stenography at the Secretariat Training School upto the end of December, 1967 is 1135. The Ministry/Department-wise break-up of such persons is not readily available.

(b) and (c) It is not the purpose of this training that after passing the prescribed examination these stenographers will be appointed as Hindi Stenographers. Therefor the question of the time within which all such Stenographers will be appointed as Hindi Stenographers does not arise.

(d) and (e) No, Sir. The nature of work in the Hindi Section mostly consits of establishment matters relating to gazetted staff (Regional Officers, Supervisors, Asstt. Supervisors, Instructors) and Hindi teachers, budget, accounts etc. To the extent possible Hindi is being used for official purposes in this Section. With the passage of the official Languages Act, as amended, both Hindi and the English languages can be used for the official purposes of the Union at the option of the employee.

मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल

3297. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के भागीदार, महाप्रबन्धक तथा छः कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग ने धोखा-धड़ी का मामला दायर किया है और यह मामला किन धाराओं के अन्तर्गत दायर किया गया था ;

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाये गए हैं और उन्होंने क्या तथा कितनी राशि की धोखाधड़ी की थी ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारियाँ की गई थीं और यदि हाँ, तो अपराधियों को कितनी राशि की जमानत पर रिहा किया गया है ; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) मेसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल, कलकत्ता, के सझीदार, जनरल मैनेजर और छः कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है, नीचे दिए जाते हैं :—

(1) श्री जीत पौल, मैनेजर साझीदार।

(2) श्री एस० पी० शर्मा, जनरल मैनेजर

(3) श्री वी० एस० पंजवानी

(4) श्री एम० एम० गाँधी

(5) श्री एन० एस० नटराजन

(6) श्री ए० एन० हूण

(7) श्री एस० एन० राय

(8) श्री एस० एल० चटरजी

उन सब पर धारा 420 आई० पी० सी० के साथ पठित धारा 120 बी, धारा 420 आई० पी० सी० और विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 23 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है।

(ख) मुख्य धारायें जिनके लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया है कि उन्होंने पत्तन कमिश्नर कलकत्ता को 102,220.60 रुपए का धोखा दिया और उन्होंने लौह और स्पात नियंत्रक से डुप्लिकेट कागजात पर परमिट लेकर सीमा शुल्क से निकासी ली और भाड़ा प्रभार जो 6444.208 पौंड होता था, विदेशी मुद्रा में भुगतान किया।

(ग) कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। चार्ज शीट 13-12-67 को पेश की गयी और न्यायालय ने अभियुक्तों को पेश करने के लिये सम्मन जारी कर दिए हैं।

(घ) इसका पूर्वाभास नहीं हो सकता है। क्योंकि चार्ज-शीट हाल ही में पेश की गई है अतः इस पर कुछ समय लगने की संभावना है। अभियुक्तों को पेश करने की अगली तारीख न्यायालय ने 8-3-1968 निश्चित की है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

3298. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को क्या सहायता दी जा रही है,?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): राज्य आयोजना योजनाओं के लिए, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा समेत, केन्द्रीय सहायता विकास के पूरे शीर्ष के लिए दी जाती है, प्रत्येक योजना के लिए अलग से नहीं।

Civil Defence

3299. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the target of enrolment for Civil Defence has been achieved;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to impart training to the people in Civil defence?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) About 50% of Civil Defence volunteers required have been recruited. The recruitment of Home Guards in Civil Defence areas is about 80 %.

(b) Civil Defence has been extended to certain new areas only recently and the tempo of recruitment in these areas is yet to be built up.

(c) the number of whole time paid instructors has been doubled. The training of Home Guards in vulnerable areas has been made more intensive. Civil Defence services are being exercised periodically and greater publicity is being given to Civil Defence Organisation.

Headquarters of Nefa

3300. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 419 on the 15th November, 1967 and state :

(a) the progress made in shifting the Headquarters of NEFA from Shillong; and

(b) the reason for shifting the headquarters ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) The matter is still under consideration of Government.

(b) There has been persistent public demand in NEFA that their headquarters should be located somewhere inside NEFA in order to intensify development efforts. This demand was also supported by the Parliamentary delegation which visited NEFA in 1966.

उड़ीसा में शिक्षा का माध्यम

3301. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालयों में उड़िया को शिक्षा का माध्यम बना रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियां

3302. **श्री बलराज मधोक**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि वह दिल्ली के कुछ भागों में स्थायी रूप से सब्जी बेचने वाले लोगों को परेशान कर रही है, यद्यपि दिल्ली नगर निगम ने उन्हें यह अधिकार दे रखा है और वे तह बाजारी दे रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने पुलिस द्वारा बम्बई अधिनियम के अन्तर्गत 'टेह बाजारी' के लाइसेंस दिए जाने के सम्बन्ध में उप राज्यपाल के पास प्रतिवेदन भेजे थे। दिल्ली के मेयर और नगर निगम की स्थायी समिति के कुछ सदस्य उप-राज्यपाल से मिले थे और उनसे यह निवेदन किया था कि लाइसेंसों द्वारा यातायात और बम्बई पुलिस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। स्थानीय पुलिस से भी निदेश दिए गए हैं कि वे 'हाकरों' द्वारा आपत्तिजनक स्थानों पर किए गए कब्जे के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व निगम को सूचित करें।

इस मामले में आवश्यक समन्वय कराने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त, जिला मैजिस्ट्रेट और सचिव (सूचना तथा प्रसारण), दिल्ली प्रशासन की एक समिति बनाई गई है।

बम विस्फोट

3303. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों, जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, बिहार आदि में नवम्बर और दिसम्बर, 1967 तथा फरवरी, 1968 में कुछ बम विस्फोट हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि ये बम विदेशी थे या देश में बने थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और लंका का अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

3304. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और लंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने जयपुर में हुई अपनी बैठक में राजनैतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे विश्वविद्यालयों के कार्य में हस्तक्षेप न करें और विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन न बनाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस बोर्ड ने इस बारे में कुछ उपायों का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन उपायों पर विचार किया है; और

(ङ) इनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) से (ग) जी हाँ। भारत और लंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने उप-प्रस्ताव पास किया और प्रेस को निम्नलिखित अपील जारी की:

"राष्ट्रीय नीति के प्रभावी साधन के रूप में विश्वविद्यालय पद्धति को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। वह इन उद्देश्यों को तभी पूरा कर सकता है जब कि उसे राजनीतिक दबावों और विचारों से मुक्त रख कर अपनी नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने की छूट दी जाए। वास्तव में विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षिक कार्य में इस प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप अन्ततोगत्वा न तो समाज के हित में होता है और न किसी विशेष राजनीतिक दल के ही। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की यह बैठक देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील करती है कि वे ऐसे कार्य में मदद नहीं करें जससे विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप या बाधा हो जैसे–किसी राजनीतिक या अन्य गतिविधि के समर्थन में प्राधिकारी के विरुद्ध हड़ताल या आन्दोलन में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को लगाना। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा हित होगा यदि सभी संबंधित दल इस प्रकार की आचार संहिता को स्वीकार कर लें और उसे अमल में लायें।

(घ) और (ङ)। बोर्ड ने अभी तक भारत सरकार के विचारार्थ कुछ भी नहीं भेजा, किन्तु मंत्रालय उनकी जाँच करा रहा है।

Aeroplanes

3305. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of planes and their types with the Airline in the country and the value of spare parts imported last year for the maintenance of these planes and the countries from which imported ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Air Corporations have the following aircraft :

Type of aircraft Air-India	**No.**
Boeing 707—420	5
Boeing 707—320B	3
Boeing 707—320C	1
Total	9

Type of aircraft Indian Airlines	**No.**
Caravelle	7
Viscount	14
Fokker Friendship	15
Dakota	29
Skymaster	3
HS-748	3
Total	71

Air India imported spare parts costing Rs.162.86 lakhs during 1966-67 and IAC imported spares costing Rs.311.16 lakhs during the year 1967 mainly from the following countries :

Air India	**Indian Airlines**
The United States of America	The United States of America.
The United Kingdom	The United Kingdom
Switzerland	France
France	Holland
West Germany	West Germany
Australia	Canada
Italy	
Czechoslovakia	

Education on Chinese Pattern

3306. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have studied the new Chinese education system wherein there would be no examinations and each student would be required to attain proficiency in some sphere and each student would undergo compulsory military training ; and

(b) if so, whether Government propose to bring in some alterations in the education policy of the country and reorient education on Chinese pattern ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) Government keeps itself broadly in touch with important educational developments in leading countries of the world, including China, to the extent possible.

The educational problemes of India cannot be solved by mere adoption of pratcices of other countries. A compenhensive scheme of educational reform which the country needs, has been put forward after examining and assimilating the experience of other countries by the Education Commission. Its recommendations have been broadly accepted by Governmen t and their implementation will be made the basis of the new Fourth Five Year Plan which will begin in April, 1969.

विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में समिति

3307. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी समिति का प्रतिवेदन विभिन्न विश्व विद्यालयों के विचार जानने के लिये उनको भेजा गया था;

(ख) क्या विश्व विद्यालयों की राय इस बीच प्राप्त हो चुकी है;

(ग) यदि हाँ, तो सामान्यतया उनके विचार क्या हैं;

(घ) क्या किसी विश्वविद्यालय ने इस बारे में उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हाँ, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बारे में कार्यवाही प्रारम्भ की है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) आयोग को अब तक केवल दो विश्वविद्यालयों के मत प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) इन दोनों ही विश्वविद्यालयों ने सिफारिशों से अपनी सहमति प्रकट की है और सूचित किया है कि वे उन पर काफी हद तक अमल कर रहे हैं।

Use of Hindi in Ministries

3308. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing in the Hindi daily "Hindustan" dated the 10th September, 1967 wherein it has been stated that the progress of work in Hindi has been put in a reverse gear in several Ministries and as much noting etc. is not being done in Hindi as was being done before the 26th January 1965 ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard and the action being taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) The Delhi Edition of the Hindi daily 'Hindustan' dated the 10th September 1967 does not contain the news referred to. However, the progress of the use of Hindi for official purposes in the Ministries is reviewed on the basis of half-yearly reports and action taken wherever necessary.

Training given to Government Employees in Hindi type-writing

3309. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons to whom training in Hindi typewriting has been imparted so far by the Ministry and the number of such trained employees among them as have been engaged on Hindi work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

More than 7,000 employees have been trained in Hindi typewriting so far. Training in Hindi typewriting is primarily a preparatory measure for facilitating the gradual switch-over to the use of Hindi for official purposes of the Union. These officials are being utilized for Hindi typewriting to the extent necessary.

Hindi/English Stenographers

3310. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi and English Stenographers in various Ministries and Departments; and

(b) the number of Stenographers and other employees proposed to be recruited for doing Hindi work in view of the progress made in Hindi work after the passing of Official Languages (Amendment) Act ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) The number of English Stenographers (Grade II) in the Central Secretariat Stenographers Service as on 1-12-67 was 2489 (including those holding ex-cadre posts etc.). The number of Hindi stenographers in Ministries and Departments participating in the C.S.S.S. in 1966 was 20.

(b) There is already in operation a scheme to train the existing personnel in Hindi Stenography as well. It is therefore not proposed to have any further recruitment to the separate cadre of Hindi Stenographers.

It is not possible to indicate at this stage the number of other categories of employees who would be recruited for doing Hindi Work.

राज्यों में हिन्दी का प्रयोग

3311. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजभाषाएं (संशोधन) अधिनियम बन गया है, केन्द्रीय सरकार के साथ सरकारी दस्तावेजों और पत्र-व्यवहारों में हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग की जाये इसके लिये राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गई हैं;

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों के लिए सहायता

3312. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ सहायताप्राप्त स्कूलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि उन्हें, विशेषकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं के अधिक सेक्शन खोलने के लिये, पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार साहित्य

3313. **श्री जुगल मण्डल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें प्रचार साहित्य के बारे में पूछी गयी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रचार साहित्य में से कितना साहित्य बेचा जाता है, कितने साहित्य के लिये लोगों द्वारा धन दिया जाता है और कितना साहित्य निःशुल्क बाँटा जाता है; और

(ग) भारतीय लोगों के सहयोग के साथ संगठित इन विदेशी 'मैत्री संगठनों' अथवा "मित्रता संस्थाओं" के नाम क्या हैं और इन संगठनों से संबंधित भारतीय लोगों के नाम क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) यू० के० हाई कमीशन द्वारा निकाली गई तीन पत्रिकाएं निःशुल्क बाँटी जाती हैं जब कि अन्य दूतावासों द्वारा निकाले गए प्रकाशन अंशतः बेचे जाते हैं तथा अंशतः निःशुल्क बाँटे जाते हैं।

(ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 394/68]**

पर्यटन पर व्यय

3314. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री पर्यटन पर व्यय के बारे में 18 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5990 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन पर व्यय के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 395/68]**

दिल्ली में लड़कियों के लिए पोलीटेक्निक

3315. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण दिल्ली में लड़कियों के लिये और अधिक पोलिटेक्निक स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या विद्यमान ऐसी संस्थाओं में स्थानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हाँ' में हो, तो महिलाओं की शिक्षा के हित में इन उपायों को कार्यरूप देने में कितना समय लगेगा; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को उनके फालतू समय में विविध धंधे सिखाने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की भी कोई योजना है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

दक्षिण दिल्ली में पुस्तकालय की आवश्यकता

3316. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली (दक्षिण) में एक विशाल पुस्तकालय न होने के कारण वहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या इन विद्यार्थियों के लाभार्थ कला और विज्ञान की पुस्तकों से भरपूर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है और क्या इसके लिये अपेक्षित इमारत के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ग) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का एक शाखा-पुस्तकालय लक्ष्मीबाई नगर में और सामुदायिक पुस्तकालय सरोजिनी नगर, रामकृष्णा-पुरम, मोती बाग II और नेताजी नगर में हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की चलती-फिरती वैन सप्ताह में एक बार दक्षिण दिल्ली के निम्नलिखित स्थानों पर जाती है:— कालकाजी, मालवीय नगर, जंगपुरा, (भोगल), लाजपत नगर I और II, III, IV सेवा नगर, श्रीनिवास पुरी, लोदी कालोनी, पन्डारा रोड, खान मार्केट, साउथ दिल्ली एक्सटेंशन, एन्ड्रयूज गंज, रामकृष्णा पुरम-सैक्टर, III, IV और V नौरोजी नगर, किदवई नगर। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली में (1) यूनैस्को लाइब्रेरी, रिंग रोड, नई दिल्ली और (2) लोक सेवक मण्डल लाइब्रेरी, लाजपत भवन, लाजपत नगर, नई दिल्ली नाम से दो और पुस्तकालय चल रहे हैं।

अभी तक इस मंत्रालय या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसमें दक्षिण दिल्ली के छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कथित कठिनाइयों को व्यक्त किया गया हो।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को उसकी शाखा के लिए सरोजिनी नगर में एक भूखण्ड नियत किया जा चुका है। आशा है अगले दो वर्षों में इस भूखण्ड पर इमारत बना दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रामकृष्णपुरम के विभिन्न सेक्टरों में शाखा पुस्तकालय या उपशाखा या सामुदायिक पुस्तकालय खोलने के लिये जमीन या जगह प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड ने दिल्ली संघ क्षेत्र में प्रभागीय पुस्तकालयों, शाखा पुस्तकालयों, उपशाखा या सामुदायिक पुस्तकालयों की व्यवस्था करने के लिये दस वर्ष की अवधि की एक व्यापक योजना तैयार की है जो निधियों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का व्यवस्था और अनुसंधान की सुविधा देना पब्लिक पुस्तकालय का स्वीकृत कार्य नहीं क्योंकि यह कालेज और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र में आता है। फिर भी इस दिशा में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने शुरुआत की है और ब्रिटिश काउन्सिल के सहयोग से उसकी पटेल नगर शाखा में पाठ्य पुस्तक अनुभाग की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

समवाय सचिव (कम्पनी सेक्रेटरी)

3317. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनी सेक्रेटरियों के व्यवसाय के लिये सरकार ने किन व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान की है; और

(ख) क्या कारपोरेशन आफ सेक्रेटरीज़, लन्दन से इनकारपोरेटेड सेक्रेटरी तथा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ सेक्रेटरीज, लन्दन के चार्टर्ड सेक्रेटरी को सरकार इस प्रयोजन के लिये मान्यता देती है।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) कम्पनी कानून बोर्ड, भारत का कम्पनी सेक्रेटरीशिप में राजकीय डिप्लोमा।

(ख) जी, अभी नहीं।

पर्यटक होटल

3318. **श्री काशी नाथ पाण्डेय**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटक होटलों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) दिया गया आश्वासन पूरा किया जा चुका है तथा उसकी एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 396/68]

दिल्ली के अध्यापकों के लिए पेंशन/भविष्य निधि सम्बन्धी योजना

3319. **श्री मणिभाई जे० पटेल**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये बनाई गई पेंशन और भविष्य निधि संबंधी योजना को स्वीकार कर लिया है जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली के कालेजों के अध्यापकों के लिये भी वैसी ही योजना लागू की जायेगी?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरों की जांच की जा रही है।

(ग) एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोचीन पत्तन

3320. **श्री विश्वनाथ मेनन**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर 9 क्यूबिक फीट लम्बी बर्थ का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बर्थ की लम्बाई 808 फुट करने के बारे में कोचीन पत्तन के प्राधिकारियों से अभ्यावेदन मिला है,

(ग) यदि हाँ, तो उन्होंने अपने प्रस्ताव के समर्थन में क्या कारण दिए हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) घाट का निर्माण प्रगति पर है।

(ख) जी हाँ।

(ग) घाट की जरूरत प्रतिरक्षा पोत और खुला माल ले जाने वाले विशाल पोतों के ठहरने के लिये है। ये पोत सामान्यतया अपने आकार के कारण दो पार्श्वघाट घेर लेते हैं।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

पत्तन न्यासों में संसद सदस्यों के लिए प्रतिनिधान

3321. **श्री विश्वनाथ मेनन**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न पत्तन न्यासों में संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या यह सच है कि उन न्यासों में नगरपालिकाओं और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

केरल उच्च न्यायालय में रिक्त पद

3322. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल उच्च न्यायालय में तीन पद रिक्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) राज्य अधिकारियों से इन रिक्तियों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

बम्बई-कोचीन विमान सेवा

3323. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विमान द्वारा बम्बई होकर कोचीन जाने वाले यात्रियों को बम्बई-कोचीन विमान को पकड़ने के लिये बम्बई में तीन घंटे से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का बम्बई में प्रतीक्षा-समय कम करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यात्री शीघ्र कोचीन पहुँच सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ, विमान द्वारा दिल्ली से हो कर कोचीन जाने वाले यात्रियों को बम्बई में लगभग तीन घण्टे तक ठहरना पड़ता है लेकिन मद्रास से हो कर जाने में केवल 35 मिनट ठहरना पड़ता है।

(ख) विमान सेवाओं की समय-सारिणी उपलब्ध विमान की सर्वोत्तम उपयोगिता को दृष्टि में रख कर बनायी जाती है। वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार की राहत संभव नहीं है लेकिन जब और अधिक विमान उपलब्ध हो जायेंगे और, और अधिक सेवाएं आरम्भ की जायेंगी तो आई० ए० सी० इस बात को ध्यान में रखेगी।

Introduction of Mahabharata Samvat

3324. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce Mahabharata Samvat in India by accepting the end of Mahabharata battle as the basis therefor ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) No, Sir.

(b) The Government has already adopted, for use for various civil purposes a uniform National Calendar for the whole of India with effect from 22nd March, 1957 corresponding to Ist Chaitra, 1879, in conjunction with the Gregorian Calendar. The National Calendar, which is based on Saka Era, was recommended by the Calendar Reform Committee after considering different calendar systems followed in the country including a calendar associated with the Mahabharata.

Central Civil Services

3325. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1261 on the 22nd November, 1967 and state :

(a) whether the information in regard to the Central Civil Services has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) Number of Class I Officers who applied for permission during the period from April, 1965 to August, 1967 for acceptance of employment by their sons, daughters or other dependents in private undertakings 146

Number of Class I Officers to whom permission has been granted.....143

Number of Class I officers to whom permission has been refused..... 3

Retired I.C.S. Officers

3326. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1262 on the 22nd November, 1967 and state :

(a) whether the information in regard to the retired I.C.S. Offices has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) The information is enclosed in the statements attached. **[Placed in Library See. No. LT —397/68]**

Gang of Car Thieves

3327. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 439 on the 15th November, 1967 and state the progress since made in regard to the investigations about the gang of the car thieves and the time by which the investigations are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

Of the seven cases against this gang, investigation has been closed in six cases as the cars alleged to have been stolen could not be recovered from Nepal. The question of recovery of these car has been taken up with the Government of Nepal through the Ministry of External Affairs.

The investigation in the remaining case is under progress and will be finalised shortly.

तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में हवाई पट्टी

3328. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति में हवाई पट्टी बनाने की कोई योजना है; और

(ख) क्या यह सच है कि तिरुपति देवास्थानम के न्यासी बोर्ड ने यह प्रस्ताव किया है कि यदि तिरुपति में हवाई पट्टी बनाई जाये तो वे इस पर आने वाले खर्च का बड़ा भाग वहन करने को तैयार हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) इसके बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उसकी जाँच की जा रही है।

(ख) इस प्रकार का औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, परन्तु मंदिर के अधिकारियों के साथ हवाई पट्टी के निर्माण की लागत में देवास्थानम द्वारा हिस्सा बंटाने की संभावना के बारे में विचार-विमर्श किया गया है।

आम चुनावों में अनियमित विमान-उड़ानें

3329. **श्री गाडिलिंगन गौड**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले आम चुनाव में कितनी अनियमित-विमान उड़ानें हुईं; और

(ख) संगठनों अर्थात् राजनैतिक दलों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा कितनी विमान-उड़ानों का प्रयोग किया गया?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) लिखित प्रश्न संख्या 509-क, जिसका जवाब 4 अप्रैल, 1967 को दिया गया था, के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में, हाल में हुए आम चुनावों में चुनाव-कार्य के लिए कुछ उम्मीदवारों/संगठनों द्वारा अनसूचित उड़ानों का उपयोग किए जाने के बारे में सूचना 19 जुलाई, 1967 को लोक सभा-पटल पर रख दी गयी थी। इस विवरण की एक नकल तत्काल निर्देश के लिए संलग्न पत्र में दी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 398/68**]

आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में पर्यटकों के लिये होटल

3330. **श्री गाडिलिंगन गौड**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में सरकार द्वारा पर्यटकों के लिये कितने तथा किन-किन स्थानों पर होटल चलाये जा रहे हैं; और

(ख) होटलों अथवा आवास स्थानों के निर्माण के लिये संगठनों अथवा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या शर्तें रखी गयी हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) भारत सरकार आंन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य में कोई होटल नहीं चला रही।

(ख) इस समय होटल उद्योग को वित्तीय सहायता राज्य वित्त निगमों अथवा औद्योगिक वित्त निगम से उपलब्ध होती है जो कि होटल उद्योग को प्रायोजना की पूंजी लागत का प्रायः 50% तक ऋण देते हैं। पर्यटन महत्व के क्षेत्रों में स्थित, सरकारी अथवा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा प्रारम्भ की गयी अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं को सरकार द्वारा स्थापित होटल विकास निधि से भी व्याज-देय ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी। ऋण की राशि नए निर्माण-कार्यों के मामले में उनकी नियत परिसम्पत्ति, अर्थात् भूमि, इमारत तथा अन्य अचल सम्पत्ति के मूल्य का दो-तिहाई तक होगी जिसका कि वापस भुगतान 9 वर्षों में किया जाना होगा। विस्तार/नवीकरण करने वाली अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं के मामले में ऋण की राशि, खर्च की जाने वाली राशि की 50% तक होगी जिसे कि 7½ वर्षों में वापस किया जाना होगा। इन ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज की दर वही 7% वार्षिक होगी जो सरकार औद्योगिक उद्यमों से लेती है।

बस्तर के कुरकू नृत्यों को बढ़ावा देना

3331. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी बस्तर के लोगों, जिन्हें मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर अनेक बार पुरस्कार मिले हैं, के कुरकू नृत्यों को बढ़ावा देने के लिये कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन नृत्यों के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते किसी संस्था द्वारा कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

Toursists Places in Madhya Pradesh

3332. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tourists visiting historical places (under Archaeological Department) of Madhya Pradesh are experiencing a good deal of inconvenience for want of proper accommodation being made available to them ; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh);

(a) Some complaints have been received from tourists about the lack of accommodation at places of interest (under the Archaeological Department) in Madhya Pradesh, and Government is aware that there is considerable scope for expanding and improving the existing accommodation available at such centres.

(b) Provision is proposed to be made in the Fourth Five Year Plan on tourism for the expansion of and improvements to the existing Tourist Bungalows at Mandu, Sanchi and Khajuraho and for the construction of a Tourist Bungalow (class I) at Gwalior. As regards the construction of Tourist Bungalows (Cass II) at Sanchi and Khajuraho, the matter will be pursued with Government.

Air Travel Concession for Teachers

3333. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Toursim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines have decided to give 50 percent concession in fare to the teachers ; and

(b) if so, the broad details of the scheme ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) and (b) With effect from 27th January, 1968, I.A.C. have introduced a scheme under which teachers are allowed 50% concession subject to the following conditions :

(i) The teacher must accompany a group of not less than ten students between the age group of 12 and 26 on any particular domestic sector or sectors of I. A. C. as a tour escort or guardian. Otherwise they are not entitled to any concession whatsoever.

(ii) The teacher must produce a certificate from the School/College advising that the teacher is accompanying a group of ten children who must be named for travel on a partiular domestic service or services of I. A. C.

Educational Reforms

3334. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have sent a scheme to all the States to bring a reform in education and have appealed to them to implement it so that the system of education could improve;

(b) if so, the details of the scheme ; and

(c) the names of the States which have accepted it ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

However it may be stated that the Education Commission (1964-66) has made a number of recommendations to improve the education system of the country. These have been communicated to the State Governments for consideration and implementation :

Pension/Provident Fund Scheme for Teachers

3335. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have accepted the recommendations of the University Grants Commission to implement the Pension-cum-General Provident Fund-cum-Gratuity schemes with effect from the 1st April, 1964 ; and

(b) if so, the extent of the benefits accuring from the pension, General Provident Fund and Gratuity to the University teachers ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) The University Grants Commission, in consultation wth the Government of India, have introduced the schemes of (i) General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity and (ii) Contributory Provident Fund-cum-Gratuity in the Central Universities and the Indian Institute of Science, Bangalore, only with effect from April 1, 1964. The employees have the option to choose either of the two schemes.

These schemes have also been brought to the notice of State Universities and "deemed" Univesitities who have been asked to take up with the State Governments/authorities concerned the question of introduction of the these schemes for the benefit of their employees.

(b) Under the General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, an employee would, after putting in a minimum of ten years of qualifying service, be entitled to pension at the rate of 1/160th of the average emoluments for each completed six monthly period qualifying service subject to certain conditions. In addition, he would also be eligible for Gratuity, Family Pension and extra-ordinary pension on the same scale as applicable to Central Government employees.

Under the new Countributory Provident Fund-cum-Gratuity scheme, an employee who was not etitled to any gratuity under the old scheme, would become eligible for gratuity at the rate of one-half of the emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of fifteen times the emoluments or Rs.24,000 whichever is less. The University's contribution to the fund has been restricted to 8% of the employee's pay, as against 8⅓% of pay under the old scheme.

Educational Reforms

3336. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the present system of education is proposed to be changed in view of indiscipline among the students and the increasing tendency of going on strike and copying in the examination ; and

(b) whether any suggestions have been received from State Govrenments and educational institutions in this regard, if so, the names thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Various suggesions have been made by the Education Commission in its report on the question of transformation of the present system of education that will inter-alia deal with the question of indiscipline among students etc. A national policy, having regard to the recommendations made by the Commission, is being formulated.

(b) The State Governments have broadly supported the rcommendations of the Education Commission.

Helicopter Service

3337. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the proposal made by Marhashtra Government that a helicopter service from Santacruz airport to the various places in South Bombay be introduced ;

(b) if so, the salient features of the proposal and whether this service would be operated by some private company or in the public sector ; and

(c) when the proposed helicopter service is likely to be introduced ?

The Minister of Toursim and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) No such proposal from the Government of Maharashtra has come to notice.

(b) and (c) Does not arise.

Cases pending in High Courts

3338. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of cases in the Delhi High Court pending disposal for more than a year ; and

(b) whether any proposal is under consideration of Government to ensure quick disposal of cases in the High Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) 8085 as on 31st December, 1967.

(b) A proposal to amend the Delhi High Court Act so as to raise the monetary limit of its original jurisdiction from Rs.25,000 to a higher figure is under consideration. Pendency in the High Court will be reduced when this proposal is implemented.Besides, one more post of Additional Judge has recently been sanctioned for the High Court, raising its strength to 10 permanent judges and 2 Addl. Judges. With the filling up of this post and also the existing vacancies, the High Court would be in a position to ensure quicker disposal of cases.

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

3339. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर के विरुद्ध कुछ आरोपों के बारे में कुछ ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) ज्ञापन में दिए गए आरोप मुख्यत: दल के धन के दुरुपयोग तथा सम्बन्धियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति के बारे में है। दल के धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले पर विचार करने के लिये ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ दल के अधिकारियों को भेज दी गईं थीं। जहाँ तक दूसरे आरोपों का संबंध है, की गई प्रारम्भिक पड़ताल की जाँच करवाने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया।

Communal Rosters

3340. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Departments of Government, while making appointments, do not prepare model communal rosters as a result of which Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates do not get requisite number of posts ;

(b) if so, the number and names of such Departments and the action taken by Government against them ;

(c) whether it is a fact that Government do not get the model communal rosters scrutinized by the Home Ministry ; and

(d) if so, whether Government propose to collect the detailed information relating to model communal roster from each department and to get it scrutinzed by the Home Ministry in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) Each appointig authority under a Ministry / Department is required to maintain rosters for giving effect to reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services, in accordance with the orders issued in this regard. If instances of any appointing authority not maintaining the rosters properly come to the notic of this Ministry, they are directed to rectify the deficiency and maintain the rosters as per Government's Orders on the subject. However, information regarding the number and names of Departments, if any, not maintaining the rosters is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) and (d) Annual returns giving *inter-alia* the details of the roster followed for appointments and the numbers filled by Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been prescribed for submission by the appointing authorities to the administrative Ministry/Department and the Ministry of Home Affairs. It is not feasible to get the rosters maintained by all appointing authorities under the various Ministries/Departments, scrutinized in the Ministry of Home Affairs.

गौहाटी में दंगे

3341. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री ना० स्व० शर्मा** :
श्री लखण लाल कपूर : **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुमान लगा चुकी है कि आसाम में गौहाटी में हाल में हुए दंगों में जान व माल का कितना नुकसान हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों की कोई सहायता दी गई है जिनके नुकसान हुए हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) 1-3-68 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2459 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। राज्य सरकार से शेष सूचना मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

Delhi-Bombay Air Services

3342. **Shri Shashi Bhushan Bajpai**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to introduce air service between Delhi and Bombay en route Indore in the near future in view of the fact that Indore is an industrial area and a business centre ?

(b) if so, the time by which it is likely to be started ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) to (c) In the summer Schedule, which is expected to come into effect from 15th April 1968, the Corporation has made provision for a daily service Delhi-Bhopal-Indore-Bombay with Fokker aircraft.

Annual Grants to Hindi Associations

3343. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government give annual grants to the Hindi associations in Maharashtra ;

(b) if so, the names and addresses of these associations and the amount of grant paid to each of these associations in 1966-67 and 1967-68 and the amount of grant sanctioned for the year 1968-69 ; and

(c) the basis on which grants are being given to these Hindi associations ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) A statement showing names etc. of Voluntary Hindi Organisations in Maharashtra which were given grants during 1966-67 and 1967-68 (so far) is enclosed. [**Placed in Library. See No. LT—399/68**] . Applications for grants for 1968-69 will be invited through the State Government in April, 1968.

(c) The grants are given on the basis of 75% of the total admitted expenditure on approved schemes.

Rashtriya Kala Mandir

3344. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Rashtriya Kala Mandir in Bombay at a cost of three crores of rupees ;

(b) the expenditure to be met by the State Government and the Central Government, separately towards the cost of Kala Mandir ;

(c) whether any foreign assistantce is likely to be received in this regard and if so, the amount thereof and the name of the country from which the assistance is likely to be received ; and

(d) when the construction work on Kala Mandir is likely to be started and the time by which it will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The Ministry has no such proposal.

(b) to (d) The Ministry has no information but a reference is being made to the State Government and the information when received will be placed on the Table of the House.

Law on Religious Conversions

3345. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Ministe of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the tribal people of Orissa have approached the Central Government to impose a statutory ban on the religious conversions through allurements, coercion and other pressures so that their religion and culture were protected ;

(b) whether it is a fact that the Government of Orissa have made laws in regard to the religious conversions ;

(c) if so, whether Central Government propose to make laws as done by Government of Orissa for the protection of the religion and culture of all the tribal people of India; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) In a printed memorandum to the Prime Minister in November, 1967 a tribal leader of the Munda adivasis of Western Orissa urged that the Central Government should impose a statutory ban on the conversion of adivasis to Christianity and declare such conversions null and void from the date of commencement of the Constitution, under article 13 read with article 29.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Central Government do not consider Central legislation called for.

Road Transport Freight Charges

3346. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring uniformity in the freight charges and passenger fare to be charged by road transport in all the States; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) Fare and freight rates for passenger buses and goods vehicles are fixed by the Sate Transport Authorities under the Motor Vehicles Act. As the conditions affecting the cost of operation and maintenane of such vehicles vary from State to State it is not considered practicable to enforce uniform fare and freight rates for transport vehicles throughout the country.

Bridges on National Highway No. 26

3347. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the time by which the construction of bridges over the rivers and rivulets between Sagar and Raman and National Highway No. 26 are likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): The Member is presumably referring to the Sagar-Barman section of National Highway No. 26. The position in regard to the construction of bridges on this Section is indicated below:

(1) Bridge over Dehar river.	Already completed.
(2) Bridge over Karanjua nullah.	These bridges are likely to be completed by June, 1969.
(3) Bridge over Sonar river.	
(4) A bridge downstream of the confluence of Jhunku nullah and Sukhchain nullah.	

(5) Bijora nullah. The estimate for the construction of the bridge has not yet been sanctioned.

Bridge on Dokri Nullah on National Highway No. 26

3348. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the tender regarding the construction of a bridge on Dokri nullah on National Highway No. 26 has been accepted and an agreement to this effect concluded ;

(b) if so, the time by which bridge would be completed and opened to traffic; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time by which the tender would be accepted and the agreement concluded ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c) The Government of India have already accepted the recommendation of the State Government regarding the award of the contract and the agreement with the Contractor is likely to be concluded shortly. The work will take about 18 months for its completion from the date of its commencement, excluding the monsoon periods.

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों का चयन करने की कसौटी

3349. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 से लेकर 1967 की अवधि के दौरान वर्षवार दिल्ली में पुलिस अधिकारियों का चयन करने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या विभिन्न वर्षों में इस कसौटी में कोई परिवर्तन किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 400/68]**

(ग) परिवर्तन चयन का क्षेत्र विस्तृत करने तथा विभागीय उम्मीदवारों को रियायतें देने के लिये किया गया है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त संवर्ग के निर्माण आदि को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर के चयन की कसौटी में परिवर्तन किया गया था।

न्यायालयों में काम निपटाने में विलम्ब

3350. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायालयों द्वारा मामलों को निपटाये जाने के बारे में तथा इसमें विलम्ब के कारणों के बारे में कोई जाँच कराई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) विधि आयोग ने, जिसने न्यायिक प्रशासन में सुधार के प्रश्न पर जाँच की थी, सन् 1958 में एक प्रति-

वेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों में मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारणों तथा ऐसे विलम्बों के परिहार्यार्थ कार्यवाही किए जाने पर विचार किया गया था। राज्य सरकारों ने, जो न्याय-प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, मोटे तौर पर सूचित किया है कि उन्होंने वे प्रशासनिक उपाय अपना लिये हैं जिनकी विधि आयोग ने सिफारिश की थी। समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है तथा जब कभी आवश्यक होगा अधिक उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे।

न्यायालयों में काम निपटाने में विलम्ब

3351. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में, न्यायालय अथवा वरिष्ठ वकीलों की सुविधा के लिये बिना खर्चा डाले सुनवाई स्थगित करना आम बात हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों को यह सुझाव देने का है कि जब दो से अधिक बार बिना खर्चा डाले सुनवाई स्थगित की जाती है, तब विलम्ब को सुस्पष्ट करने के लिये 'आर्डर शीट' में लाल स्याही में प्रविष्टि की जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन पत्तन

3352. **श्री बासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन पर समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के लिये घाट पर शीतागार की कोई सुविधा नहीं है और इन पदार्थों का लदान करने वाले जहाजों के खड़े करने के लिए कोई विशेष घाट (बर्थ) नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहाँ पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) कोचीन पत्तन में घाटों पर शीतागार सुविधा की व्यवस्था नहीं है। मरीन प्रोडक्ट इक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल से पोर्ट अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की सुविधा के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई है। फिर भी शीतागार गोदाम के निर्माण के लिये घाटों से बड़ी दूर पर वेलिंग्डन टापू में केरल राज्य सरकार को भूमि पट्टे पर दी गई है और निर्माण निकटतः पूरा हो गया है। 22 फरवरी, 1968 को संबद्ध हितों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में पत्तन अधिकारियों द्वारा पत्तन में ऐसी सुविधा करने की व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया था। उसमें सुझाव दिया गया था कि पत्तन को आदर्श शीतागार की व्यवस्था पर विचार करना चाहिये जिससे उत्पादक जमा किए जा सकें और सीधे पोतों में पहुँचा दिए जाये। पोर्ट अधिकारी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

कोचीन पत्तन

3353. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन पर अनाज जैसे माल को उतारने तथा लादने के लिये यंत्रों की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहाँ पर ऐसे यंत्रों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) भारत के खाद्य निगम ने नियमित आधार पर खाद्यान्न के लिये विपुल माल धरने-उठाने के लिये कोई यांत्रिक-धरा उठाई वाला उपस्कर अभी तक नहीं लगाया है। फिर भी सोलह पोतों के मामले में मई, 1967 से दिसम्बर, 1967 के अन्त तक निगम द्वारा प्रायोगिक आधार पर गेहूँ की यांत्रिक उतराई की गई थी।

खाद्य निगम नियमित आधार पर कोचीन में गेहूँ के खुले माल के यांत्रिक उतारने के प्रबन्ध के लिये एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसमें पत्तन पर शारीरिक श्रम के लिये उपलब्ध रोजगारी के अवसरों पर उसके प्रभाव का तथा पत्तन द्वारा खाद्यान्न के निरन्तर दीर्घ-कालीन अवधि की संभावना पर भी विचार किया जायेगा।

खाद्यान्न के अलावा पत्तन पर अन्य विपुल माल जिसकी धरा-उठाई की जाती है तैल है जिसके लिए विशेष सुविधायें हैं।

कोचीन पत्तन पर यात्री जहाजों को सुविधायें

3354. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन पर यात्री जलयानों के ठहरने के लिये उचित व्यवस्था नहीं है और ये जलयान इस पत्तन पर कभी कभी आते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पत्तन पर इसप्रकार की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) और (ख) कोचीन पत्तन में उपलब्ध यात्री पोतों के लिये सुविधा सीमित है। पत्तन अधिकारियों ने एक आधुनिक यात्री सीमान्त भवन निर्माण करने का प्रस्ताव किया है किन्तु फिलहाल उसे स्थगित कर देने का निश्चय किया गया है क्यों कि यह सोचा गया कि यात्री यातायात में बढ़ोत्तरी का विचार आजकल की परिस्थिति में संभवत: पूरा न हो सके और उसपर व्यर्थ का व्यय होगा।

Hindi in Non-Hindi States

3355. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme to popularise Hindi at District level in non-Hindi speaking States ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) and (b) No fresh scheme for popularisation of Hindi at the District level in non-Hindi speaking States is being formulated by the Government. Only the existing schemes, details ofwhich are given below, are being implemented for propagation of Hindi in non-Hindi speaking States :—

(a) Financial assistance is rendered on a 100% basis to the Government of non-Hindi speaking States for (i) appointment of Hindi teachers in middle, high and higher secondary schools and(ii) establishment of Hindi Teachers Training Colleges.

(b) Financial assistance is rendered to voluntary organisations in non-Hindi speaking States on the basis of 75% of approved expenditure for implementing various Hindi propagation schemes like running of Hindi teaching classes, establishment of Hindi libraries, training of Hindi Pracharaks running of Hindi typewriting classes, conduct of Hindi teachers Seminars, Vidyarathi melas, Hindi essay and elocution contest, Hindi dramas, etc. etc.

(c) Popular Hindi books are supplied to Governments of non-Hindi speaking States for free distribution in schools, colleges and public libraries.

(d) Scholarships are awarded to students of non-Hindi speaking States for study of Hindi at the post matriculate level.

हिसार उड्डयन क्लब के पुष्पक विमान की दुर्घटना

3356. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 फरवरी, 1968 को हिसार उड्डयन क्लब का पुष्पक विमान हिसार (राजस्थान) के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दुर्घटना की अभी जाँच हो रही है।

पालम हवाई अड्डे पर जलपान व्यवस्था के ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

3357. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के जलपान-व्यवस्था के ठेकेदार ने सरकार की सारी बकाया राशि दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो वसूल की गयी राशि तथा बकाया राशि के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल के कुछ भागीदारों ने इस ठेके को चलाने में कुछ रुचि अर्जित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) 31-12-1967 को सरकार को देय राशि का 1,23,001.45 रुपए का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) खानपान प्रबन्धक ने कलकत्ता के 'मेसर्स फ्लरीज स्विस कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड' के श्री ए० बी० शाह को पालम पर अपना रेजिडेंट मैनेजर नियुक्त किया है।

(घ) सरकार का विचार है कि मेसर्स रैफल्स रेस्टोरेंट का 28-2-67 को उनके पिछले ठेके समाप्त हो जाने पर पालम पर वैध खानपान ठेका खत्म हो चुका है तथा उनका वहां बने रहना अवैध है। सरकार के विचार में मैसर्स रैफल्स रेस्टोरेंट ने अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया है जिसका सरकार प्रतिवाद कर रही है। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता सरकार के लिये उस पार्टी को ठेका छोड़ देने के लिये बाधित करने के बारे में आगे कोई कार्यवाही करना संभव नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल

3358. **श्री बे० कु० दासचौधरी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नई प्रवृत्तियों और घटनाओं को देखते हुए सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल के विभिन्न विभागों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) क्या भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल ने कोई पूर्ववर्तित परियोजनायें आरम्भ की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क): स्कूल का प्रस्ताव है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, विज्ञान और संगठन के वर्तमान विभाग से विषय को हटाकर यूरोपीय अध्ययन के लिए अलग विभाग स्थापित किया जाए। रूसी अध्ययन के लिए भी एक अलग विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर स्कूल द्वारा शुरू की गई अनुसंधान प्रायोजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं:—

(i) इन्डियाज रिलेशंस विथ वैस्ट एशिया 1947–64

(ii) दि एज ऑफ गांधी।

(iii) इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स।

(iv) इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (सिन्स 1951/52) ए केस स्टडी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंटस पालिसी इन ए गिक्स्ड इकानामी।

(v) पावर एज ए फैक्टर इन दि इंडियन फारन पालिसी।

(vi) इंडिया एण्ड वैस्टर्न यूरोप : 1947–1959

(vii) इन्डो-जापानीज इकानामिक रिलेशंस।

(viii) दि डवलपमेंट ऑफ इन्टरनेशनल ला-कन्सेप्ट्स इन इन्डियन हिस्ट्री।

(ix) दि यूनाइटेड नेशन्स एण्ड इन्डिया-पाकिस्तान कनफिल्क्ट।

(x) स्टडीज़ इन इडिन्याज़ फारिन रिलेशन्स (1947-64) डयूरिंग दि नेहरू एरा।

(xi) दि यूनाइटेड स्टेटस एण्ड लास्ट फेज़ ऑफ स्ट्रगल फार इन्डियन इन्डिपेंडेंस, 1939-45

(xii) ए स्टडी आफ यू० एस० इन्डियन रिलेशन्स डयूरिंग दि ट्रयूमैन इयर्स ।

(xiii) इन्डिया एण्ड दि पीस-मेकिंग इन इन्डो-चाइना, 1954-66.

(xiv) दि यूनाइटेड स्टेट्स इकानिमिक रिलेशंस विद इन्डिया 1947-64.

(xv) इन्डिया एण्ड दि कामनवैल्थ 1947-64: ए डाक्यूमेन्टरी स्टडी।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल का निदेशक

3359. **श्री हेम बरुआ**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल की स्थापना से लेकर अब तक उसके निदेशक पद पर जिन-जिन व्यक्तियों ने काम किया है उनके नाम तथा शैक्षिक अहर्तायें क्या हैं;

(ख) वर्तमान निदेशक की शैक्षिक अर्हतायें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में निदेशक ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं अध्ययन संकाय से निकाल दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के विषय पर पढ़ाने तथा अनुसंधान करने के हेतु शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख) निम्नलिखित व्यक्ति इस स्कूल की स्थापना के समय से पहले निदेशक रह चुके हैं:—

(i) डा० ए० अप्पादोराई,
सितम्बर, 1955 से दिसम्बर, 1964 तक।

(ii) डा० ए० के० दास गुप्ता, कार्यवाहक निदेशक,
दिसम्बर, 1964 से फरवरी, 1965 तक।

(iii) डा० एम० एस० राजन,
फरवरी, 1965 से अब तक।

शैक्षिक योग्यतायें तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरे अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 401/68]

(ग) जी, हाँ। किन्तु बाद में उन्होंने त्यागपत्र वापस ले लिया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमानों की खरीद

3360. **श्री विक्रमचन्द महाजन**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान खरीदने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

आई० ए० सी० लम्बी अवधि के ऋणों पर विमान खरीदता है। 1966-67 और 1967-68 में खरीदे गए विमानों के बारे में कारपोरेशन द्वारा भुगतान किए जाने वाले ऋणों और वास्तव में भुगतान किए गए ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

	1966-67	1967-68
	(लाख रुपयों में)	
कुल भुगतान किया जाने वाला ऋण।	700.72	673.40
विमान के मूल्य के लिये वास्तव में भुगतान किया गया ऋण।	316.65	404.96
ऋण पर दिया गया ब्याज।	59.12	84.82
दिया गया सीमा शुल्क।	20.86	13.00

लाहौल तथा स्पीती की विमान सेवा

3361. **श्री विक्रमचन्द महाजन**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लाहौल तथा स्पीती (हिमाचल प्रदेश) जैसे क्षेत्र वर्ष में छः महीने हिम से ढके रहते हैं और इस अवधि में इन क्षेत्रों तथा भारत के अन्य भागों के बीच संचार के कोई साधन नहीं रहते सिवाय विमानों को छोड़ कर; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों के लिये विमान सेवा आरम्भ करने का सरकार का कोई विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) भू-खण्ड की विषम स्थिति के कारण हवाई पट्टी बनाने के लिये उपयुक्त स्थान मिलना कठिन हो गया है और, यदि इन स्थानों को विमान सेवा परिचालित करना संभव भी हो तो भी मौसम की प्रतिकूलता तथा विमान यात्रा का उपयोग करने वाली जनता की नगण्यता के कारण, उससे भारी वित्तीय हानि ही होगी।

विमान चालकों के लिये होटलों में रहने की व्यवस्था

3362. **श्री काशी नाथ पाण्डे**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान चालकों के लिये होटलों में ठहरने की व्यवस्था के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो होटलों के नामों सहित एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्येक होटल को कितनी राशि का भुगतान किया गया और इस वर्ष में प्रत्येक होटल ने कितने विमान चालकों को ठहरने के लिये स्थान दिया; और

(ग) मितव्ययिता के उपाय के रूप में विमान चालकों को सरकारी होटलों में ठहरने के लिए स्थान न देने के क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सूचना का संकलन लगभग पूरा हो चुका है और वह जल्दी ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा की तीसरी पंक्ति

3363. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिरक्षा की तीसरी पंक्ति, जिसमें होम गार्डों की सशस्त्र शाखा होगी, बनाई जायेगी ताकि पाकिस्तान की ओर से मारे जाने वाले छापों की प्रभावकारी ढंग से रोकथाम की जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो होम गार्डों की वर्तमान व्यवस्था में क्या संगठनात्मक परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) नई व्यवस्था कबसे लागू हो जायेगी?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। राजस्थान तथा पंजाब राज्यों के सीमावर्ती जिलों में होमगार्डों की सीमा शाखा बनाने के लिये एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

(ख) होम गार्डों की सीमा-शाखा सामान्य होम गार्डों से निम्नलिखित बातों में भिन्न होगी;

(1) संगठन, जो कम्पनियों के स्थान पर बटालियनों में होगा।

(2) 30% कर्मचारियों के स्थान पर सभी को शस्त्र देना।

(3) अधिक गम्भीर प्रशिक्षण।

(4) यातायात, आवास तथा भोजन-व्यवस्था के बारे में अधिक उत्तम सुविधाएँ देना।

(ग) सीमा-शाखा के 31 मार्च, 1968 तक बन जाने की आशा है।

मद्रास को शिक्षा अनुदान

3364. **डा० म० सन्तोषम्** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार कि केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को दिए जाने वाले शिक्षा अनुदान में कटौती कर रही है सही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुदान में यह कटौती केवल उस राशि से सम्बन्धित है जो हिन्दी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियत की गई है अथवा यह कटौती समूचे शिक्षा अनुदान में की गई है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवाओं में स्थानों का आरक्षण

3365. **श्री प्र० रं० ठाकुर**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन चौथी श्रेणी के 20 प्रतिशत स्थायी पद और तीसरी श्रेणी के 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) क्या यह बात इस शर्त पर निर्भर करती है कि भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित कुल स्थान किसी भी वर्ष में कुल स्थानों में से 45 प्रतिशत से अधिक न हो;

(ग) क्या राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और स्थानीय प्राधिकारों को भी अपने पद भरते समय उसी आधार पर स्थानों का आरक्षण करना होता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस व्यवस्था से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सरकारी पदों पर पर्याप्त नियुक्तियों और समुचित नियोजन अवसरों को, विशेषकर विभिन्न श्रेणियों के पदों पर उनकी भर्ती में होने वाली समूची कमी को पूरा करने की गुंजाइश कम हो गई है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त सरकारी आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, पहले-पहल 1-7-1966 से दो वर्ष की अवधि के लिए।

(ख) जी हाँ।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों से यह प्रार्थना की गई है कि वे अपने अधीन सरकारी क्षेत्र के संस्थाओं को उनमें समान पदों/सेवाओं में भर्ती के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऐसे ही आरक्षण करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करें। राज्य सरकारों से भी उनके अधीन समान पदों/सेवाओं में भर्ती के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऐसे ही आरक्षण करने के लिए प्रार्थना की गई है। परन्तु स्थानीय निकायों को उनके अधीन सेवाओं में आरक्षण करने के लिए अभी तक नहीं कहा गया है।

(घ) यदि भर्ती के किसी वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के लिए उपलब्ध न हो तो न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित रिक्तियों के समान मान लिया जाता है तथा रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किए गए आरक्षणों को भर्ती के दो अगले वर्षों तक आगे ले जाया जाता है। इस प्रकार आगे लाई गयी आरक्षित रिक्तियां जो भर्ती के दो अगले वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से न भरी जा सकें उन्हें समाप्त हुई मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे ले जाने के नियम के अनुसार भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सामान्यतः आरक्षित संख्या तथा इस श्रेणी के

व्यक्तियों के लिए आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों में उस वर्ष के दौरान की गई भर्ती की कुल संख्या के 45% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई, 1966 से इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित श्रेणी III तथा IV के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण किए गए हैं परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किए गए आरक्षण तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए किए गए आरक्षण भर्ती के किसी वर्ष में 50% से अधिक नहीं भरे जा सकते। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए किए गए आरक्षणों के सम्बन्ध में 45% की वह सीमा है जिससे इन समुदायों के लिए किए गए आरक्षण समाप्त हो सकते हैं। यदि किसी एक वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो की भर्ती में कमी पड़ जाय यद्यपि आरक्षित (आगे लाए गए आरक्षणों सहित) पदों में भर्ती के लिए इन श्रेणियों के व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर दिए गए हों और इसके परिणामस्वरूप वे आरक्षण आगे ले जाने पड़ें।

(ङ) सारी राज्य सरकारों को भेजे गए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/26/64-एस्टैब्लिशमैन्ट (डी) दिनांक 4 जुलाई, 1966 तथा पत्र संख्या 14/26/64-एस्टैब्लिशमैन्ट (डी) दिनांक 4 जुलाई 1966 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। **[पुस्तकालय मे रक्खी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 402/68]**

कोयम्बटूर में राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना

3366. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री लषण लाल कपूर :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1968 को अथवा इसके लगभग कुछ विद्यार्थियों ने लगभग 2000 विद्यार्थियों के समक्ष कोयम्बटूर में एक पार्क में राष्ट्रीय ध्वज को आग लगा दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो ध्वज जलाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 21 फरवरी, 1968 को लगभग 2000 विद्यार्थी कोयम्बटूर के एक पार्क में इकट्ठे हुए तथा चार विद्यार्थियों ने अलग-अलग पैट्रोल में भीगे हुए राष्ट्रीय झंडे को जलाया।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य पूछे जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है। मद्रास विधान सभा में सारे राजनैतिक दलों के नेताओं ने विद्यार्थियों को आन्दोलन/हड़तालें राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान के जलाए जाने और तामिलनाड झंडा फहराने से बचने की एक सम्मिलत अपील जारी की है। यह अपील मुख्य मंत्री के सुझाव पर जारी की गई है।

हवाई पट्टियां

3367. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के दौरों के अवसर पर कभी-कभी विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टियाँ बनाई जाती हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में ऐसी कितनी हवाई पट्टियाँ बनाई गईं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री की यात्राओं के सम्बन्ध में किसी हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया है।

Kidnapping of Teachers by Nagas

3368. **Dr Surya Prakash Puri : Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 300 armed nagas kidnapped two teachers from their houses in Thing-ka-Radon in Giribam Sub-Division on the 18th February, 1968 :

(b) whether it is also a fact that on the 19th February, 1968 a self-styled sub-divisional Officer of Mizo hostile was taken prisoner in Sadar Hill area ; and

(c) if so, the details of the incidents and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (c) On the 18th February, 1968 a gang of about 130 rebel Mizos kidnapped two teachers from Thingkradhor village in Jiribam sub-Division of Manipur. The teahers are reported to have been set free on the 20th February, 1968. A case has been registered and is under investigation.

(b) On the 19th February, 1968, the village Volunteer Force apprehended a person in Sadar Hills area on suspicion of being a self-styled Sub-divisional Officer of Mizo rebels.On interrogation it was found that the suspicion was based on mistaken identity and he was therefore released.

Madhya Pradesh Government Publication 'Social Study'

3369. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the northern boundary of India has been shown wrongly in Madhya Pradesh Government publication entitled 'Social Study' Part II and Part III;

(b) whether Government have called for any explanation from the State Government; and

(c) if so, the details of the explanation given by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Yes, sir.

(b) A report from the State Government has been received.

(c) The State Government has stated that orders have been issued to drop the maps alleged to show wrong boundaries.

मनीपुर नृत्य पुरस्कार

3370. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी ने इस वर्ष मनीपुर नृत्य पर अपना अकादमी पुरस्कार नहीं दिया है ;

(ख) क्या मणीपुर नृत्य पर यह पुरस्कार देने के मामले में कोई विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या विचार-विमर्श किया गया था और पुरस्कार न देने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद् ने इस वर्ष पुरस्कार के लिए मनीपुर नृत्य को स्वीकृति नहीं दी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी का प्रयोग करना

3371. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने हिन्दी माध्यम बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई अन्य केन्द्रीय शिक्षा संस्था उसका अनुसरण कर रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा ऐसी अन्य केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अहिन्दी माध्यम वाले तथा अहिन्दी भाषी राज्यों से छात्रों की भर्ती के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खिलाड़ियों को इनाम

3372. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन तीन खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अर्थात् बिलियर्ड में विश्व उपाधि वाले पीजन निशानेबाजी में चाँदी का पदक तथा

कुश्ती में कांसे का पदक प्राप्त किया था उनमें से किसी खिलाड़ी को पद्मभूषण अथवा पद्मश्री की उपाधि देने पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) उनमें से एक श्री विल्सन जान्स (जिन्होंने बिलियर्ड में विश्व उपाधि जीती थी) को गणतंत्र दिवस, 1965 को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियाँ

3373. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1964 से 1968 तक सैनिक स्कूलों के दाखिले के लिए ली गई अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में संघ राज्य क्षेत्रों के कुल कितने लड़कों ने भाग लिया;

(ख) उनमें से कितने लड़के उस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाले योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियों के हकदार बने ;

(ग) इन वर्षों में कितने लड़कों को योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियाँ दी गईं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे अनेक लड़कों को, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पहली बार 1968 में छात्रवृत्तियाँ नहीं दी गई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 1964 से 1967 तक के वर्षों की सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 34, 83,139 तथा 103 । यह सूचना क्रमश: 1965, 1966, 1967 तथा 1968 वर्षों के लिए है । 1963 की परीक्षा के आधार पर सन् 1964 में छात्रवृत्तियों के लिए पात्र लड़कों की संख्या 30 थी ।

(ग) पिछले वर्षों में सभी लड़कों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई थीं । गतवर्ष, नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 265 कर दी गई थी ।

(घ) और (ङ) जी हाँ, श्रीमान् । गत वर्ष स्वीकृत 265 छात्रवृत्तियों में से केवल 40 अप्रयुक्त छात्रवृत्तियाँ इस वर्ष के लिए उपलब्ध हुईं । शेष लड़कों को शामिल करने का प्रश्न, जो अन्यथा इनके पात्र हैं, भारत सरकार के विचाराधीन है।

मिजो गाँव पर हमला

3374. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 9 फरवरी, 1968 की रात को सशस्त्र उपद्रवियों के एक दल ने मिजो क्षेत्र में एक गाँव पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम चार व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इन उपद्रवी लोगों के बारे में—जैसे वे कौन थे, किस जाति के थे आदि—कोई जानकारी मिली है और क्या वे लोग मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के थे; और

(ग) इस घटना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् । यह गाँव त्रिपुरा में है ।

(ख) उपद्रवी पहचाने नहीं गए हैं । परन्तु ऐसा विश्वास है कि उनमें त्रिपुरा आदिम जाति सिंगरक संघ नामक एक उग्रपन्थी आदिम जाति दल से सम्बन्धित कुछ मिजो, रियांग तथा नोटिया हैं ।

(ग) इस घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सरकार जागरूक है तथा पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज कर लिया गया है जिसकी जाँच की जा रही है । स्थानीय जनता के मन से भय हटाने के लिए इस क्षेत्र में गश्त लगाई जा रही हैं ।

दिल्ली में कार चोरों का गिरोह

3375. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार चोरों तथा सेंधमारों के एक कथित गिरोह का पता लगाया गया है और उसके मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में की गई जाँच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) इस गिरोह के नेता की सहायता से चुराई गई चार कारें, आठ हजार रुपए के मूल्य का कपड़ा, चीनी के आठ थैले और एक बिजली का मोटर बरामद किए गए। इस मामले की अभी भी जाँच हो रही है ।

(ग) मोटो-स्कूटर चोरों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं और जाल फैलाए जाते हैं । ऐसे अपराधों की रोक-थाम की दृष्टि से निगरानी बनाए रखने के हेतु प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी जाती है । कुख्यात कार चोरों से संबन्धित सूचना का एक लेखा रखा जाता है तथा उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है ।

साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जाँच आयोग

3376. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों की जाँच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति के बारे में राज्य सरकारों ने कोई आपत्ति की है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार क्या-क्या आपत्ति की गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयोग की नियुक्ति के बारे में इस आधार पर विरोध प्रकट किया था कि राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया था।

(ग) जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के आधीन भारत सरकार को ऐसे किसी आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। कानून के अधीन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया जाता— परन्तु इस कारण कि अनेक राज्यों के साथ परामर्श में समय लग जाता और साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग की तत्काल नियुक्ति आवश्यक थी, उनसे परामर्श नहीं किया गया था। फिर भी सम्बन्धित राज्य सरकारों को आयोग की नियुक्ति की घोषणा करने से पूर्व सूचित किया गया था।

राजस्थान में सीमा सुरक्षा दल

3377. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सीमा सुरक्षा दल को इस समय जो वर्दी दी जाती है वह मरुस्थल की जल-वायु के अनुकूल नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है कि समान जलवायु वाले क्षेत्रों में अरब सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के समान कौन सी वर्दी वहाँ उपयोगी सिद्ध हो सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) वर्तमान वर्दियाँ जो राजस्थान में सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को दी गई हैं मरुस्थल की जलवायु के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा सुरक्षा दल

3378. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने रन कच्छ में 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में बहादुरी दिखाने वाले सीमा सुरक्षा दल के जवानों के लिए मकानों हेतु प्लाट आरक्षण करने के अतिरिक्त नकद इनाम तथा अग्रिम वार्षिक वृद्धियाँ देने की घोषणा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार ने अपने वचन को अभी तक पूरा नहीं किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Superintendents in Delhi High Court

3379. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Superintendents the Circuit Bench of the Punjab High Court in Delhi have been absorbed in Delhi High Court ;

(b) whether it is also a fact that they were in the grade of Rs. 350—20—500—30—650 under the Punjab High Court and the said grade has now been reduced to 350—20—450—25—475 after the formation of the Delhi High Court ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to bring the grade of the said Suprintendents at par with that prevailing in Supreme Court, Central Government Offices and the Delhi Administration; and

(e) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (e) The services of Superintendents of the Punjab/Haryana High Court have been obtained for working in the High Court of Delhi against temporary posts. They have been given an option either to continue on their own scales of pay and allowances or to opt for the scale of pay prescribed for the posts in the High Court of Delhi. The question of revision of pay-scales, therefore, in view of above option, does not arise.

नागरिक सुरक्षा

3380. **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी नागरिक सुरक्षा कोर बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर कानून में उपयुक्त परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को दीवानी अथवा फौजदारी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षात्मक अधिकार दिए जाएँगे क्योंकि अपना कर्त्तव्य निभाते समय वे ऐसा सद्भावना में करते हैं ; और

(ग) सीमावर्ती राज्यों सहित समूचे देश में नागरिक सुरक्षा संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) प्रस्तावित कानून में नागरिक सुरक्षा कोर को नियमित रूप से बनाने की व्यवस्था पहले से ही है ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें अपेक्षित साज-समान प्राप्त कर रही हैं तथा नागरिक-सुरक्षा स्वयं सेवकों तथा नागरिक तथा ग्रामीण होम गार्डों की अपेक्षित संख्या को प्रशिक्षण

देने के लिए कदम उठा रही हैं। चुने हुए नगरों में हवाई हमले की सूचना तथा प्रकाश पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के लिए तथा इसके बारे में जनता को जानकारी देने के लिए सामुदायिक विकास खंडों के स्टाफ को उपयोग में लावें।

Grants to Hindi Institutions of U.P.

3381 **Shri Mahant Digvijai Nath :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names and addresses of Hindi institutions in Uttar Pradesh and the amount of grants given to each by the Central Government during the last two years; and

(b) the basis on which such grants are being given to these Hindi institutions ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) A statement showing names etc. of Hindi institutions in Uttar Pradesh which were given grants during the last two years (1965-66 and 1966-67) is given below :

(b) The grants are generally given on the basis of 75% of the total admitted expenditure on approved schemes.

Statement

Serial no.	Name of the Hindi Organisations/Institutions	Grants given in 1965-66	Grants given in 1966-67
1.	Secretary, Nagari Prachari Sabha, Varanasi.	Rs. 1,73,000	Rs. 2,00,000
2.	Joint Secretary, All India Federation of Education Associations, Lucknow.	Rs. 8,483	Rs. 9,750
3.	Hindi Sahitya Sammelan, Prayag	Rs 76,288	Rs. 20,000
4.	Kendriya Hindi Shikshana Mandal, Agra	Rs. 5,99,000	Rs. 6,33,000

Development of Tourism in U. P.

3382. **Shri Mahat Digvijai Nath :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any propasal to give assistance to the Uttar Pradesh Government for the development of tourism is under consideration of the Central Government ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) and (b) A tentative provision of Rs. 44 lakhs had been included in the draft Fourth Five Year Plan for tourist schemes in U. P., the share of the Central Government being Rs. 22 lakhs. The schemes included in the Plan are given below along with their allocation:—

1. Development of tourist facilities in Kumaon and Garhwal area. Rs. 38 lakhs
2. Preparatory work regarding the development of Sahastradhara springs. Rs. 1 laks

3. Construction of a Tourist Bungalow at Naugarh	Rs.	3 lakhs
4. Spillover schemes from the Third Five Year Plan	Rs.	2 lakhs
	Rs.	44 lakhs

उड़ीसा में स्कूल मदर की सेवाओं की समाप्ति

3383. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से इस आशय की कोई सूचना मिली है कि पालिका शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त 18,000 स्कूल 'मदर' की सेवाएँ 1 मार्च, 1968 से समाप्त की जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं की शिक्षा के लिये राज्यों को विशेष नियतन

3384. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को कोई विशेष राशि देती है जो महिलाओं की शिक्षा में पिछड़े हैं ;

(ख) क्या महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए उड़ीसा सरकार को विशेष सहायता मिलती है ;

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1966-67, 1968-69 की अवधि में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में राज्य में महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए उड़ीसा सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ङ) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) राज्य योजनाओं में शामिल स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता दी है। यह सहायता केन्द्र द्वारा विशेष वर्ष के लिए स्वीकृत की गई सहायता के अन्तर्गत आती है।

(ग) (1) 1666-67 में उड़ीसा को 5.87 लाख रुपए की सहायता दी गई। युवतियों कि शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना की भाँति 100 प्रतिशत सहायता दी जो 1966-67 तक जारी रही।

(2) 1967-68 में उड़ीसा की योजना में उड़ीसा के युवतियों की सेकन्डरी शिक्षा के लिए 4.37 लाख और विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए 1.26 लाख की व्यवस्था की गई। जब से सेकन्डरी स्तर के लिए 75 प्रतिशत दर और विश्वविद्यालय स्तर के लिए 40

प्रतिशत दर से योजना बनाई गई है, के अनुसार उड़ीसा सरकार की 3.784 लाख की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि राज्य योजना के लिए निर्धारित परिव्यय का पूरा प्रयोग किया जाए।

(3) 1968-69 के परिव्यय के लिए राज्य सरकार युवतियों की सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा के लिए 9.74 करोड़ रुपए और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए 2.38 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है। केन्द्रीय सहायता का अनुमान ऊपर दी गई प्रणाली (2) के अनुसार लगाया जाएगा और यह सहायता 8.247 करोड़ हो जाएगी परन्तु इसके लिए शर्त यह है कि राज्य योजना के लिए निर्धारित परिव्यय का पूरा प्रयोग किया जाये।

(घ) और (ङ) स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य योजनाओं में 1967-68 और 1968-69 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

1. प्राइमरी स्कूलों में कार्य कर रही महिला शिक्षकों के लिए क्वार्टर की व्यवस्था।
2. युवतियों के एम० ई० स्कूलों के लिए होस्टल की व्यवस्था।
3. घौली में स्त्रियों के लिए आवास स्कूलों की व्यवस्था।
4. सुपरेन्टेन्डेन्ट के क्वार्टरों के निकट लड़कियों के हाई स्कूल के लिए क्वार्टरों का निर्माण।
5. महिलाएँ अध्यापकों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल में काम कर रही हैं, विशेष भता दिया जाना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था का बढ़ाया जाना।
7. लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजना तथा महिला विद्यार्थियों के लिए होस्टल का निर्माण।
8. होस्टल में रहने वाली महिलाओं को निर्वाह वजीफा।

संस्कृत के अध्ययन के लिये राज्य सरकारों को अनुदान

3385. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा सरकार को संस्कृत के अध्ययन के लिए कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त वर्षों के लिये कितना धन दिया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि वह इस वर्ष से राज्य में संस्कृत के 145 स्कूल तथा चार कालेज बंद करने वाली है ;

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या राज्य सरकार को 1968-69 के लिये संस्कृत के अध्ययन के लिए कोई अनुदान नियत किया गया है ; और

(च) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) उड़ीसा सरकार को 1966-67 में इस मंत्रालय की राज्य

सरकारों को संस्कृत की उन्नति के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत 11,000 रु० की रकम दी गई थी । 1967-68 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए अभी राज्य सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य विविध योजनाओं के अंतर्गत दिए गए अनुदान निम्नलिखित हैं :—

योजना	1966-67 रुपये	1967-68 रुपये
(i) प्रतिष्ठित संस्कृत पंडित जो गरीबी की परिस्थितियों में हैं उनकी वित्तीय सहायता	10,898	11,600
(ii) संस्कृत पढ़ने वाले उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ	16,500	16,500
(iii) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	15,000	—*—
	42,398	28,100

*क्योंकि राज्य सरकार स्वीकृत अनुदान का उपयोग 1966-67 में नहीं कर सकी थी अतः उसे 1967-68 में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचना नहीं है ।

(ङ) और (च) 1968-69 के दौरान अनुदान के लिए कोई प्रार्थना अभी तक प्राप्त नहीं हुई ।

Employees on Deputation in Ministry of of Education

3386. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6052 on the 16th July, 1967 and state :

(a) the names of 141 persons who are on deputation and the orginal posts held by them in the Ministry;

(b) the posts held by them while on deputation ;

(c) the number of persons among them who are on deputation for more than two years ;

(d) whether it is proposed to recall them so that the reported shortage of employees in the Ministry may be made up ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (e) The requisite information in respect of the Ministry proper and some of the attached / subordinate offices is attached. Information from the remaining attached/subordinte offices is being collected and will be laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 403/68]**

Translation work in Central Hindi Directorate

3387. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the quantum of material in regard to the rules in connection with different schemes, applications, forms and other material pertaining to his Ministry so far sent to the Central Hindi Directorate for translation ;

(b) the remaining material which is yet to be translated into Hindi; and

(c) the time by which it is likely to be sent there for translation ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) to (c) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कलकत्ता गौहाटी विमान सेवा

3388. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा विमान चलाने के लिए टरबाइन ईंधन की सप्लाई कम किए जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को कलकत्ता, अगरतला, जोरहाट और गौहाटी के बीच 20 प्रतिशत कम सवारियां ले जानी पड़ी थीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) कलकत्ता से इतर स्टेशनों पर ईंधन (पैट्रोल) की सप्लाई कम होने के कारण विमानों को कलकत्ता से बाहर जाते समय अधिक ईंधन ले कर जाना पड़ा जिसके कारण 19 से 25 फरवरी, 1968 तक की अवधि के दौरान जोरहाट और गौहाटी को यात्रियों व माल का वहन करने के लिए उपलब्ध आय-भार (पे-लोड) में कमी हो गयी । परन्तु कलकत्ता-अगरतला सेक्टर पर आय-भार में कमी नहीं हुई ।

Tourist facilities for visiting places in South India

3389. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the arrangements made for providing facilities to tourists for visiting places of tourist interest and historical importance of South India ; and

(b) the scheme for making publicity about these places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) During the Fourth Plan it is tentatively proposed to take up two major schemes in South India which will be financed mainly by the Central Government in addition to several other schemes expenditure on which will be met equally by the Central and State Governments.

(b) To publicise places of tourist interest in the South, the Department of Tourism has brought out tourist publicity literature and documentary films. Wide publicity is also given to these places by overseas Tourist Offices through advertising, window displays, film shows, lectures and slide presentations.

विष्णु मन्दिर, मनीपुर

3390. **श्री मेघचन्द्र**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'विष्णु मन्दिर' के, जो मनीपुर में एकमात्र स्मारक है, परिरक्षण में चि रखने वाली कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त स्मारक की बिगड़ती जा रही दशा पर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्मारक की देखभाल के लिये कोई व्यक्ति अथवा निकाय नियुक्त किया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) मंदिर की आवश्यक मरम्मत करने के लिये पहले से ही आवश्यक प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

(ग) मंदिर, एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है और भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण उसकी देख-भाल करता है।

मनीपुर के सहकारी निरीक्षक

3391. **श्री मेघचन्द्र**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के सहकारी निरीक्षकों के, जो स्नातक हैं या इससे अधिक योग्यताप्राप्त हैं, वेतनक्रम में, उसे आसाम के कनिष्ठ निरीक्षकों के वेतनक्रम के बराबर लाने के उद्देश्य से, परिवर्तन किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम में स्नातक निरीक्षकों को कनिष्ठ निरीक्षकों से अधिक वेतन दिया जाता है जबकि कनिष्ठ निरीक्षक पी० यू० सी० या गैर-स्नातक उम्मीदवारों में से नियुक्त किए जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो मनीपुर के अधिक योग्यताप्राप्त सहकारी निरीक्षकों को आसाम के कनिष्ठ निरीक्षकों के समान ठहराने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनका वेतन आसाम के स्नातक निरीक्षकों के बराबर न करने तथा उन्हें आसाम में उन्हीं पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को मिलने वाला भत्ता न देने के के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (घ) मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान आसाम में समान पदों के लिये प्रचलित वेतनमानों के आधार पर 1966–67 में संशोधित किए गए थे। सन् 1958 में मनीपुर सरकार के अधीन निरीक्षक का पद आसाम में सहायक सहकारी अधिकारी (जिसका पदनाम अब कनिष्ठ निरीक्षक रखा गया है) के तुल्य किया गया था। वर्तमान पुनरीक्षण में मनीपुर में पदों की केवल बराबरी पर ही विचार किया गया था। अतएव 1966–67 में मनीपुर में निरीक्षक के पद को आसाम में कनिष्ठ निरीक्षक के पदतुल्य मान कर वेतनमान संशोधित किया गया। चूंकि यह संशोधन तत्कालीन तुल्यता पर आधारित था इसलिये मनीपुर में निरीक्षक के

पद की पदावनति नहीं हुई । यह पद आसाम में निरीक्षक के पद के तुल्य नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऐसा करने से पद का उच्च श्रेणीकरण हो जाता था जो वेतनमानों के वर्तमान संशोधन कार्य की परिधि के बाहर था।

सरकारी हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल

3393. **श्री मेघ चन्द्र**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल के अध्यापकों और सुपरिटेंडेंट का वेतनमान आसाम में अध्यापकों और सुपरिटेन्डेंट के वेतनमान के बराबर नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम की इस प्रशिक्षण संस्था के अध्यापकों का वेतनमान 1966 के अन्त में आसाम सरकार के एक आदेश से बढ़ा दिया गया है; देखिए आसाम के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० ई० पी० 38/65/15 दिनांक 23 दिसम्बर, 1966; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वेतनमान के संशोधन को लागू कर रही है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल के अध्यापकों और सुपरिन्टेंडेंट का वेतनमान भी बढ़ा दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Maharishi Swami Dayanand Saraswati

3394. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enquire about the whereabouts of the letters of Maharishi Swami Dayanand Saraswati which were in the possession of the eminent revolutionary of the country, Shri Shyamji Krishna Varma ; and

(b) if so, the time by which the said enquiries are likely to be started ?

The Minister of State in the Ministry of Eduaction (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) Enquiries have already been started.

एयर इण्डिया द्वारा देय ऋण

3395. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्यनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 के अन्त तक एयर इण्डिया द्वारा 350 लाख पए के खाता ऋण, जो कि दो से चार वर्ष पुराने थे, देने बाकी थे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1967 के अन्त में कितनी राशि के ऋण देने बाकी थे तथा इनमें से कितनी राशि के ऋण एक वर्ष से अधिक पुराने थे तथा ये ऋण किन कारणों से हुए हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) 31.3.1966 को एक वर्ष से अधिक पुराने बकाया ऋणों की राशि 41.29 लाख रुपया थी और 31.3.-1967 को 68.6 लाख रुपया थी। पिछली अर्थात 68.60 लाख रुपए की राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	रुपए लाख में
(i) यात्रियों, और भारतीय वायु सेना के विमानों आदि के संधारण के लिये सरकारी विभागों द्वारा देय।	10.82
(ii) यातायात संबंधी ऋणों और "हैण्डलिंग चार्जेज" इत्यादि के लिए बुकिंग एजेन्टों और अन्यों द्वारा देय।	15.28
(iii) बाद में भुगतान योजनाएं।	32.81
(iv) साझे कल्याण कार्यों के लिए आई० ए० सी० और अन्य पार्टियों द्वारा देय।	9.69
योग	68.60

(ख) चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन का बहुत सा व्यवसाय उधार के रूप में किया जाता है, इसलिए ऋणों का कुछ हद तक बकाया रहना कोई असामान्य बात नहीं।

पानीपत के निकट यमुना पुल परियोजना

3396. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानीपट के निकट यमुना पुल परियोजना को कब आरम्भ किया गया था;

(ख) इसे यातायात के लिये कब खोला जायेगा; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 5 फरवरी, 1962 को।

(ख) यह पुल 31 मार्च, 1968 को यातायात के लिये खोला जा रहा है।

(ग) 49.60 लाख पए।

अध्ययन के लिये ऋण

3397. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये ऋण दिए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे ऋण किस योजना के अन्तर्गत दिए जाते हैं; और

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में लागू है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ऋण छात्र-वृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत में अध्ययन के लिए जरूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को ब्याज-रहित ऋण छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

(ग) योजना, जो कि राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के माध्यम से संचालित की जाती हैं, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में लागू है।

Education in Backward Areas

3398. **Shri Onkar lalBhora** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether thereis any provision for giving special grants by theMinistry for the develop ment and spread of education in comparatively backward States ; if so, the details thereof ;

(b) if not, whether any provision is being made by Central Government in the coming budget for giving special grants to those States ;

(c) whether the Central Government have made some allocation in the coming budget for a special grant for the spread of education in Rajasthan State keeping in view the border and adivasi areas ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) No, Sir. The Central grants to States for programmes of educational development included in their plans are given on principles which are the same for all States (see Annexure) **[Placed in Library. Se. No. LT —404/68]**.

(c) and (d) Grants-in-aid to Rajasthan will be sanctioned on the basis of the above principles in 1968-69 also. The precise amount of the grant can be determined only after the claim for it is duly received from the State Government.

Provincial Feelings

3399. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Ministerof **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any concrete programme is being drawn up to check the inereasing narrow parochial feelings in the different States ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of the Central Government in regard to the separationist tendencies that are developing in certain States ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (c) There is a proposal to revive the National Integration Council, the deliberations of which it is hoped would be useful in tackling the problems arising out of narrow regional feelings. The Government are in touch with the Governments of States where regional and separatist tendencies have found organised expression and necessary steps are being taken to counter these trends.

Udaipur Aerodrome

3400. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the time by which the work for the expansion and development of aerodrome at Udaipur and the work relating to the introduction of night air service, would be completed ; and

(b) whether any scheme has been drawn up for the next year to connect other important big cities of Rajasthan such as Jodhpur, Bikaner, Kota and Ajmer by air service ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) The runway at Uadipur is fit for F-27 type of aircraft. A proposal for development of the runway to make it fit for Viscount type of aircraft is under consideration. The work of installation of runway lighting (electric) is expected to be completed by about the middle of this year. The Corporation have no plans at present to introduce night air services to Udaipur.

(b) An air link to Kota is under consideration. The I. A. C. have no immediate plans to connect any other place in Rajasthan by air.The Corporation intend to review the position after a year when their aircraft position is expected to improve.

Expenditure incurred on Prime Minister

3400—A. **Shri Kanwar Lal Gupta: Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Prime Minister in respect of her accommodation, staff, medical aid and all other facilities during the years 1965-66 and 1966-67, separately ;

(b) whether Government propose to bring down this expenditure ; and

(c) if so, how ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) No expenditure is incurred unless it is absolutely necessary. The question of bringing down the expenditure does not, therefore, arise.

अकोला रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिसमैनों की गिरफ्तारी

3400—ख. **श्री क० लकप्पा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 7 अथवा 8 फरवरी, 1968 को मध्य रेलवे के अकोला स्टेशन के दो रेलवे पुलिसमैन गिरफ्तार किए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। 5-2-68 को मूर्तिजापुर रेलवे पुलिस के अधीन अकोला रेलवे पुलिस चौकी के दो रेलवे पुलिस कर्मचारियों को अवैध गिरफ्तार करने तथा बलात्कार करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के कुछ भागों में हाल में हुए साम्प्रदायिक उपद्रव

श्री इसहाक सांभली (अमरोहा) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :—

"देश के कुछ भागों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक उपद्रव"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनाव के बारे में सभा के सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। भागलपुर, मेरठ, चिकमागलूर और करीमगंज में हाल ही में हुए दंगों में अनेक निरापराध व्यक्तियों की जानें गयीं और सम्पत्ति की भी

हानि हुई । विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों के अलग-अलग कारण हो सकते हैं परन्तु मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की हानि अधिक हुई है।

मैं करीमगंज गया था और मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि बहुत से परिवार बे-घरबार हो गए हैं। एक साधारण से झगड़े के फलस्वरूप अचानक ही उन पर यह आपत्ति आ गयी। मुझे इस बात का आश्वासन दिया गया है कि फिर से मकान बनाये जाने का काम तुरन्त आरम्भ किया जायेगा/तत्काल सहायता के लिये प्रधान मंत्री ने 25,000 रुपए देने की स्वीकृति दी है। कुछ विशिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों की जाँच की जा रही है और मकानों की तलाशी भी ली जा रही है। कुछ लूटी गयी सम्पत्ति भी बरामद हुई है।

राँची के दंगों के पश्चात् मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे और उनसे इस सम्बन्ध में अधिक सतर्कता बरतने और सख्ती से काम लेने के विषय में कहा गया था। सभी को पता है कि वर्ष 1967 में हुए उपद्रवों की जाँच के लिये एक जाँच आयोग भी नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद् को फिर से बहाल करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। सरकार और राजनैतिक दलों का यह कर्त्तव्य है कि वे साम्प्रदायिक एकता बनाये रखें।

मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि केन्द्रीय सरकार सभी नागरिकों की रक्षा के लिये, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, हर सम्भव प्रयास करेगी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य उन्हें जो सुझाव देंगे, सरकार उनका स्वागत करेगी।

Shri Ishaq Sambhli (Amroha) : It has been suggested time and again that wherever such disturbances take place, the district authorities should be held responsible for the same and they should be transferred immediately from that place and suspended. I want to know as to what has happened to that suggestion ? I also want to know as to whether Government would give full compensation to the affected persons and impose collective fines in the concerned areas ? Whether Government would take action against the newspapers which instigate the disturbances ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन सभी सुझावों पर सम्बन्धित अधिकरी विचार करेंगे। जहां तक जिला अधिकारियों का सम्बन्ध है, अलग-अलग स्थानों पर स्थिति भिन्न-भिन्न है। जैसे करीमगंज में यदि जिला मैजिस्ट्रेट ने हस्तक्षेप न किया होता तो वहाँ पर स्थिति और भी अधिक खराब होती। इसलिये यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि हर मामले में जिला अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाये।

इस विशिष्ट मामले में दो लड़कों के परस्पर झगड़े से विवाद आरम्भ हुआ और फिर उसने गम्भीर रूप ले लिया। उस दिन सारी पुलिस नगर में साम्यवादी दल के एक सार्वजनिक प्रदर्शन के इन्तजाम में लगी थी। अचानक ही यह गड़बड़ हुई और वहाँ पर पुलिस तत्काल ही पहुँच गयी। उन्होंने अश्रु गैस का प्रयोग किया परन्तु उसके बावजूद उपद्रव होते रहे । मैं यह नहीं कह सकता कि प्रशासन को इस स्थिति के बारे में कुछ पता न था। जहाँ तक सामूहिक जुर्माने के सुझाव का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये । अभी हम

दयाल आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद ही हम कोई निश्चित नीति बना सकेंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : साम्प्रदायिक संतुलन स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? दूसरे, ईदु-उल-फितर और होली दो त्यौहार आ रहे हैं और साम्प्रदायिक सम्बन्ध फिर बिगड़ने का खतरा है। अतः क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही करने के लिये कहा है जिससे इस प्रकार के दंगे फिर न हों?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इन मामलों के बारे में सरकार निरन्तर विचार कर रही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में साम्प्रदायिक राजनीतिक दल मौजूद हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय एकता परिषद् का प्रयोग किया जाना लाभप्रद होगा।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : 20 वर्षों के बाद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और धर्म, जाति या भाषा के नाम पर जहाँ-तहाँ उपद्रव हो रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रकार के उपद्रवों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे प्रशासन में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने यह पहले ही बता दिया है कि विभिन्न स्थानों पर स्थानीय कारणों से उपद्रव हुए थे। स्थानीय लोग ही गुप्त सूचना एकत्र करते हैं। परन्तु करीमगंज के बारे में कोई गुप्त सूचना उपलब्ध नहीं थी।

जहाँ तक मेरठ की घटनाओं का सम्बन्ध है, उस समय उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल की सरकार थी। इस विशिष्ट मामले में हमें राज्य के प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर निर्भर करना था। हम उन्हें कार्यवाही के बारे में केवल सलाह दे सकते हैं। पुलिस की जितनी आवश्यकता हो हम देने के लिये तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिये तैयार है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरठ में कई दिन तक कामकाज ठप्प रहा है। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों समुदायों में साम्प्रदायिक संगठन हैं। यह एक गम्भीर मामला है और सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि साम्प्रदायिक और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले संगठन की गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं यह स्वीकार करता हूँ कि देश के राजनीतिक जीवन में साम्प्रदायिक विचारों एवं संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोग हैं जो देश में इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। इसीलिये हम सब को परस्पर मिल करके इस मामले पर विचार करना चाहिये जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) जी० एस० आर० 185 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसुची में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 186 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की iii अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 295/68]**

(तीन) जी० एस० आर० 326 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए।

(चार) जी० एस० आर० 327 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(पाँच) जी० एस० आर० 328 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(छः) जी० एस० आर० 329 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 387/68]**

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें), 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1967 के बारे में लोक-लेखा समिति का उन्नीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सोमवार, 11 मार्च, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1968–69 के लिये सामान्य बजट पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1968–69 के लिये लेखानुदानों की माँगों (सामान्य) का सभा के मतदान के लिये रखा जाना।

(3) वर्ष 1967–68 के लिये अनुदनों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 1968 (विचार तथा पारित करना)।

(5) जम्मू तथा कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनूपूरक) विधेयक 1968 (विचार तथा पारित करना)।

श्री सेनावने (पंढरपुर) : इस कार्य-सूची में कल की उस कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया जो अधूरी रह गयी थी। आपके निर्देशानुसार अगले दिन की कार्य-सूची मे इस कार्य का उल्लेख होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी।

श्री रा० डो० बन्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप संतुष्ट हों तो कल जो कार्यवाही अधूरी हो गयी थी, उसे आज पूरा किया जा सकता है। कल जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो संसद् में केवल 22 या 23 सदस्य उपस्थित थे फिर भी गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया था। यद्यपि निर्णय कर लिया गया था कि 6.30 बजे के बाद गणपूर्ति का प्रश्न न उठाया जाये। गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित कर दी गयी थी। आपको इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि कार्य-मंत्रणा समिति इस विधेयक पर आगे विचार करने के बारे में विचार कर सकती है। परन्तु यह बात सभा के अन्य कार्य पर निर्भर करती है। सभा का बहुत-सा कार्य अभी बाकी है। श्री सोनावने फिर कार्य-मंत्रणा समिति में आकर अपने सुझाव दे सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I am sorry that a Member of our party had raised the question of quorum and as a result of which the discussion was closed. I shall call for his explanation. We should also amend the Constitution at an early date so that a single Member may not be empowered to get the discussion closed by raising a question of quorum.

तारांकित प्रश्न 479 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 479

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : कल तारांकित प्रश्न संख्या 479 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों एवं उत्तरों

के दौरान मेरे वरिष्ठ सहयोगी खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अनजाने में सरकार की ओर से यह कह दिया था कि 1 जुलाई, 1966 से भारत सेवक समाज को सभी अनुदान, ऋण और सहायता देना बन्द कर दिया गया था। सही स्थिति यह है कि जैसा कि सभा में 18 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर में बताया गया था, कि नवम्बर, 1966 से समाज को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had tabled a privilege motion. Taking into account that privilege motion the hon'ble Minister has submitted this clarification.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने में कोई गलती की जिसे वह अब ठीक करना चाहते हैं। मैंने माननीय सदस्य का विशेषाधिकार प्रस्ताव अभी मंत्री महोदय के पास भेजा ही नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में उसे शुद्ध करने का अधिकार है। परन्तु उसके लिये एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके अनुसार उसे पहले इस आशय की सूचना देनी चाहिये। परन्तु जब उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव देखा तो बिना सूचना दिये उन्होंने यह शुद्धि कर दी।

Shri Madhu Limaye : The Government themselves have accepted a recommendation of the Public Accounts Committee and the same was not implemented. I had tabled a privilege motion that if the recommendation of the Public Accounts Committee, already accepted by the Government, is not implemented then what is the use of such a Committee ?

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (हरियाणा) 1967–68

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS (HARYANA) 1967-68

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1967–68 के लिये हरियाणा राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक माँगें दर्शाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हरियाणा आय-व्ययक 1968-69

HARYANA BUDGET—1968-69

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सदन को भली भाँति पता है कि 21 नवम्बर, 1967 की अपनी घोषणा के अनुसार, राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए, राज्य में चुनावों के बाद जब तक राज्य विधान-मण्डल का गठन नहीं हो जाता, तब तक राज्य विधान-मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद् द्वारा ही किया जायगा। अतः राज्य सरकार का 1968-69 का बजट संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी हो गया है, ताकि अप्रैल से जुलाई, 1968 तक की अवधि में राज्य सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए लेखानुदान (वोट आन एकाउण्ट) प्राप्त किया जा सके।

2. संसद् के सम्मुख राज्य का बजट पेश करने के कुछ सीमित-से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं राज्य के विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों या दूसरे कार्यों का ब्यौरा देने में सदन का समय नहीं लूंगा। लेकिन कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति का थोड़ा सा उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। सिंचाई का विस्तार करने और नल-कूपों को बिजली से चलाने की व्यवस्था करने की दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया गया और अनुमान है कि 1966-67 के अन्त में लगभग 20,000 नल-कूपों की तुलना में चालू वर्ष में 7,000 अतिरिक्त नल-कूपों को बिजली से चलाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा। अगले वर्ष 10,000 नल-कूपों को बिजली से चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय 33 लाख एकड़ भूमि में, अर्थात् जितने इलाके में अब खेती होती है, उसके 38 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है और लगभग 6 लाख एकड़ भूमि में छोटे-छोटे साधनों से सिंचाई होती है; अगले वर्ष इनसे और $1\frac{1}{4}$ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। राज्य में रासायनिक खाद की खपत 55,000 मेट्रिक टन से बढ़ कर इस वर्ष 1.75 लाख मैट्रिक टन हो गयी है और अनुमान है कि अगले वर्ष यह 3 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ जायगी। राज्य की मध्यम अवधि और लम्बी अवधि के कृषि सम्बन्धी ऋणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में भूमि बन्धक बैंक (लैण्ड मार्गेज बैंक) और कृषि उद्योग निगम जैसी कृषि-सम्बन्धी वित्तीय संस्थाओं को भी मजबूत बनाया गया है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष राज्य में रबी की भरपूर फसल होने की आशा है।

3. अगले वर्ष के बजट अनुमानों की रूप-रेखा बताने से पहले, मैं चालू वर्ष की बजट सम्बन्धी स्थिति का संक्षेप में उल्लेख करूँगा। राज्य विधान-मण्डल में पेश किए गए बजट में 57.89 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्तियाँ दिखायी गयी थीं, जबकि इस वर्ष अब 62.17 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। प्राप्तियों में 4.28 करोड़ रुपए की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं : अधिक वसूली—जिसमें बिक्री-कर की बकाया वसूली, उत्पादन-शुल्क और राज्य का आयकर का हिस्सा भी शामिल है—और स्कूल-फीस, सम्पत्ति-कर (प्रापर्टी टैक्स), मनोरंजन-कर की दरों और समुन्नति-कर (बेटरमेण्ट लेवी) की बकाया रकमों की वसूली के विषय में अतिरिक्त साधन जुटाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय।

4. राजस्व से किए जाने वाले व्यय का अनुमान अब 57.39 करोड़ रुपया है, जब कि बजट में 59.41 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। खर्च में 2.02 करोड़ रुपए की कमी मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा आलोच्य वर्ष में गैर-आयोजना और आयोजना दोनों प्रकार के खर्चों में कमी करने के लिए किए गए उपायों का परिणाम है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया कि राज्य विधान-मण्डल में पेश किए गए बजट में 5.93 करोड़ रुपए का घाटा बिना पूरा किए छोड़ दिया गया था। जहाँ तक पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध है संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से थोड़ा ही अधिक है, लेकिन यह वृद्धि विभिन्न कृषि सम्बन्धी वित्तीय संस्थाओं को अधिक धन देने का वास्तविक परिणाम है, जो अन्य योजनाओं पर कम खर्च होने और भूमि की बिक्री से अधिक रकम प्राप्त होने के कारण प्राय: बराबर हो गयी है। अभी जिन परिवर्तनों का जिक्र किया गया है उनके और अन्य परिवर्तनों के आधार पर संशोधित अनुमानों से प्रकट होने वाली चालू वर्ष की बजट स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर केवल 15 लाख रुपए का घाटा रहेगा अर्थात् बजट के समय लगाये गए अनुमान से अब 5.78 करोड़ रुपया कम होगा।

5. अनुमान है कि अगले वर्ष राजस्व सम्बन्धी प्राप्तियाँ, चालू वर्ष की 62.17 करोड़ रुपए की प्राप्तियों की तुलना में, 67.99 करोड़ रुपया होंगी। 5.82 करोड़ रुपए की वृद्धि कई शीर्षकों के अन्तर्गत होगी, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : सामाजिक सेवाओं, खासकर राजकीय कृषि फारमों से प्राप्तियाँ, 1.71 करोड़ रुपए; ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियाँ, 1.32 करोड़ रुपए, बिक्री-कर 1.09 करोड़ रुपए; केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्य का हिस्सा, 67 लाख रुपए; और सड़क परिवहन सेवाएं 57 लाख रुपए।

6. अगले वर्ष राजस्व से पूरे किए जाने वाले व्यय का अनुमान 66.35 करोड़ रुपया लगाया गया है जबकि इस वर्ष 57.39 करोड़ रुपए का अनुमान है। 8.96 करोड़ रुपए की इस वृद्धि में से 2.21 करोड़ रुपए की वृद्धि का सम्बन्ध राजस्व खाते के आयोजना सम्बन्धी व्यय से है; वृद्धि की मुख्य मदें हैं—शिक्षा, चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य सेवाएं। गैर-आयोजना व्यय के अन्तर्गत वृद्धि, मुख्यत: ब्याज और शोधन-निधि सम्बन्धी व्यय के लिए पहले से अधिक व्यवस्था करने, राजकीय कृषि फारमों के व्यय, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते की दरों में वृद्धि के पूरे वर्ष के प्रभाव और इस वर्ष स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन करने के कारण हुई है। राजस्व खाते में शुद्ध रूप से, चालू वर्ष के 4.78 करोड़ रुपए के अधिशेष की तुलना में 1.64 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाया गया है।

7. अगले वर्ष के बजट में, बाजार ऋणों के अन्तर्गत शुद्ध रूप से 2.51 करोड़ रुपया और केन्द्र से, आयोजना और गैर-आयोजना दोनों प्रकार के विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्राप्त होने वाली ऋण-सहायता के रूप में 17.37 करोड़ रुपया रखा गया है। राज्य की विभिन्न बस्तियों में, विकसित भूमि की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों से अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 2.69 करोड़ रुपए की रकम जमा मान ली गयी है। राजस्व खाते से भिन्न आयोजना-व्यय के लिए, 6.13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय के लिए और 8.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऋणों के वितरण के लिए की गयी है। यह चालू वर्ष की व्यवस्था से कुछ कम है, जिसका मुख्य कारण,

कृषि वित्त संस्थाओं के लिए, जिन्हें इस वर्ष सुदृढ़ बनाया गया है, और अन्य पूंजीगत योजनाओं के लिए कम व्यवस्था करना है; यह व्यवस्था चालू वर्ष के मंजूरशुदा आयोजना-परिव्यय पर आधारित है। इसके बावजूद, पूंजी खाते में 1.62 करोड़ रुपया का घाटा होगा, जो राजस्व खाते के 1.64 करोड़ रुपए के अधिशेष से सारा का सारा पूरा हो जायगा।

8. अगले वर्ष के बजट में राजस्व और पूंजी दोनों खातों में, और राज्य की आयोजना तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल 26.32 करोड़ रुपए की आयोजना-व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष में आयोजना के लिए 28.03 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आयोजना के सम्बन्ध में, अगले वर्ष के प्रस्तावित परिव्यय में 2.50 करोड़ रुपए का वह व्यय शामिल है जिसकी पूर्ति राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा अपने ही साधनों से की जानी है; परिव्यय में से 16.42 करोड़ रुपए की वित्त-व्यवस्था, राज्य की आयोजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं दोनों के लिए केन्द्रीय सहायता द्वारा की जायगी। अगले वर्ष के परव्यय का निर्धारण बिल्कुल कड़े रूप से, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिनमें वह केन्द्रीय सहायता भी शामिल है, जिसकी सूचना अब तक मिल चुकी है। और हालाँकि आयोजना सम्बन्धी कुल व्यवस्था, चालू वर्ष में इस बारे में की गई व्यवस्था से कम है, फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिंचाई और बिजली प्रायोजनाओं और कृषि-योजनाओं जैसे अत्यावश्यक प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। मैं यह भी बता दूँ कि हालाँकि किसानों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए कुछ कम व्यवस्था की गयी है, फिर भी अनुमान है कि अगले वर्ष ऋण की कुल उपलब्धि, जिसमें सहकारी समितियों और कृषि उद्योग निगम जैसी कृषि वित्त संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण भी शामिल हैं, चालू वर्ष की तुलना में कम नहीं होगी। इसके लिए, कृषि पुनर्वित्त निगम भी भूमि बन्धक बैंक के जरिये महत्वपूर्ण योगदान देगा। अन्त में, मैं कहना चाहूँगा कि हालाँकि बजट में विकास-कार्यक्रमों के परिव्यय को इस समय उपलब्ध साधनों के अनुसार सीमित रखना पड़ा है, फिर भी चुनाव के बाद राज्य में बनने वाली नयी सरकार को इस बात की छूट होगी कि वह अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के बाद आयोजना सम्बन्धी परिव्यय में वृद्धि करने के प्रश्न पर, आवश्यक होने पर विचार करे।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : पिछले वर्षों के बजट की अपेक्षा वर्तमान बजट का अधिक स्वागत हुआ है। मैं इस बारे में माननीय वित्त मंत्री को सावधान करना चाहता हूँ कि यह स्वागत बजट की अच्छाइयों के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया गया है कि बजट बहुत बुरा नहीं है। व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इसी आशय की भावना व्यक्त की गई है। अतः मैं बजट का स्वागत नहीं कर सकता। यदि बजट अच्छा होता तो माननीय वित्त मंत्री पूरे समर्थन की आशा कर सकते थे परन्तु व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के विचार में बजट दूरदर्शितपूर्ण नहीं है। जिन लोगों ने बजट का स्वागत किया है उनको इस पर शीघ्र ही पुनः विचार करना होगा। क्योंकि इस बजट को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, उपभोक्ता तथा किसान की दृष्टि से देखा जाय तो यह बजट बुरा है।

जहाँ तक कराधान का सम्बन्ध है मेरे विचार में वित्त मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि और अधिक वस्तुओं पर कर लगाना सम्भव नहीं हैं। क्रमागत ह्रास नियम ने अपना कार्य शुरू कर दया है। वित्त मंत्री ने बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए करों के बोझ में और वृद्धि नहीं की हैं।

बजट में जो कुछ मामूली रियायतें दी गई हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वित्त मंत्री ने वार्षिक जमा योजना समाप्त कर दी हैं। निवेश के बारे में लाभांश आय के पहले पाँच सौ रुपए पर कर को छूट देकर भी माननीय मंत्री ने एक अच्छा कार्य किया है। अधिकर को 35 से घटा कर 25 प्रतिशत करने तथा 10 प्रतिशत तक लाभांश पर कर को समाप्त कर भी मंत्री महोदय ने एक अच्छा कार्य किया हैं। परन्तु मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने उद्यमकर्ताओं को जो प्रोत्साहन दे रहा है उसकी तुलना में यह सुविधायें बहुत कम हैं। पाकिस्तान में 5,000 रुपए के लाभांश तक कर की छूट है। जिन लोगों की आय 25,000 रुपए से कम है उनके बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी भत्ता 300 से 900 रुपए तक है। पाकिस्तान में आयकर से छूट की सीमा 6,000 रुपए है। हमारे देश में बूथालिंगम ने इस सीमा को 7,500 रुपए करने की सिफारिश की है। यदि इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो अनेक छोटे-छोटे करदाताओं को राहत मिल जायेगी।

अधिकतर आलोचकों का मत है कि वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा अतिरिक्त कराधान को चुनना था। परन्तु मेरा कहना है कि एक तीसरा स्वस्थ मार्ग भी है। वह मार्ग यह है कि यदि अनावश्यक व्यय में कटौती कर दी जाती तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा अतिरिक्त कराधान के बिना भी बजट को संतुलित किया जा सकता था। उड़ीसा राज्य में, जहाँ कि मेरे दल की सरकार है, अतिरिक्त बजट पेश किया गया है। स्वयं वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष यह आश्वासन दिया था कि वह सरकारी व्यय में कमी करेंगे परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहे हैं। इस बजट में यदि कोई त्रुटि है तो यही है कि सरकार उस आश्वासन तथा आशा को पूरा करने में असफल रही है कि वह अपने साधनों के अन्तर्गत कार्य करेगी।

मितव्ययता की पर्याप्त गुंजाइश है। 1964–65 से लेकर अब तक विकास–कार्य पर होने वाले व्यय में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि गैर-विकासकारी कार्य में 55 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि 1961–62 को आधार वर्ष मान कर सौ के आँकड़े रख लिए जायें तो विकास-व्यय में 205 और गैर-विकासकारी व्यय 290 हो गया है। दोनों मामलों में यह पता लगता है कि अनावश्यक व्यय दुगुना है। प्राक्कलन समिति ने, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, गत वर्ष छः मंत्रालयों, जिनके लगभग 25 विभाग हैं, के काम की छानबीन की थी। उससे पता लगता है कि इनमें 45.88 करोड़ रुपए का अपव्यय हुआ है। इससे यह पता चलता है कि सरकारी विभागों में किस प्रकार रुपए का अपव्यय किया जा रहा है।

जहाँ तक सरकारी विभागों का सम्बन्ध है उनमें नए पदों का निर्माण कर नए व्यक्तियों को भर्ती नहीं की जानी चाहिये। योजना आयोग में, जिसकी पहले ही कटु आलोचना की जा

चुकी है, चपरासियों तथा क्लर्कों की संख्या में बहुत वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। इस आयोग को बहुत पहले ही समाप्त किया जाना चाहिये था।

जहाँ तक प्रतिरक्षा बजट का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कमी करने की गुंजायश है। कोई भी यह नहीं चाहता कि देश की सुरक्षा को कमजोर किया जाये परन्तु यदि लागत में कमी कर दी जाये तो गोली चलाने की शक्ति को कम किए बिना ही बजट में कमी की जा सकती है। प्रतिरक्षा में काम आने वाली अनेक वस्तुओं का निर्माण आयुध कारखानों को छोड़ कर अन्य कारखानों में भी किया जा सकता है। इस वर्ष वित्त मंत्री ने आयुध तथा कपड़ा कारखानों के लिये 119 करोड़ रुपए रखे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि लोक लेखा समिति की सिफारिशें को क्रियान्वित किया जाता है तो इस राशि में पर्याप्त कटौती की जा सकती है। परन्तु दुख की बात यह है कि वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को छोड़ सभी को मितव्ययता का परामर्श दिया है।

इस प्रकार की धारणा भी बनी हुई है कि अधिक धन व्यय पर अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं परन्तु पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के आँकड़ों को देखने से पता लगता है कि यह धारणा गलत है क्योंकि उन पर अधिक धन व्यय कर हम हानि ही में रहे हैं। जहाँ तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, जोकि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं से बड़ी थी, वह सबसे अधिक हानिकारक रही है। प्राक्कलन समिति ने अपने 30वें प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष निकाला है कि योजनाओं पर अधिक धन व्यय करने से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते।

जहाँ तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है इसमें धन का बहुत अपव्यय हो रहा है। बोकारो इस्पात परियोजा, जिसके लिये इस वर्ष 110 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, बहुत खर्चीला सिद्ध हो रही है। इस परियोजना को इस वर्ष के बजट से बिल्कुल ही निकाला जा सकता था। यदि इस परियोजना को पाँच वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाये तो देश को कोई हानि नहीं होगी। यही 110 करोड़ रुपए लोगों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगाये जा सकते थे। हिन्दुस्तान स्टील में 900 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है जब कि इसकी वार्षिक बिक्री कुल 130 करोड़ रुपए ही है। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को देखा जाये तो उनकी बिक्री पूंजी के हिसाब से 66 प्रतिशत है। हिन्दुस्तान स्टील ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उनको गत् सात वर्षों में लगभग 59 करोड़ रुपए की हानि हुई है। यदि उन्होंने आम व्यापारी को तरह 10 प्रतिशत लाभ भी अर्जित किया होता तो अब तक 371 करोड़ का लाभ हो जाता। इस प्रकार हिन्दुस्तान स्टील कुल 430 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस सबके बावजूद बोकारो के लिए इस वर्ष 110 करोड़ निर्धारित कर दिए गए हैं।

सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने बम्बई में बातचीत करते हुए एक बार कहा था की समाजवाद का नारा लगाने वाले देशों की अपेक्षा जापान, थाइलैण्ड, मलयेशिया आदि देशों ने अधिक सफलता प्राप्त की है। इसके पश्चात् प्रो० गेलब्रेथ ने 'न्यू इन्डस्ट्रीयल स्टेट' नामक अपनी पुस्तक में कहाह कि

श्रीलंका और भारत में सरकारी उपक्रम घाटे में ही चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे दक्षतापूर्ण कार्य नहीं करते।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भी सरकारी उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने को कहा है, परन्तु सचिवों की समिति ने इस सिफारिश को रद्द कर दिया है।

मैं वित्त मंत्री को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वह इस सत्र में उन सभी सरकारी उपक्रमों के बारे में हमारे साथ चर्चा करें जो देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। यदि इनमें कुछ त्रुटियाँ हैं तो हमें इन उपक्रमों को उन लोगों को सौंप देना चाहिये जो कि इनको घाटे के बजाय लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। जर्मनी और जापान में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं।

जहाँ तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा करारोपण का सम्बन्ध है माननीय वित्त मंत्री ने नोट छापने के सरल ढंग का चयन किया है। यह बजट स्फीतिकारी है और मुद्रास्फीति समाज-विरोधी है। इन गरीब लोगों तथा नियत आय वाले लोगों पर अधिक बोझ पड़ता है, परन्तु इससे सट्टा लगाने वालों तथा चोर-बाजार करने वालों को बहुत लाभ पहुँचता है।

इस बजट से आगामी महीनों में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी, निर्धन लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा और राजनैतिक अस्थिरता बढ़ेगी।

बजट के व्याख्यात्मक टिप्पण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 1961-62 में बजट में 114.5 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था जब कि 1965-66 में यह घाटा 172.76 करोड़ रुपए हो गया। अभी गत वर्ष बजट में 300 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। इस वर्ष यह घाटा 290 करोड़ रुपए का दिया गया है। इस प्रकार इस बजट में कुल 590 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था में देश दिवालिया हो गया है। अतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था हमारे देश की समस्याओं का हल नहीं है। घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण हम लोगों को पिछले 7 वर्षों से 14 प्रतिशत की वार्षिक मूल्य वृद्धि को सहन करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात् एक सरकारी अधिकारी श्री आई० जी० पटेल ने प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वर्तमान घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु मेरे विचार में ऐसा सोचना गलत है क्योंकि खाद्य उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की सम्भावना नहीं है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष 950 लाख टन खाद्य उत्पादन होने की सम्भावना है, हालाँकि राज्य सरकारों द्वारा दिए आँकड़ों के अनुसार खाद्य उत्पादन लगभग 890 लाख टन ही होना चाहिये। यदि 950 लाख टन के आँकड़ों को ही मान लिया जाये तो भी 1964-65 की तुलना में यह केवल 60 लाख टन ही अधिक है। इस दौरान जनसंख्या में 7½ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए इस अच्छी फसल से केवल किसान अपनी हानि ही पूरा कर सकेंगे। एक यह भी अच्छी बात है कि हमारे खाद्यान्न में वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुसार है। अतः अतिरिक्त बचत की बहुत कम गुंजाइश है और 300 करोड़ रुपए के घाटे को नोट छाप कर ही पूरा किया जायेगा।

काँग्रेस ने गत वर्ष से सिंचाई की उपेक्षा की है और इस्पात संयंत्रों आदि पर रुपया अपव्यय किया है। स्थिति यह है कि आज खेती के केवल 17 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था है। 83 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अतः यह कहना कि हमने सब बाधायें पार कर ली हैं गलत है। यदि सिंचाई की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक देश में खाद्य की कमी की स्थिति का खतरा बना रहेगा। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अतिरिक्त फसल मुद्रा के रूप में बाजार में आयेगी ? क्या आर्थिक प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने किसानों पर कर नहीं लगाया है। किसानों को पहली बार कुछ लाभ होने वाला है, इससे उनको वंचित किया जाना उचित नहीं था। ग्रामीण लोगों को शहरी लोगों की अपेक्षा अब भी आय कम है। जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है किसान को 1952–53 की अपेक्षा प्रति टन कम मूल्य मिला है।

कृषि हमारी समृद्धता तथा विष्य की कुंजी है। पिछले 20 वर्षों से हमने भारी उद्योग की तुलना में कृषि की उपेक्षा की है। 20 वर्षों के औद्योगिकरण के पश्चात् हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने मूल उद्योग कृषि की ओर ध्यान दें। परन्तु आज भी कृषि की उपेक्षा की जा रही है। 1967–68 की योजना में भी कृषि के लिये 23.3 प्रतिशत तथा उद्योग के लिए 23.16 प्रतिशत राशि रखी गई है। मेरे विचार में कृषि के लिए उद्योग की तुलना में कम से कम दुगुनी राशि रखी जानी चाहिये। अब किसान को अपनी फालतू उत्पाद को बाजार में ले जाने के लिए कहा जा रहा है, परन्तु हम अभी तक किसान में विश्वास तथा आशा उत्पन्न नहीं कर सके। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान खाद्य नीति किसान को अपनी फालतू उत्पाद बाजार में लाने से रोकती है। प्रादेशिक प्रतिबन्ध आदि लगा कर उपज के मूल्यों को नीचे रखा जाता है। एकाधिकार वसूली तथा अनिवार्य उगाही द्वारा भी किसानों को उत्पाद के उचित मूल्यों से वंचित रखा जाता है। जब तक नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि किसान कुछ करेगा।

मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिबन्धों तथा अन्य बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिये और भारत को एक साझा बाजार बनाया जाना चाहिये। दूसरे लगान तथा वसूली के उपायों को समाप्त कर सरकार को अन्य लोगों की तरह बाजार मूल्य पर बाजार से अनाज क्रय करना चाहिये। न्यूनतम मूल्य तो हो परन्तु मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। जहाँ राशन-व्यवस्था का सम्बन्ध है वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर दोहरे मूल्य की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इसके अनुसार केवल निर्धन लोगों को तथा एक सीमा तक नियत आय के लोगों को ही उचित मूल्य की दुकानों से घटी दर पर राशन दिया जाना चाहिये। शेष लोगों को ऊँचे मूल्य पर खुले बाजार से राशन क्रय करना चाहिए।

यदि इन तीन अथवा चारों उपायों का पालन किया जाता है तो देश में खाद्यान्न का आयात करना आवश्यक नहीं है। खाद्यान्न का आयात धन की बर्बादी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बात पर सहमत हूँ कि खाद्यान्न का फालतू भण्डार बनाना चाहिए। परन्तु क्या वह इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं? मंत्री महोदय ने 35 लाख टन का फालतू भण्डार बनाने के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है परन्तु मेरे विचार में इसके लिए 180 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। भण्डार करने की सुविधाओं के लिये 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह इन आँकड़ों की जाँच करें क्योंकि खाद्य कृषि संगठन के आँकड़ों के अनुसार भण्डार की आधुनिक सुविधाओं के लिये 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

क्या इसके परिणामस्वरूप जनता का न केवल रुपए बल्कि समस्त आर्थिक ढाँचे पर से विश्वास उठ जायेगा? क्या देश फिर से अवमूल्यन की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है?

ऐसा बजट बनाये जाने के पीछे राजनीतिक कमजोरी नजर आती है। सुदृढ़ नेतृत्व में कमी के कारण हमारा देश पतन की ओर जा रहा है। जो व्यक्ति सरकार में हैं मुख्यत: वे इसके लिये जिम्मेदार हैं। हमें भी इस बात को समझना चाहिये कि जिन दोषों के हमने उन पर आरोप लगाए हैं वे दोष किसी सीमा तक हम में भी विद्यमान हैं।

अवमूल्यन के सम्बन्ध में हमने प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श किया उन्होंने हमारे प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसमें से एक प्रस्ताव यह था कि निर्यात शुल्क में शीघ्र कमी कर दी जाये। मुझे दु:ख है कि उनमें से किसी सुझाव को भी सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया। अवमूल्यन के बाद किए जाने वाले किसी भी उपाय की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

गत वर्ष वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नकद न दिया जाकर उनके भविष्य निधि कोष में जमा कर दिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप उनको दिए जाने वाले 61 करोड़ रुपए में 31 करोड़ रुपया भविष्य निधि कोष में जमा हो जायेगा और 31 करोड़ रुपया ही नकद दिया जायेगा। लेकिन उनके सहयोगियों ने इसका विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों को 37 करोड़ रुपए नकद दिए गए, 24 करोड़ रुपए उनके भविष्य निधि में जमा कर दिए गए।

अत: प्रस्तुत किए गए बजट से यह ज्ञात होता है कि सरकार का न तो देश की समस्याओं को हल करने का साहस है और न ही क्षमता। पिछले सामान्य चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 40 प्रतिशत और विरोध में 60 प्रतिशत मत पड़े। ऐसी सरकार से जनता के लिये कुछ कार्य किए जाने की आशा नहीं की जा सकती।

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : बजट बड़ी कठिन तथा असामान्य स्थिति में तैयार किया गया है तथा वित्त मंत्री ने अपनी ओर से इस सम्बन्ध में बहुत प्रयास किया है।

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने उल्लेख किया था कि आगे घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। परन्तु वह इस बात पर स्थिर नहीं रह सके। घाटे की अर्थ-व्यवस्था स्वयं न तो अच्छी है और न बुरी। यह तो केवल एक उपाय मात्र है जिसका अच्छी तरह उपयोग किया जाये तो निश्चय ही अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सकता है। यह स्वाभाविक ही है कि जब किसी अर्थ-

व्यवस्था में उत्पादन संसाधन बनाये जा रहे होते हैं तो आरम्भ में कुछ वर्ष मुद्रास्फीति का होना अनिवार्य है। लेकिन इसके तुरन्त बाद माल की उपज बढ़ाई जानी चाहिये।

[श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

यदि उत्पादन में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाना पड़े तो मैं इसमें कोई दोष नहीं समझता। यह ठीक है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उचित प्रयोग करना चाहिये।

आगामी वर्षों में करों की बकाया रकम को वसूल करके घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम किया जा सकता है। करों की वसूली उचित प्रकार से की जानी चाहिये। खर्च अभी तक कोई नहीं की गई है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रशासन के लिये बचत की अत्याधिक आवश्यकता है।

यदि वित्त मंत्री बचत नहीं करेंगे और हमें अपने साधनों तक सीमित होने के लिये नहीं कहेंगे तो हमें एक दिन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

घाटे की थोड़ी अर्थ-व्यवस्था करने से कोई हानि नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि वह छः महीने बाद अनुपूरक बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे और यदि प्रस्तुत भी करेंगे तो वह बजट आशाजनक और जनता के लिये उपयोगी होगा। (**अन्तर्बाधायें**)

यदि देश की रक्षा के लिये धन व्यय किया जाता है तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा। हमारा रक्षा दल मजबूत होना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह विचार करना चाहिये कि क्या रक्षा दल को बचत और कुछ छंटनी के साथ बनाये रखा जा सकता है।

हम सब उपभोक्ता हैं और हमें यह देखना है कि हमें किस स्तर पर मूल्यों को स्थिर करना है। यदि हम मूल्यों को गत दो वर्षों के स्तर पर ला सकें तो यह उचित स्तर होगा।

यदि कृषि के मूल्यों के समान मूल्यों को कम होने दिया गया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। यदि देश में कृषि सुव्यवस्थित है तो आपके देश की अर्थ-व्यवस्था सुव्यवस्थित है। यदि कृषि अच्छी नहीं है तो औद्योगीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि कृषि-उत्पादन के मूल्य ऐसे स्तर पर स्थिर किए जायें जिससे किसानों को उचित लाभ हो सके।

यदि हम कृषि वस्तुओं की कीमतें कम कर देते हैं तो या तो वे खाद्यान्नों की फसल को नकद फसल में परिवर्तित कर देंगे या उत्पादन कम करना बन्द कर देंगे और उर्वरक और अन्य उपकरणों का प्रयोग बन्द कर देंगे। जिसके परिणामस्वरूप देश में अनाज के उत्पादन में कमी हो जायेगी। अतः कृषि के मूल्य में अचानक कमी करना अचानक मूल्य बढ़ जाने के समान भयंकर होगा।

कृषक भी और व्यक्तियों के समान उपभोक्ता हैं और यदि कृषकों की क्रय शक्ति कम हो जायेगी तो औद्योगिक वस्तुएं कौन खरीदेगा? इस सम्बन्ध में हमें अर्थ-शास्त्रियों की सलाह लेनी चाहिये और उस पर अनुसरण करना चाहिये।

कृषि को आवश्यक सुरक्षा दी जानी चाहिये। यदि देश में कृषि की दशा मजबूत है तो सब

ठीक है। किसानों का सर्व-प्रथम प्रयास गाँव या कस्बे में अपना स्टाक जमा करने का होना चाहिये और उसको मार्केट में नहीं लाना चाहिये।

यह आवश्यक है कि वसूली होनी चाहिये और भविष्य में इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिये। स्टाक का बहुत अधिक मात्रा में बनाये रखना आवश्यक है ताकि जब मूल्य बहुत ऊँचे हो तो मूल्य पर रोक लगाने के लिये वह स्टाक में दिया जा सके। इन बातों के सम्बन्ध में निरन्तर सतर्क रहना चाहिये और उन विभिन्न बातों का पता लगाना चाहिये जिसके कारण मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा किया जाता है तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये उपयोगी होगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा।

प्रशासन के खर्चे में भी कमी की जानी चाहिये। यदि कोई उद्योग घाटे में जा रहा है तो उन्हें यह कहना चाहिये कि वे इसमें सुधार करेंगे।

सरकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाना चाहिये। जनता को तकनीकी मामलों की जानकारी दी जानी चाहिये। लेकिन अत्यधिक सरकारी प्रचार का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। उदाहरण के तौर पर सरकारी प्रकाशनों की प्रतियाँ उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिये जो उसमें रुचि रखते हों। इस प्रकार की मितव्ययिता प्रत्येक विभाग में की जानी चाहिये।

यह सच है कि कुछ सूती कपड़े की मिलें सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं। परन्तु इसमें उन कर्मचारियों का क्या दोष है जो इसमें कार्य कर रहे हैं। हमें रोजगार, माल के निरन्तर उत्पादन और उत्पादन शुल्क से होने वाली सरकारी आय पर विचार करना चाहिये।

सम्भवतः सूती कपड़ा उद्योग अगले वर्ष अच्छा लाभ कमाये। कपास की कीमतें वर्तमान स्तर से नीचे गिर सकती हैं। यह भी सम्भव है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट आने से मंहगाई भत्ता भी कम हो और उद्योगों की स्थिति भी सुधरे। लेकिन इसमें कम से कम एक वर्ष लगेगा। अतः इन उद्योगों को तब तक सहायता दी जानी चाहिये जब तक यह सुदृढ़ न हो जायें।

प्रस्तावित सूती कपड़ा निगम के लिये बजट में 12 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया है। इसमें से आधा सामान्य शेयर पूंजी है और आधा ऋण के रूप में है। यदि सामान्य पूंजी को सामान्य पूंजी समझा जाता है तो उस सीमा तक ऋण लेने की क्षमता बढ़ेगी।

प्रत्येक राज्य में सूती कपड़ा मिलों का विकास हो रहा है। अफ्रीका, जो हमारे सूती कपड़े की मार्केट हुआ करता था, वहाँ भी सूती कपड़ा मिलों का विकास हो रहा है। मुझे भय है कि हम पाकिस्तान और हाँगकाँग से निर्यात के सम्बन्ध में कब तक प्रतियोगिता कर सकेंगे। यदि सूती उद्योग उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे तो वे समाप्त हो जायेंगे। बहुत सी सूती मिलों ने छोटे-छोटे कारखानों के रूप में काम आरम्भ किया है। इसके लिये कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यदि यह पता लगता है कि कोई मिल घाटे में चल रही है तो उसे बन्द कर नई मिल को चालू कर रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिये।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री शान्तिलाल शाह: बजट के कुछ प्रस्ताव कड़वी गोली के समान हैं जिन्हें निगल जाना चाहिये।

त्यागी समिति ने यह सुझाव दिया है कि बहुत से ऐसे डाकखाने चालू हैं जो हानि में चल रहे हैं और अगले दस वर्ष तक चालू रहेंगे। त्यागी समिति ने बताया कि दो या तीन वर्ष में यह बताया जा सकेगा कि कोई डाकखाना चल सकेगा अथवा नहीं यदि कुछ समय के बाद भी ये डाकखाने अच्छी तरह से नहीं चल सकें तो ऐसे डाकखानों को चलाने का काम गाँव के अध्यापक को सौंपा जा सकता है। इससे अध्यापक को भी लाभ होगा और जनता को भी सुविधा होगी। डाकखाना सार्वजनिक उपयोग की सेवा है। अतः इससे कोई लाभ न हो तो कोई बात नहीं किन्तु इससे लम्बे समय में घाटा भी नहीं होना चाहिये। अतः इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि पोस्टकार्ड आदि के मूल्यों को इस प्रकार से निर्धारित करना आवश्यक हो गया था जिससे उसकी लागत का खर्च पूरा हो सके। एक निश्चित सीमा से अधिक राज-सहायता नहीं दी जा सकती।

समाचार-पत्रों को ही लीजिए। भारत में 2 पैसे का डाक टिकट लगाया जाता है, रूस में यह 10 पैसा है। गत वर्ष इसको 5 पैसे किए जाने का प्रस्ताव था। जब इसका विरोध किया गया तो ऐसा नहीं किया गया।

डाक दरें दूरी के हिसाब से निर्धारित नहीं की गई हैं। मथुरा और दिल्ली का फासला दिल्ली और अमृतसर के मुकाबले कम हो सकता है। लेकिन पोस्टकार्ड को उसी दर पर भेजा जाता है। यह उचित नहीं है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सार्वजनिक उपयोगिता-सेवा हानि में चले। माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि वह हानि से न चलें। डाकखानों को धन का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिये।

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपट): यह खेद की बात है कि वित्त मंत्री ने बजट में 315 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। वित्त मंत्री ने करों से 60 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया है। इस घाटे की पूर्ती किस तरह से की जायेगी ? अधिक नोट छपवाये जा सकते हैं किन्तु अधिक नोट छपवाने से राज्यों के बजट पर बुरा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका राज्यों के बजट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

आयोजन सम्बन्धी गलतियों के कारण ही देश में वर्तमान आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। गलतियों को अभी भी दूर किया जा सकता है। योजना की 5 वर्ष की अवधि का कोई विशेष महत्व नहीं है। हम दो वर्ष की योजना भी बना सकते हैं। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिये।

उद्योगों की स्थापना में बहुत प्रादेशिक असंतुलन है। बड़े-बड़े उद्योग उत्तर में ही स्थापित किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की रोजगार क्षमता तथा रहन-सहन का स्तर बढ़ गया है। सरकार को सारे देश में उद्योग कायम कर लेने चाहिये। उसे दक्षिण में सलेम

और विशाखापत्तनम् में इस्पात के संयंत्र स्थापित करने चाहिये। हाल ही में मद्रास के मुख्य मंत्री ने इक्लेट्रोनिक उपकरण बनाने का कारखाना, भारी प्लेट, जहाज परियोजना तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग एकक स्थापित करने की माँग की है। राज्य की बेरोजगारी को समस्या की हल करने और तामिलनाड की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से इन परियोजनाओं की स्थापना की जानी चाहिये।

वित्त मंत्री को वे ऋण बट्टे खाते में डाल देने चाहिये जो राज्य सरकारों को पिछले दस वर्षों या कम से कम जो पाँच वर्षों के दौरान दिए गए हैं। यदि वित्त मंत्री मद्रास सरकार को 10 रुपया कृषि के लिये राज-सहायता के रूप में दे दें तो मद्रास सरकार अपने पड़ोसी की अधिक से अधिक माँग पूरी कर देगी।

मद्रास निगम को केन्द्रीय सरकार ने 1954 से 1967 तक कोई राशि नहीं दी है। इसपर मद्रास ने बड़ा रोष प्रकट किया है। अतः वित्त मंत्रालय को मद्रास निगम को देय राशि का भुगतान कर देना चाहिये। वित्त मंत्री को स्वर्ण नियंत्रण पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये केवल कट्टरवादिता के आधार पर नहीं।

दक्षिण भारत में हथकरघा उद्योग एक मुख्य-धंधा है। केन्द्रीय सरकार की कर नीति के कारण हथकरघा से तैयार कपड़े के निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ा है और बुनकरों की हालत शोचनीय हो गई है। बुनकरों को व्यक्तिगत आधार पर या उनकी सहकारी समितियों को सहायता देने के प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिये। हथकरघे से तैयार वस्त्रों के लिये विश्व में बाजार बनाने का केन्द्रीय सरकार को प्रयास करना चाहिये।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कल्पक्कम में अणु-बिजली-घर के लिये पर्याप्त धन दिया जाये। चिंगलेपुट से कल्पक्कम तक बरास्ते मद्रास एक रेलवे लाइन बिछाई जाये। वहाँ चार पर्यटन केन्द्र हैं---महाबलीपुरम, वेदंथंगल, कंचीपुरम और तिरुकालिकुन्द्रम। उन चारों केन्द्रों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये, चूंकि वहाँ यातायात के पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यातायात बढ़ाने की दृष्टि से चिंगलेपुट-तिरुकलिकुन्द्रम महाबलिपुरम,-तिरोप्पोरुर-केलम्बकम्-ताम्बरम् को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये। पल्लव मन्दिर के क्षेत्र में प्रकाश-ध्वनि प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाये। सिल्क-साड़ी बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये। एक और सुझाव यह है कि पलर नामक नदी प्रायः जो सूखी रहती है, उसके तह के नीचे पानी उपलब्ध है। उसे सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जाये। आज हमारे देश में संविधान सम्बन्धी अनेक विवाद खड़े हो गए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक उच्च-सत्ता प्राप्त प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाये जो संविधान की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करे और संविधान के लिये उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दे। आज ऐसे संविधान की आवश्यकता है, जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढल सके।

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : I think the Finance Minister has presented the Budget, which is the most suitable in the economic condition prevailing at present in the country. I want to congratulate the Dy. Prime Minister for the efforts he has made for balancing the financial position of the country. It is a fact that a deficit of about 300 crores has been shown in the budget.

Some people have criticized it by saying that the prices will go up on account of deficit budget. In my opinion this criticism is not corrct. There is a spurt in the prices on account of deficit financing, when there is less production. But we are expecting the bumepr crop this year. So it will not lead to rise in prices. Savings are also essential in order to put a check on the rising prices. Savings will also help in checking the inflation. Our Finance Minister has introduced several saving schemes and the scheme of the General Provident Fund is the most attractive one. If it is fully implemented, it will bring a lot of money to the Government, as this scheme will be liked by the workers also because they will get accumulated money at the time of their going out of employment.

It is often said that the administrative expenditure shuold be reduced as much as possible. We also want it but at the same time we should not forget that there is a big problem of unemployment which is facing our country. Same economy, of course, be effected in the expenditure in the public sector undertakings.

It is also said that planning and democratic socialism are irreconcilable. In this connection I would like to say that the critics have not understood the concept of democratic socialism correctly. Democratic socialism means the socialism by democratic means and ways; and the prerequisite of socialism is that there should be social control over the resources of production and its distribution. To recnocile both the concepts we decided that public sector and private sector should go together.

I am in favour of public sector but I am not satisfied with the working of the public sector undertakings, which all are not well-managed. The management of the public sector undertakings should be entrusted to experienced hands. Government officers have no experience of management of steel plants. If necessary some people who are Managers in private sector, should be appointed Managers in public sector undertakings.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The condition of private sector is worse than the condition of public sector, because it wants maximum profit at the cost of workers as well as consumers. There is labour unrest prevalent in the private sector. A factory or mill can work smoothly if there is no conflict between the management and the workers.

It is good that the Finance Minister has said in the budget that every industry will be given opportunity and relief for carrying research work on the raw material of its consumption so that the quality and quantity of the same may be improved, which will consequently have effect on the prodution. I think it is a good proposal but unless facilities of land or research are provided to industries, the proposal will be of no use. It should be inplemented fully.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री कृ० मा० कौशिक (चन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों

के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

स्वर्ण-नियंत्रण सम्बन्धी संकल्प—जारी

RESOLUTION RE: GOLD CONTROL—CONTD

श्री जेवियर (तिरुनलवेलि) : मेरा दूसरा संकल्प यह है कि स्वर्णकारों की विपत्ति और उनके व्यापक आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए सभा की राय में सरकार को स्वर्ण नियंत्रण हटा लेना चाहिये। स्वर्ण नियंत्रण आदेश 10-1-1963 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के निम्नलिखित तीन उद्देश्य थे :—सोने की माँग करना, सोन के मूल्य को कम करना और देश में सोने के तस्कर व्यापार को रोकना। इससे सोने की माँग भी कम न हुई क्योंकि महिलाओं में स्वर्णाभूषणों को पहनने की प्रवृत्ति जन्मजात है, और उस पर इस प्रकार के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस आदेश के लागू होने से सोने के मूल्य में भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसका मूल्य और अधिक बढ़ गया क्योंकि खुले रूप से सोना उपलब्ध न होने के कारण सोने का सौदा चोर-बाजारी से होने लगा। यही नहीं, इससे तस्कार व्यापार को अधिक बढ़ावा मिला। इससे भारत को अर्थ-व्यवस्था में कोई स्थिरता भी न आई। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन ध्येयों को ले कर यह आदेश जारी किया गया था उनमें से एक भी पुरा न हुआ। यह पूर्णतः विफल रहा।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G . S. Dhillon in the Chair]

इसी कारण से स्वर्ण नियंत्रण विधेयक का सभी ओर से तीव्र विरोध किया गया है। यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 19 (i) (च) में सम्पत्ति के अर्जन, धारण और उसे व्यय करने का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 19 (i) (छ) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को वृत्ति या जीविका कमाने अथवा व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। इस विधेयक के माध्यम से जन-साधारण का सम्पत्ति को प्राप्त करने और धारण करने का अधिकार तथा स्वर्णकारों का कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार छीना जा रहा है। स्वर्ण-नियंत्रण आदेश के आधार पर देश के लगभग 20 लाख स्वर्णकार बेरोजगार हो गए थे। अपना परम्परागत व्यवसाय करने की उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बजाय उसे और अधिक जटिल बनाती जा रही हैं।

स्वर्ण-नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी स्वर्णकारों को परेशान करते हैं। ये लोग उन शर्तों का निरीक्षण करते हैं जो स्वर्णकारों के लिये अनिवार्य बना दी गई हैं जैसे लाइसेंस लेना, हिसाब-खाता रखना आदि। ये कुछ लोगों के लिये दिए आवेदनों को रद्द कर देते हैं तथा

कुछ लोगों के अस्वीकार कर देते हैं। अधिकतर सुनार अशिक्षित हैं जो आवेदन की गलतियों को दूर करने में असमर्थ होते हैं और उनके आवेदन इसी आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं। भारत सरकार ने बेरोजगार हुए सुनारों को पुर्नस्थापन के लिये जो सहायता प्रदान करने वाले उपाय अपनायें हैं, वे पूर्णरूप से असफल रहे हैं। अनुभवहीनता के कारण सुनारों को जो सहायता राशि दी गई थी, वह उसका सदुपयोग न कर सके। उनका कोई अन्य व्यापार न चल सका और वे जहाँ के तहाँ रहे। अब वे सरकार द्वारा दिए गए ऋण को लौटाने की हालत में भी नहीं हैं। अतः उन पर ऋण के भुगतान के लिये जोर देना निर्दयता-पूर्ण कार्य होगा। मेरा तो यह अनुरोध है कि स्वर्ण-नियंत्रण सम्बन्धी विधान को वापिस लिया जाये जिससे स्वर्णकार बिना किसी कठिनाई के अपना व्यवसाय पुनः अपना सकें। दूसरे स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड के प्रशासक और कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए का खर्च व्यर्थ हो किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को इस उद्देश्य के लिये 5½ लाख रुपए और स्वर्णकारों को ऋण के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह वित्तीय भार अवांछनीय और अनावश्यक है। गाँवों में सोना ही रुपए के लेन-देन का एक साधन था। स्वर्ण-नियंत्रण की व्यवस्था से किसानों को ऋण लेने में भी बड़ी कठिनाई होती है। अन्य किसी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था गावों में नहीं है।

इस प्रकार इस विधेयक का सब ओर से विरोध किया गया है। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। दूसरे मुद्रास्फीति इसलिये नहीं बढ़ रही है कि महिलाएं सोने के आभूषण अधिक पहनती हैं। इसका मुख्य कारण है सरकारी क्षेत्र में स्थापित बड़े-बड़े उद्योगों में अत्यधिक धन का लगाया जाना, जिनसे लाभ नहीं हो रहा। 45 बड़े उद्योगों में से केवल 10 लाभ कमा रहे हैं तथा शेष 35 घाटे में जा रहे हैं। अतः मेरा यह अनुरोध है कि स्वर्ण-नियंत्रण विधेयक वापिस ले लिया जाये।

मुद्रास्फीति समाज-विरोधी चीज है क्योंकि निर्धन लोगों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। सरकार के लाभ के लिये तथा सरकार के दोषों को छिपाने के लिये निर्धन स्वर्णकारों का अहित कया जा रहा है। इस विधेयक के पीछे सरकार के दो मुख्य उद्देश्य हैं: (एक) 200 करोड़ रुपए के विदेशी ऋण को चुकाने के लिये देश के सोने को हथियाना (दो) लोगों को बेवकूफ बनाना कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है।

लोगों की पीड़ा को देख कर सम्राट अशोक ने अपने राजसिंहासन को त्याग दिया था। हमने अपने राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र को अपनाया है। वित्त मंत्री को जनता के प्रति न्यायोचित होना चाहिये। सरकार को इस विधेयक पर पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि स्वर्णकारों के समस्त समुदाय पर इसका बुरा असर पड़ा है।

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं स्वर्ण-नियंत्रण विधेयक का कड़ा विरोधी हूँ। जब यह विधेयक इस सभा में पहले-पहल प्रस्तुत किया गया था तो कांग्रेसियों के सदस्यों में से केवल मैंने ही इसका विरोध किया था। स्वर्ण-नियंत्रण विधेयक जब पारित किया गया था उस समय

जो उद्देश्य दिए गए थे उनमें से किसी की भी पूर्ति नहीं हुई है। किसी को भी इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा है। इस समय जब कि देश बेकारी-व्याप्त है स्वर्णकारों का भी रोजगार छिन गया है। 20 लाख स्वर्णकारों के पास अब आजीविका का कोई साधन नहीं रहा है।

यह विधेयक असंवैधानिक है। किसी भी स्वर्णकार के पास उच्च न्यायालय में जाने के लिये साहस और पैसा नहीं है। स्वर्ण नियंत्रण को लागू करने के लिये आपको एक स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक नियुक्त करना होगा। लाइसेंस आदि जारी करने के लिये उसे शक्तियाँ देनी होंगी। मैं समझता हूँ कि यह हमारे संविधान और हमारी आत्मा के विरुद्ध है। विवाह-शादियों में अब भी जेवर का देना बन्द नहीं हुआ है। लोग अब भी चोरी-चोरी जेवर बनवाते हैं और देते हैं। इस प्रकार इस विधेयक से देश में कदाचार बढ़ता है।

अतः इस स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिये और स्वर्णकारों को अपनी आजीविका कमाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : स्वर्ण नियंत्रण विधेयक को लाते समय वित्त मंत्री ने जो उद्देश्य बताये थे उनमें से एक भी उद्देश्य इसके द्वारा पूरा नहीं हुआ है। वास्तव में स्वर्ण नियंत्रण विनियमों का इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से स्वर्णकारों पर तो मुसीबत के पहाड़ आन पड़े हैं। सरकार स्वर्ण नियंत्रण द्वारा तस्कर व्यापार रोकना चाहती थी, परन्तु तस्कर व्यापार आज भी पहले की भाँति व्याप्त है। सरकार की गलत नीतियों के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ी है और मुद्रा स्फीति के कारण सोने के आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बड़ा अन्तर पैदा हो गया है। सोनेकी माँग बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पए का मूल्य अब पहले की अपेक्षा केवल 12 नए पैसे रह गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में तो रुपए का मल्य इस हद तक गिर गया कि सरकार को विवश होकर इसका अवमूल्यन करना पड़ा। किन्तु अवमूल्यन के बाद भी रुपए का मूल्य डालर के अन्दर 7.50 रुपए प्रति डालर के सरकारी मूल्य से कम है। सोने की समस्या मुद्रा स्फीति की मूल समस्या का समाधान करके ही हल की जा सकती है। चूंकि स्वर्ण नियंत्रण को नौकरशाही ने लागू करना है इसलिये उसमें भ्रष्टाचार आ गया है। अनुमान है कि स्वर्णकारों से प्राप्त होने वाले आय-कर और विक्रय-कर के रूप में सरकार को 28 करोड़ रु० की हानि हुई है। कृषकों को भी इससे हानि हुई है क्यों कि वह पहले सोना रहन रख कर बीज उर्वरक बैल आदि खरीद लेते थे।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के कारण लाखों लोग बेकार हो गए हैं और आत्महत्याएँ भी की जा रही हैं। स्वर्णकारों की कला एक परम्परागत कला है और सरकार उनके पुनर्वास पर चाहे कितना भी खर्च क्यों न करे वे अन्य धातुओं पर अपनी इस परम्परागत कला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका परिणाम यह निकला है कि सरकार ने उन्हें जो ऋण दिए थे वे उन्हें अपनी मुसीबत के समय में खापी बैठे हैं। यह अत्यन्त खेद का विषय है। सरकार ने जिन स्वर्णकारों को वैकल्पिक रोजगार दिया है उनके लिये अपने परम्परागत व्यवसाय को अपनाना वर्जित है।

कुछ समय हुआ प्रधान मंत्री ने स्वर्णकारों को कुछ आश्वासन दिए थे जो पूरे नहीं किए गए हैं। इससे सरकार पर से उनका विश्वास उठ रहा है।

स्वर्णकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि बढ़ाई जानी चाहिये और नए स्वर्णकारों के लिये लाइसेंस प्राप्त करना वर्जित नहीं होना चाहिये। कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए सरकार को स्वर्णकारों को स्टैण्डर्ड गोल्ड बार तथा गहने खरीदने की अनुमति होनी चाहिये। प्रति परिवार 250 ग्राम ऐसा सोना रखने की अनुमति होनी चाहिये जिसे विवाह के अवसर पर गहने में बदला जा सके। निर्धन स्वर्णकारों के विरुद्ध दायर किए गए सभी मुकदमे वापस ले लिये जाने चाहिये। स्वर्णकारों को कम से कम 1200 ग्राम सोना एक समय में रखने की अनुमति होनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह इस विधेयक पर पुनः विचार करें और इस कड़े अधिनिम को वापस लेने का निर्णय करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश का आरम्भ में कुछ अच्छा प्रभाव भी हुआ था। निर्धन लोगों ने आराम की साँस ली कि सोने के कारण अमीर और गरीब में सामाजिक प्रतिष्ठा की जो विषमता थी अब वह नहीं रहेगी। निःसन्देह स्वर्णकारों में व्यापक रूप से बेरोजगारी फैली, किन्तु यदि सरकार ने स्वर्ण-नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत समुचित उपाय किए होते तो हम इस देश में एक सामाजिक क्रान्ति ला सकते थे। किन्तु ऐसा हुआ नहीं। जब आप पुराने जेवर को नए जेवरों में बदलने की अनुमति देते हैं तो आप नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। फिर, इन उपायों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं समझती हूँ कि त्रुटिपूर्ण विधेयक समाप्त करना ही अच्छा होगा। जहाँ तक तस्कर व्यापार को रोकने की बात है सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत में सोने का मूल्य बहुत ऊँचा है और भारत की सीमाएं भी बहुत लम्बी हैं। मुख्य तस्कर व्यापारी नहीं पकड़े जाते हैं, उनके सहायक ही पकड़े जाते हैं, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है और यदि वे सौ बार पकड़े जायें तो भी उनको कोई घाटा नहीं रहता है। इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई है और देश में 500 करोड़ रु० उपलब्ध होने की आशा है। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। यदि आप बैंकिंग के इतिहास को देखें तो आप पायेंगे कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। लोग सोने को श्रृंगार साधन के लिये नहीं रखते हैं। अपितु इसलिये रखते हैं कि यह एक ठोस चीज है जिसका मूल्य और उपयोगिता नहीं गिरती। सोने को छोड़ अन्य प्रत्येक वस्तु का अवमूल्यन हो गया है। अतः सोने को जमा करने की लालसा को केवल दीर्घकालीन उपायों द्वारा ही रोका जा सकता है। यदि किसी विशेष बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है तो उसे हरयाना, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। ऐसा करने से ही ग्रामीण श्रृगों के संसाधनों को जुटाया जा सकता है और वहां की अर्थ-व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। बैंकों को साहस से काम लेना होगा। वे अपने पैसे को केवल फलते-फूलते उद्योगों में ही लगाना जानते हैं। बैंकों को किसानों का पथ-प्रदर्शक बनना होगा। उन्हें बैंकिंग पद्धति में विश्वास दिलाना होगा।

भाडागारन को लीजिये। सरकार को भांडागारन में विनियोजन के लिये 600 करोड़ की आवश्यकता है। सरकार भांडागारन की 20 लाख टन की वर्तमान क्षमता को बढ़ा कर

1 करोड़ टन करना चाहती है। यदि बैंकें गाँवों में छोटे-छोटे भांडागारों की व्यवस्था कर दें, तो ग्रामवासी अपना माल भी उनमें ले आयेंगे और अपना पैसा भी उनमें लगा देंगे। यदि आप सोने के प्रति लालसा को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रामवासियों को सका कोई विकल्प देना होगा जिसमें उनका पैसा सुरक्षित रहे और उनको लाभ हो। आज संसार के वे देश जिनके पास सोना प्रचुर मात्रा में है अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में हैं। दूसरी ओर भारत उन देशों में से है जो सोने के प्रति लालसा रखने के कारण पीड़ित हैं।

श्री सेझियान (कुंबकोणम) : मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को राजनैतिक स्तर से उठाकर विचारा गया है। यह ठीक ही किया गया है। मुझसे पूर्व बोलने वाले दोनों कांग्रेसी सदस्यों ने भी स्वर्ण नियंत्रण आदेश को हटाने की बात जोरदार शब्दों में कही है; परन्तु श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, जो कि स्वयं वित्त मंत्री रही हैं, के वक्तव्य का विशेष महत्व है क्योंकि आदेश का उस समय तो इन्होंने समर्थन किया था परन्तु अब वह समझती हैं कि अब समय आ गया है कि इसे समाप्त कर देना चाहिये।

स्वर्ण की तस्करी रोक कर विदेशी मुद्रा की बचत, दबे स्वर्ण को बाहर निकालना तथा देश में उसकी दर तथा माँग कम करने के उद्देश्य से स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू किया गया था; परन्तु विश्व और भारत की जनता जानती है कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सब चाहते हैं कि स्वर्ण तो क्या हर वस्तु की तस्करी रोकी जानी चाहिये परन्तु तस्करी गरीब सुनार नहीं करते बल्कि वे बेईमान महाजन करते हैं जो बीजकों में कम या अधिक धन दिखा कर विदेशी मुद्रा का गोलमाल करते हैं। जब तक कि बीजक बनाने तथा विदेशी व्यापार करने के तरीकों से दोष नहीं हटाये जायेंगे, यह समस्या बनी रहेगी। भूतपूर्व वित्त उप-मंत्री भी यही कहती हैं। हजारों-लाखों गरीब सुनारों को बेरोजगार करने से यह समस्या हल नहीं होगी।

माननीया सदस्या ने ठीक कहा है कि गाँवों में औरतों को स्वर्ण से इतना प्यार नहीं रहा। वहाँ तो रोटी की ही समस्या हल नहीं होती। सोना तो गाँवों में एक बचत तथा लेन-देन का साधन था। अब क्योंकि रुपए का मूल्य केवल 10 से 14 प्रतिशत ही रह गया है तो लोगों ने स्वर्ण अपनाया है क्योंकि इसकी दर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। अतः यदि सरकार इस तरीके को बदलना तथा अपने देश की मुद्रा में लोगों का विश्वास उत्पन्न करना चाहती है तो वह रुपए के मूल्य को स्थिर करे।

मैं यह भी कहूँगा कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश द्वारा यह जो 14 कैरेट स्वर्ण लाया गया है वह एक मजाक बनकर रह गया है क्योंकि इसे कोई नहीं खरीदता। न जाने क्यों सरकार ने अन्य वस्तुओं के साथ स्वर्ण का भी अवमूल्यन कर दिया है। इस राज में तो सब पापों को नष्ट करने वाले गंगा-जल में भी दोष उत्पन्न हो गए हैं। इसी प्रकार इस शासन में स्वर्ण का भी अवमूल्यन हो गया है तथा अब तो इसे 14 कैरेट के स्वर्ण को कोई छूना भी नहीं चाहता। 14 कैरेट स्वर्ण तो बस शो-केसों में ही सजा दिखाई देता है तथा असली सोने का खुले-आम ऊँचा दाम देकर व्यापार होता है। अतः इस स्वर्ण नियंत्रण आदेश ने लोगों के सन्तापों को बढ़ाया है तथा तस्करी तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को प्रोत्साहित किया है। कानून तोड़ने वालों ने सोने को

आभूषणों में बदल कर तथा इस प्रकार आभूषणों का लेन-देन करके खूब धन कमाया है। पंच-वर्षीय योजना की भाँति स्वर्ण नियंत्रण आदेश भी 1963 से 1968 के पाँच सालों में असफल रहा है।

इन पाँच वर्षों में अनेक लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा है और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा संघ ने सूचना दी है कि अनहूस स्वर्ण नियंत्रण आदेश के दोष-पूर्ण प्रयोग के फलस्वरूप 200 आत्म-हत्यायें हुई हैं। गत 7 फरवरी को ही विश्वकर्माओं और स्वर्णकारों ने अपनी संयुक्त बैठक में जोरदार आग्रह किया है कि इस आदेश को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं भी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक की संयुक्त चयन समिति में था तथा इस सम्बन्ध में हमने जितनी गवाहियाँ, शिकायतों आदि पर विचार किया, उनमें से किसी ने भी इस स्वर्ण नयंत्रण विधेयक का समर्थन नहीं किया था। पूरो 5000 याचिकाओं में तथा सैकड़ों संस्थाओं द्वारा इसे समाप्त करने को कहा गया था। इतने विरोध पर भी वित्त मंत्री द्वारा यह आदेश लागू किया गया, बाद में स्वयं श्री हमुमन्तैया ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से स्वयं वित्त मंत्री भी इस आदेश को इस रूप में नहीं चाहते थे और इसे समाप्त कर दिया जाये। हमें इसे राजनैतिक आधार पर कभी नहीं सोचना चाहिये। संयुक्त चयन-समिति के कई काँग्रेसी सदस्यों ने भी इस रूप में इस विधेयक पर विरोधाभासी टिप्पण लिखे थे। अब भी दो काँग्रेसी सदस्यों ने इसे समाप्त करने को बात कही है। अतः इसमें अनिश्चय की कोई बात नहीं है। स्वर्ण की तस्करी रोकिये परन्तु अन्य कठोर उपायों से; बीस लाख स्वर्णकारों, दस्तकारों तथा उनके आश्रितों को दण्ड देने से यह समस्या हल नहीं होगी।

अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वह इसे आत्म-सम्मान अथवा पार्टी के सम्मान का विषय न बनाकर राष्ट्र के तथा देश के 20 लाख लोगों के हितों के लिये इसे समाप्त कर दें। विभिन्न आपत्तियों द्वारा सदन की भावना भी प्रकट हो गई है अतः श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर इसे समाप्त कर दें।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विषय पर समय-समय पर हमने मंत्रियों से, उनके पद पर रहने अथवा अपदस्थ होने पर, उनके विचार सुने तथा यह तो होना ही है कि अनुभव के प्रभाव से विचारों में परिवर्तन आता रहता है। मेरी इच्छा है कि इस आदेश के लागू होने तथा प्रयुक्त होने के बाद तक के समय में कोई निश्चित विचारधारा स्थिर हो जाये। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि जिस समय यह आदेश लागू किया गया, तब इसकी आवश्यकता थी। मैं देश को प्रमुख राजधानियों में से एक में रहता हूँ कलकत्ता में एक समय आया जबकि गली गली में स्वर्णकारों की दुकानें खुल गईं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी गुप्त स्रोत से स्वर्ण बाहर बाजार में आ रहा था और इस कारण विदेशी मुद्रा के विनष्ट होने से भारत की अर्थ-व्यवस्था को भारी आघात पहुँच रहा था। इस अनुभव के आधार पर हमें सोचना है कि क्या यह आदेश अपने मूल उद्देश्यों में सफल हुआ है और क्या अब भी इसकी अवश्यकता रह गयी है।

स्वर्ग नियंत्रण आदेश का उद्देश्य वित्त मंत्री ने मुख्यतः यही रखा था कि स्वर्ण के प्रति लोगों का मोह दूर हो जाये। और इसी कारण उन्होंने 22 कैरेट के स्थान पर 14 कैरेट का स्वर्ण चालू किया, परन्तु लोगों का मोह फिर भी नहीं गया।

श्री कन्डप्पन : बल्कि बढ़ा है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : यह मोह आकस्मिक नहीं प्रत्युत पारम्परिक है। वास्तव में स्वर्ण तो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रायः हर सामाजिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होता है; विशेषकर विवाह के समय तो मंगलसूत्र दिया ही जाता है, भले ही वह 14 कैरेट का हो अथवा 22 कैरेट का, तथा कहीं से भी मिले। एक बैंक के अधिकारी के अनुसार, 14 कैरेट स्वर्ण के अस्तित्व ने तो शुद्ध स्वर्ण को भी खराब कर दिया है तथा इस प्रकार किसी प्रकार के लाभ के बदले हमें हानि हो हो रही है। दूसरे, वित्त मंत्री की आशाओं के विपरीत 14 कैरेट स्वर्ण लोकप्रिय भी नहीं हुआ, अतः इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये। हाँ, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के कथनानुसार इसका राजनयिक मूल्य जरुर कुछ है। अतएव स्वर्ण का नियंत्रण स्वर्णकारों को नियंत्रित करके नहीं प्रत्युत अन्य उपायों से करना चाहिये।

यह तो स्वर्ग सम्बन्धी सामाजिक पक्ष रहा परन्तु इसका साहित्यिक महत्व भी है। साहित्य में प्रायः हर स्थान पर इसका वर्णन मिलता है तथा वैदिक साहित्य में इसे 'हिरण्यवर्णा, हिरण्यस्रजा हिरण्यवर्णां हरिणीम कहा गया है। फिर आगे पौराणिक काल में इसे "तप्तकाँचन वर्णा" कहा गया तथा एक सुन्दरी के वर्णन में भी कहा गया —

"तप्कांचनवर्णाभा सा श्यामा परिकीर्तिता"। महाकवि विद्यापति ने भी यह वर्णन दिया — "अपरूप दौखनु रामा कनकलता अवलम्ब ने ऊथल हरिणीहीना हिमधामा" यद्यपि उपर्युक्त उद्धरणों का वित्त से कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु इनमें मानव-समाज की भावनायें तो निहित हैं तथा इस पीले धातु के प्रति उनका पारम्परिक लगाव तो प्रकट होता है।

अतः मेरा सुझाव है कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाये तथा केवल स्वर्णकारों के ही नहीं बल्कि जन-समाज के हितों को भी ध्यान में रखकर ऐसे उपाय ढूंढ़े जायें कि जन-प्रयोग के लिये भी उपयुक्त मात्रा में स्वर्ण उपलब्ध हो तथा वित्त-मंत्री का उद्देश्य भी पूरा हो जाये।

सभापति महोदय : अब श्री स० मो० बैनर्जी यथासम्भव संक्षेप में बोलें क्यों कि इस विषय के लिये निर्धारित 90 मिनटों में से 80 तो समाप्त हो चुके हैं तथा वित्त मंत्री महोदय भी 20 मिनट चाहते हैं।

श्री स० मो० बैनर्जी : उन्होंने तो केवल "नहीं" कहना है इतने समय का क्या करेंगे ? आप समय आधा घण्टा बढ़ा दें।

श्री सेझियान : एक घण्टा बढ़ा दें।

श्री तुलसीदास जाधव (बरामती) : कम से कम पाँच-सात मिनट तो ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में कहें।

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : अपने माननीय मित्र श्री जेवियर को मैं बधाई देता हूँ

कि उन्होंने यह प्रस्ताव उस समय रखा जब कि देश भर के निराश स्वर्णकार स्वर्ण-नियंत्रण आदेश के विरुद्ध एक ओर अभियान चलाने के प्रयत्न में थे। परन्तु मैंने उसमें संशोधन प्रस्तुत किया है। कदाचित आपको याद हो कि चीनी आक्रमण के बाद स्वर्गीय श्री नेहरू ने राष्ट्र से कहा था, 'शस्त्रों के लिये आभूषण दो, और इस प्रकार स्वर्ण-नियंत्रण आदेश का उद्भव हुआ। इस आदेश के तीन उद्देश्य थे--स्वर्ण के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर लाना, तस्करी घटाना तथा छिपा स्वर्ण बाहर निकालना। परन्तु न तो मूल्य ही घटा और न ही तस्करी, बल्कि तस्करी के कई गम्भीर उदाहरण मिले। स्वर्ण पर ही क्या सरकार किसी भी चीज़ पर, जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, एकाधिकार, जन्म-दर आदि पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। अब क्यों कि यह प्रस्ताव विरोधी दल के मेरे माननीय मित्र श्री जेवियर ने रखा है इस कारण सरकार इसे स्वीकार करने को सम्मान का विषय न बनाये।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : हम सब एकमत हैं।

श्री स० मो० बैनर्जी : अतः सारी सभा इसका समर्थन करती है और मंत्री को इसे स्वीकार करना चाहिये अन्यथा सारा देश यही समझेगा कि वित्त मंत्री इसे सम्मान का प्रश्न बनाकर स्वर्णकारों के संताप को जारी रखना चाहते हैं। परन्तु यदि यह स्वर्ण-नियंत्रण आदेश दो महीने के अन्दर वापस न लिया गया तो आन्दोलन फिर होंगे तथा इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पर होगी तथा लोग इसे उप-प्रधान मंत्री महोदय का हठीलापन समझेंगे। मुझे विश्वास है कि वह इस पर फिर से विचार करेंगे तथा केवल सभा की ही नहीं प्रत्युत सारे देश की इच्छा पूरी करेंगे। केवल साम्यवादी पार्टी ही नहीं प्रत्युत अन्य राजनैतिक दलों ने भी इस नियंत्रण के हटवाने का जनता को वचन दिया है तथा यही चुनावों के दौरान मुख्य विषय भी था जिसके ही फलस्वरूप काँग्रेस को 9 राज्यों में पराजय हुई । उनका भाग्य अच्छा है अन्यथा केन्द्र में भी उनकी हार होती ।

अन्त में मैं श्री जेवियर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे संशोधनों में से जिसे भी चाहें स्वीकार कर लें।

श्री स० कुन्डु (बालासौर) : सभापति महोदय, सरकार स्वर्ण के मोह की भावना पर नियंत्रण करना चाहती थी परन्तु इसने स्वर्णकारों को नियंत्रित कर लिया जिसके परिणाम-स्वरूप 200 स्वर्णकारों ने आत्महत्या कर ली तथा प्रायः 20 लाख बेरोजगार हो गए। स्वर्ण-नियंत्रण तो वे स्वर्ण के पहनने व प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा उपयुक्त विधि बनाकर भी कर सकते थे। यह सब कुछ तो उन्होंने स्वर्णकारों की गर्दन दबाने और उनसे वोट लेने के लिये किया क्योंकि उस समय चुनाव सिर पर थे। स्वर्ण की दर भारत में तो 175 रु० से 200 रु० तोला है परन्तु बाहर 60 रु० तोला है। भारत में स्वर्ण की कमी तो दिखावटी है क्यों कि यहाँ उत्पादन कम तथा खर्च ज्यादा है। फिर काला बाजार करने वाले तथा जमाखोर अपने काले धन को स्वर्ण के रूप में रखते हैं अन्यथा वे पकड़े जायें। वे सोने की तस्करी करते हैं तथा उसे जमा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों रुपए बना लिये हैं।

इस आदेश का यह भी अभिप्राय था कि हम व्यौपार का संतुलन करें। इसके लिये

पहला काम छिपे सोने को बाहर निकालने का था, जो सरकार नहीं कर सकी। देश में टनों सोना है परन्तु उसको निकलवाने के लिये समुचित विधि बनाई जानी चाहिये जो इस समस्या की जड़ों को उखाड़ दे। इसके लिये महाराजों, महारानियों, काला-बाजार करने वालों तथा जमाखोरों आदि को पकड़ना चाहिये था न कि गरीब स्वर्णकारों को।

अतः मेरा निवेदन है कि यह आदेश इस समस्या का हल नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस स्वर्ण-नियंत्रण आदेश को वापस ले लें तथा न 20 लाख स्वर्णकारों को अपना व्यवसाय जारी रखने दें। ये स्वर्णकार कलात्मक आभूषण बनाने में विज्ञ हैं तथा इनमें से अधिकतर ने तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला सीखी है। सरकार को चाहिये कि वह इस कलात्मक स्तर को बनाये रखे तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में इन विशेष प्रकार के आभूषणों की बिक्री का प्रबन्ध करे। हमें इसे भी हस्तोद्योग बनाकर इसकी बिक्री करके विदेशी मुद्रा कमानी चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस आदेश को वापस ले ले तथा इस विषय में लाइसेंस तथा लेखा रखने आदि का सब प्रतिबन्ध उठा ले।

सभापति महोदय: नियत समय समाप्त हो गया है।

श्री कन्डप्पन: इसे एक घन्टे के लिये बढ़ा दें।

सभापति महोदय: साढ़े छः बजे एक आध घन्टे का वाद-विवाद है तब तक यह जारी रह सकता है - - - - (**व्यवधान**)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Prem Chand Verma : Mr. Deputy Speaker, you should not extend the time but take up my resolution for discussion.

उपाध्यक्ष महोदय: इस विवाद के आरम्भ होने से पूर्व ही समय बढ़ाने की मांग की थी तथा मंत्री को भी 20 मिनट का समय चाहिये। माननीय सदस्य यदि 3 या 4 मिनट में समाप्त करें तो कई प्रस्ताव भी लिये जा सकते हैं।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Deputy Speaker, Government has introduced quite a number of '*Bandies*, like the *Nas bandi*' (Sterlisation), '*Nashabandi*' (Prohibition)' '*Chakbandi*. (land reforms)' *Sonabandi* (Gold control) etc. but they have been successful in none. A great leader says "what we ourselves cannot follow, we should not impose that on others". Today, sterlisation has been introduced in the country but neither any hon' Member has got sterlised himself nor any female hon. Member has got the loop inserted. Whereas the Government askes for prohibition, on the other hand they issue licences to the wine shops. There is no virtual control on any thing here. Then what happened to Gold Control order which was introduced in 1962 ? Hon.Minister, in his step by step answer may kindly enlighten me as to how many arrests of smugglers have been made and how many have been prosecuted and punished, so far. In report appearing in *Patriot* of the 6th instant, it was stated that a Superintendent in an Irrigation Department of Bombay, raided and seized gold worth Rs. one crore and 5 lakh. Now tell us what sort of control it is? Is there any reduction in smuggling? Some people say that wearing ornaments is an attraction. But let me say that the health is the only source of attraction. When a healty buffalo can look beautiful why not a aldy ? Mr. Deputy Speaker,

the smuggling of Ministers and privy purse holders is going on. The international rate of Gold is Rs.62 whereas it is Rs.175 to Rs.200 in India.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Goldsmiths were the wrost affected lot as a result of Chinese aggression of 1962. They were thrown out of employment. Government should have helped them in their rehabilitation. Their position was like the refugees who had migrated from Pakistan. I support this resolution and request the House that it should be passed. If these people are not provided job, it would add to the existing problem of unemployment.

So far as the question of collecting of gold for defence is concerned, it is solemn objective. We should see that people are not thrown out of employment for such solemn objectives. The House should express its sympathy for the Goldsmiths. The Gold Control Order should be withdrawn.

श्री रमानी (कोयम्बत्तूर) : भारत रक्षा नियम समाप्त कर दिए गए है परन्तु स्वर्ण-नियंत्रण आदेश समाप्त अभी भी बनाये रखा जा रहा है। लगभग 20 लाख स्वर्णकार बेरोजगार हो गए हैं और लगभग 200 ने आत्महत्या कर ली है। अब उनको भय है कि अब सरकार इस बारे में एक कानून बनाकर उन्हें स्थायी रूप से कठिनाई में डालना चाहती है।

बहुत से संगठनों ने माँग की है कि स्वर्ण-नियंत्रण आदेश वापिस लिया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री और संसद् सदस्यों को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यदि सरकार ने इस आदेश को वापिस नहीं लिया तो बहुत लोग आत्महत्या कर लेंगे और बेकारी की समस्या और जटिल रूप धारण करेगी।

स्वर्णकार यदि अपनी आजीविका के लिये कार्य करते हैं तो उन्हें कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कई प्रकार से तंग किया जाता है। सरकार का इस आदेश को लागू करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। सरकार को इसे वापिस ले लेना चाहिये। हमारे देश में एक बड़ी मात्रा में खाताबाह्य धन है। इस धन से बड़े बड़े लोग सोने की जमाखोरी कर लेते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सोने की तस्करी होती है।

14 कैरेट सोने की शर्त समाप्त कर दी गई है। परन्तु स्वर्ण-नियंत्रण आदेश नहीं हटाया गया है। इसी कारण बेचारे स्वर्णकारों को मुश्किल हो रही है। इस आदेश के कारण तस्करी, जमाखोरी, और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन मिला है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री वि० नरसिम्हा राव (पार्वतीपुरम) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और माँग करता हूँ कि स्वर्ण-नियंत्रण आदेश वापिस लिया जाना चाहिये। इसके विरुद्ध समूचे देश में आन्दोलन चल रहा है। सरकार ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस आदेश को लागू किया था वे पूरे नहीं हुए हैं। सोने की तस्करी वैसे ही चल रही है। महिलाओं में सोने का आकर्षण वैसा ही बना हुआ है। वे सोने को अधिकाधिक मात्रा में अपने पास रखना चाहती है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण रुपए के मूल्य में कमी होती जा रही है। लोग सोने में रुपया लगाना ठीक समझते हैं, क्योंकि सोने के मूल्य में कमी नहीं होगी। हजारों की संख्या में स्वर्णकार अपना जीवन निर्वाह करते थे, परन्तु अब वे बिना रोजगार के हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस आदेश को वापिस ले। हमारा दल इस बारे में आन्दोलन जारी रखेगा जब तक कि यह आदेश वापिस नहीं लिया जाता और स्वर्णकारों की हालत में सुधार नहीं किया जाता।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : It is a demand of almost all sections of society that Gold Control Order should be withdrawn. I feel that keeping in view the conditions in our country this Order should be withdrawn.

The children of Goldsmiths should be provided all facilities for studies by the Government. Deputations of Goldsmith met the Prime Minister on 9th August and 29th of October. She assured them that Gold Control Order whould be revised suitably. I want that assurance should be implemented.

The big Goldsmith have been given many facilities whereas the smaller ones have been ignored. This is not good. Either they should be provided alternative employment or they should be given facilities to carry on their profession. Those who want to go abroad should be permitted. The Goldsmiths should have a right to appeal in a court against the seizure of gold by police. They should be allowed to keep ornaments of the weight of 5 Tolas.

I onee again request that the Gold Control order should be withdrawn.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं कुछ माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि यह विषय किसी विशेष दल का विषय नहीं है। स्वर्ण-नियंत्रण विधेयक संसद् ने पारित किया था। जब संसद् एक कानून पास कर देती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस पर अमल करे और कराये। इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि स्वर्ण-नियंत्रण आदेश में बहुत से परिवर्तन कर दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह आदेश जिन उद्देश्यों के लिये बनाया गया था वह देश के हित में थे। हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट होना चाहिये।

जो माननीय सदस्य अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं वे इस कानून को ठीक समझते होंगे। कम्यूनिस्ट पार्टी तो कम से कम इस कानून का समर्थन करती है। यह कहा गया है कि इससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये उद्देश्य देश-हित में थे या नहीं? हमें उनकी पूर्ति के लिये प्रयत्न करना चाहियें अथवा नहीं? मूल अधिनियम में यदि कोई त्रुटि रही है तो उसे हटाया जाना चाहिये। यह नहीं कि अधिनियम को ही समाप्त कर देना चाहिये। यदि इस योजना मे संशोधन नहीं किए जाते तो यह योजना सफल होती परन्तु बीच में रियायतों की घोषणा कर दी गई और उद्देश्यों की पूर्ति न हो सकी। हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। यह एक सामाजिक कानून है। ऐसे कानूनों का प्रभाव होने में समय लगता है।

यह ठीक है कि स्वर्णकारों को कठिनाई हुई है। आज के युग में परिवर्तनशील होना लगभग अनिवार्य हो गया है। इन लोगों को भी युग के साथ बदलना चाहिये। यह परिवर्तन तो देश के हित और सेवा के लिये है। देश में आपातकालीन स्थिति में उन्होंने सेवा की है।

हमें इस मामले को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिये।

हमारा देश आर्थिक दृष्टि से एक अविकसित देश है। हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। हमें अपने सभी संसाधनों को जुटाना है। सोना भी एक संसाधन है। यह बड़ी मात्रा में जमा करके रखा हुआ है। इसे हमें देश के विकास-कार्य में प्रयोग में लाना है।

हमने सोने के मामले में देश में कुछ प्रतिबन्धात्मक उपाय करके कोई अद्भुत बात नहीं की

है। कई देशों ने, जिनमें अमरीका, रूस, अल्बानिया, हंगरी, आस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, क्यूबा, चैकोस्लोवाकिया, इण्डोनेशिया, लिबिया, नाइजेरिया, फिलिपाइन्स, रूमानिया, स्पेन, ट्यूनेशिया, ब्रिटेन शामिल हैं, सोने की बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिये कुछ उपाय किए हैं। इन देशों में सोने के अबाध व्यापार तथा स्वतंत्र स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जाती है।

हमारे देश में जितना सोना निकाला जाता है वह हमारी माँग के लिये पर्याप्त नहीं है। इस माँग को पूरा करने के दो ही साधन हैं। एक यह कि या तो सोने का आयात किया जाये अथवा इसे बाहर से चोरी-छिपे लाया जाये। जहाँ तक आयात का प्रश्न है, हम इस पर अपनी मूल्यवान विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बड़ी-बड़ी मशीनों तथा पुर्जों का आयात करना होता है। इसी आधार पर चोरी-छिपे सोना लाने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि शिक्षा द्वारा उचित वातावरण पैदा करके लोगों की जो माँग है उसे कम किया जाये और मेरे विचार में यही सबसे अच्छा तरीका है।

एक ओर तो यह कहा गया है कि सोने के तस्कर व्यापार को रोका जाये और दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि सोने पर से नियंत्रण हटा लिया जाना चाहिये। नियंत्रण हटा लेने से तो तस्कर व्यापार में और वृद्धि हो जायेगी। इस तस्करी को रोकने का केवल एक ही उपाय है कि माँग को कम किया जाये। हमें तस्कर-व्यापार विरोधी उपाय करने चाहियें। देश में सोने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने तथा ले-जाने पर रोक लगा देनी चाहिये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर कुछ उपाय किए गए हैं।

1966 में अधिसूचित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के अन्तर्गत लगाये गए सोने पर प्रतिबन्धों के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ भ्रम फैला हुआ है अत: इनको स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये। इन नियमों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं: (एक) आभूषण तैयार करने पर 14 कैरेट के प्रतिबन्ध को हटाया जाना, (दो) मूल रूप में सोना रखने पर रोक, (तीन) उल्लिखित सीमा से अधिक सोने की घोषणा और (चार) सोना शोधनशालाओं पर सरकारी नियंत्रण को अधिक कड़ा बनाना जिसका अन्तिम उद्देश्य इनका राष्ट्रीयकरण करना। स्वर्ण नियंत्रण योजना में ये मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। इन अलावा जो परिवर्तन किए गए हैं उनका स्वर्णकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आभूषण बनाने पर से 14 कैरेट का प्रतिबन्ध हटा लेने का प्राय: सभी स्वर्णकारों ने स्वागत किया है इससे अब वे 14 कैरेट से अधिक शुद्धता वाले सोने के भी आभूषण बना सकेंगे। इसके बाद उन्हें कुछ और रियायतें दी गई हैं। यह सही नहीं है कि इस नियंत्रण से 20 लाख स्वर्णकार बेरोजगार हो गए हैं। अपना कार्य करने ले स्वर्णकारों से जब आवेदन-पत्र माँगे गए जिससे उन्हें आभूषण बनाने की अनुमति दी जा सके तो केवल 2.55 लाख स्वर्णकारों ने ही आवेदन-पत्र भेजे थे। अत: 20 लाख का आँकड़ा सही नहीं है।

केन्द्रीय सरकार ने स्वर्णकारों को सहायता देने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को 13.6 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें से 1,10,000 स्वर्णकारों में वास्तव में 10.35 करोड़ रुपए बाँटे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 25,000 स्वर्णकारों को अन्य सहायता दी गई है। 1,80,000 स्वर्णकारों तथा उन पर आश्रित व्यक्तियों को पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधायें भी दी गई हैं।

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकती है। इस सम्बन्ध में चालू सत्र में ही एक विधेयक लाया जा रहा है और तब माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने के लिये पूरा अवसर मिलेगा। आशा है प्रस्तावक इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री स० मो० बैनर्जी का संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखता हूँ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 19; विपक्ष में 57;

Ayes 19, Noes 57

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूँ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 22; विपक्ष में 56

Ayes 22; Noes 56

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जेवियर द्वारा पेश किया गया संकल्प मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

> "इस सभा की राय है कि देशव्यापी आन्दोलन और स्वर्णकारों को हो रही कठिनाई आदि को देखते हुए सरकार को स्वर्ण-नियंत्रण समाप्त कर देना चाहिये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 21 विपक्ष में 56

Ayes 21, Noes 56

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

वामपक्षी साम्यवादी दल की गतिविधियों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: ACTIVITIES OF LEFT COMMUNIST PARTY

Mr. Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Deputy speaker, Sir, I move the following Resolution :

"This House is of opinion tha the left Communist party of India be declared unlawful as its activities have posed a danger to the unity, integrity and security of the country."

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री हे० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 173 (3) के अन्तर्गत किसी संकल्प ग्राह्य होने के लिये कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है और इन शर्तों में से एक शर्त यह है :—

"उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन या मान-हानिकारक कथन नहीं होंगे।"

उक्त नियम के अन्तर्गत यह देखना अध्यक्ष महोदय का दायित्व है कि प्रस्ताव, संकल्प आदि में प्रयोग किए गए शब्द अनुपयुक्त तो नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, शायद इस ओर ध्यान नहीं दे सके हैं। इस संकल्प द्वारा उन संसद्-सदस्य पर, जो भारतीय वामपक्षी दल का इस सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनको लोगों ने चुन कर यहाँ भेजा है, आक्षेप किया गया है, जो कि अवैध है क्योंकि अन्य सदस्यों की तरह इन लोगों को भी इस सभा में कार्य करने का पूरा अधिकार है और इसलिये इस प्रकार के अपमानजनक तथा मानहानिकारक आक्षेपों से इनकी उसी तरह से सुरक्षा की जानी चाहिये जिस तरह से अन्य दलों के सदस्यों की सुरक्षा की जाती है। "मे" में पृष्ठ 170 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सदस्यों पर किसी प्रकार के आक्षेप को, चाहे उसमें व्यक्तियों विशेष के नामों का उल्लेख किया गया हो अथवा नहीं, सभा पर आक्षेप के बराबर माना जायेगा। यह एक गम्भीर मामला है। अतः इसपर निष्पक्ष रूप से विचार करने के पश्चात ही कोई निर्णय किया जाना चाहिये क्योंकि यह सभा पर आक्षेप है और सभा के मूलभूत विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अतः विशुद्ध संसदीय सिद्धांत के आधार पर इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: इस सम्बन्ध में सदस्यों का ध्यान नियम 174 की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है :

"अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में, संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये नियमों का उल्लंघन करता हो;"

उक्त नियम को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष को देना है। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है उसे मैं मानता हूँ। परन्तु इस बात का निर्णय तो अध्यक्ष को करना है जैसा कि उक्त नियम में उपबन्ध है। अतः यह मामला अध्यक्ष से ही उठाया जाये। अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) Once a point of order has been raised, it has become the property of the House. An opportunity should, therefore, be given to us to express our views on the point of order raised by Shri Mukerjee before any ruling is given by the Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में माननीय सदस्य जानबूझ कर मुझे गलत समझने का प्रयत्न कर रहे हैं.....

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० के गुजराल): मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष की कार्यवाही के विषय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता (**व्यवधान**) यह बात अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करती है। अब तो केवल यह देखना है कि वाद-विवाद किस प्रकार हो। इसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री उमानाथ (पुडुकोटै): यदि यह बात सही है तो इस सम्बन्ध में वाद-विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं। उनका कहना यह है कि यदि प्रस्ताव कार्य-सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, तो इसका अर्थ यह है कि इसे अध्यक्ष ने ग्राह्य मान लिया है और अब इस की ग्राह्यता के बारे में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि यह प्रस्ताव कार्यसूची में सम्मिलित भी हो तो सभा उस प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी जब माननीय सदस्य कहेंगे कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

श्री इ० कु० गुजराल: माननीय सदस्य नियमों से अनभिज्ञ हैं। सच यह है कि यह संकल्प कार्य-सूची में सम्मिलित है और आपके कहने पर माननीय सदस्य ने इसे प्रस्तुत किया है।

श्री उमानाथ: नहीं, उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है।

Shri Kunwar Lal Gupta (Delhi Sadar): In my opinion even if the Resolution has been moved and after that a point of order is raised and if the hon'ble Speaker holds that oint of order is valid, then the Resolutions drops. Now there is a fundamental right envisaged in article 19 of the Constitution. "All citizens shall have the right to form associations and Unions". There is a provision that if activities of such an organization prove to be against the security of the country, then ban can be imposed on that organisation. But the way, in which this resolution has been moved, is against parliamentary practice. If Government wants to impose ban on the Left Comsmunist Party, they should being out a White Paper and convince the people that their activitie are against the interest of this country.

उपाध्यक्ष महोदय: वास्तव में मैंने यह कहा था कि जब अध्यक्ष महोदय ने इस संकल्प को नियम 174 के अधीन ग्राह्य मान लिया है तो इसकी ग्राह्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु ग्राह्य मान लेने पर भी सभा सर्वोच्च है। अतः माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों पर विचार किया जायेगा। परन्तु मैं तत्काल विनिर्णय नहीं दे सकता।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। नियम 10 के अधीन सभा के उपाध्यक्ष या किसी भी पीठासीन अधिकारी को भी जब वह सभा की अध्यक्षता कर रहा हो, वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो सभा के अध्यक्ष को होती हैं। अतः आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सभा व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी: उन्होंने प्रस्ताव यह रखा है कि "सभा की यह राय है कि भारत का कम्युनिस्ट साम्यवादी दल"—जब कि सारे देश में इस नाम का कोई दल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता । अब सभा सोमवार तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 11 मार्च, 1968 / 21 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 11, 1968/ Phalguna 21, 1889 (Saka.).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3